



भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 248

“अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की
आवश्यकता” (अंतरिम रिपोर्ट)

सितंबर, 2014

बीसवें विधि आयोग का गठन विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश सं. ए-45012/1/2012-प्रशा.-III (एल.ए.) तारीख 8 अक्टूबर, 2012 द्वारा 1 सितंबर, 2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया ।

विधि आयोग पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य सचिव सहित), दो पदेन सदस्य और पांच अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति ए. पी. शहा

पूर्ण कालिक सदस्य

न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर

प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा

न्यायमूर्ति ऊना मेहरा

डा. एस. एस. चाहर, सदस्य सचिव

पदेन सदस्य

श्री पी. के. मल्होत्रा, सचिव (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग)

डा. संजय सिंह, सचिव (विधायी विभाग)

अंशकालिक सदस्य

श्री आर. वेंकटरमणी

प्रो. (डा.) योगेश त्यागी

डा. विजय नारायण मणि

प्रो. (डा.) गुरजीत सिंह

विधि आयोग
14वें तल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,
के. जी. मार्ग,
नई दिल्ली - 110001 पर स्थित है ।

सदस्य सचिव

डा. एस. एस. चाहर

अनुसंधान अधिकारी

डा. (श्रीमती) पवन शर्मा	:	संयुक्त सचिव और विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	अपर विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	उप विधि अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ <http://www.lawcommissionofindia.nic.in>
इंटरनेट पर उपलब्ध है ।

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : 23736758 फैक्स : 23355741



Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)211/2011-एल.सी.(एल.एस.)

तारीख : 12 सितंबर, 2014

प्रिय श्री रवि शंकर प्रसाद जी,

19वें विधि आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से “अप्रचलित विधियों की पहचान” परियोजना का कार्य आरंभ किया गया था । कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया ।

इस प्रकार, 20वें विधि आयोग ने परियोजना को जारी रखने का विनिश्चय किया । सुसंगत जानकारी के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क किया गया । इसी बीच माननीय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने इसी विनय पर अपने सुझाव और सिफारिशें देने की मांग करते हुए आयोग को (24 जून, 2014) को पत्र लिखा । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने “विधिक अधिनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण” पर अध्ययन करने का विनिश्चय किया । जैसाकि अध्ययन किशतों में पूरा होगा, ऐसी पहली किशत “अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता” - एक अंतरिम रिपोर्ट सं. 248 मंत्री महोदय को प्रस्तुत की जा रही है ।

आशा है कि अंतर्वि-ट सुझाव और सिफारिशें विधिक संरचना को सरल बनाने की दिशा में एक मुख्य कदम होगा ।

सादर,

भवदीय

ह0/-

(अजित प्रकाश शहा)

श्री रवि शंकर प्रसाद,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

“अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता”
(अंतरिम रिपोर्ट)

विनय-सूची

क्र. सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना और पृष्ठभूमि	6
2.	तरीका : विनय प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण	8
3.	परिणाम, नि-क-र्न और सिफारिशें	10
4.	निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां	13
परिशि-ट		
परिशि-ट -1	केंद्रीय विधियों के प्रवर्ग	46
परिशि-ट - 2	विभिन्न आयोगों द्वारा निरसन के लिए सिफारिश किंतु संसद् द्वारा निरसित न की गई विधियों की सूची	121
परिशि-ट - 3	निरसित विधियां जो विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की कालानुक्रमिक सूची में सूचीबद्ध हैं	144
परिशि-ट - 4	संसद् द्वारा पारित विधियों की सूची जो विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की कालानुक्रमिक सूची में सूचीबद्ध नहीं है	147
परिशि-ट - 5	निरसन की उपयुक्तता के निर्धारण की दृष्टि से आगे अध्ययन हेतु कानूनों की सूची	148

अध्याय 1

प्रस्तावना और पृ-ठभूमि

1.1 “अप्रचलित विधियों की पहचान” परियोजना का कार्य 19वें विधि आयोग द्वारा आरंभ किया गया था । उनके प्रशासनिक रूप से संबद्ध ऐसी विधियों/ अधिनियमों की सूची मांगने के लिए (20.05.2012 को) सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों से संपर्क किया गया । तत्पश्चात् 20वें विधि आयोग के गठन के पश्चात् इन मंत्रालयों/विभागों को एक अनुस्मारक भेजा गया । कुछ ने उत्तर दिया किंतु काफी संख्या में उत्तर प्राप्त नहीं हुए । इसी बीच, तारीख 24 जून, 2014 का माननीय विधि और न्याय मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आयोग से उसी वि-नय पर अपने सुझाव और सिफारिशें देने के लिए कहा गया था ।

1.2 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने **“विधिक अधिनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण”** वि-नय पर अध्ययन आरंभ करने का विनिश्चय किया और इस प्रयोजन के लिए न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर, सदस्य, विधि आयोग, प्रो. मूल चंद शर्मा, सदस्य विधि आयोग, प्रो. योगेश त्यागी, सदस्य (अंशकालिक) विधि आयोग, श्री अर्ध्रसेन गुप्ता और सुश्री श्रीजोनी सेन अधिवक्ता, विधिक नीति के विधि केंद्र को मिलाकर एक समिति बनाई गई ।

1.3 अध्ययन किशतों में पूरा होगा और तदनुसार अध्ययन होने के साथ-साथ सरकार को रिपोर्टों के कई अंक प्रस्तुत किए जाएंगे । संक्षेप में, अध्ययन से एक विस्तृत रूपरेखा तैयार होगी और नवीकरण, सरलीकरण, सुव्यवस्थतीकरण, तर्कसंगतीकरण और विधियों के संशोधनकरण और विधिक संरचना हेतु सुझाव दिए जाएंगे ।

1.4 आयोग के दृ-टिकोण से, इस तरह के अध्ययन का उद्देश्य विधियों और विधिक संरचना के आधुनिकीकरण और विधियों के सुधार के लिए साधन और उपाय का सुझाव देने सहित समग्र सोच और दीर्घ अवधि लक्ष्य प्राप्त करना है । ऐसे अध्ययन का आरंभ ऐसी विधियां जो अप्रचलित हो गई हैं और अब सुसंगत नहीं रह गई हैं, की पहचान करने और सिफारिश करने से होता है । अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा अध्ययन ऐसी विधियों की पहचान करने के लिए आवश्यक है जो आधुनिक और नवीनतम विधियों, उच्चतम न्यायालय निर्णयों और भारत द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित अंतररा-ट्रीय कन्वेंशनों से असंगत है । ऐसा अध्ययन उन विधियों को चुनने हेतु अपने प्रयास पर फोकस देने के लिए भी अपेक्षित है जो भारी भार अधिरोपित करती हैं और जिनकी लागत उनके फायदे से बहुत अधिक है और इस प्रकार, सरलीकरण,

संशोधन या निरसन की आवश्यकता है । अध्ययन उन विधियों की पहचान करने और सुझाव देने की निर्णायक और पारिणामिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है जिनमें संशोधनों की आवश्यकता है जिससे कि वे समय की परिवर्तनशील आवश्यकताओं से संगत और उनके अनुरूप हो सकें ।

1.5 अध्ययन के वृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम और आधारभूत उपाय के रूप में, आयोग से ऐसी विधियों की पहचान करने से आरंभ करना अपेक्षित है जो अप्रचलित हो गए हैं और इस प्रकार, उनकी तत्काल निरसन की सिफारिश की जाए । अपने अध्ययन की ऐसी शुरुआत करने के लिए आयोग ने अपनी 96वीं रिपोर्ट में व्यक्त पूर्व मत पर विशेष ध्यान दिया : “प्रत्येक विधानमंडल से पुरानी विधि (पुरानी लकड़ी) को हटाने के लिए अपनी कानूनी विधि के समूह को सावाधिकतः वसन्तोत्सव शोधन की तरह समाशोधित करने की प्रत्याशा है और नागरिकों को ऐसी विधियां जो वर्तमान स्थितियों में अपनी सुसंगतता खो चुकी है, पर ध्यान देने की असुविधा से बचाया जा सके । स्वयं इस प्रक्रिया का वर्तमान समय में अधिक महत्व हो जाता है जब कानूनी विधि का विकास अधिकांश और अधिक मात्रा में होता है । 96वीं रिपोर्ट द्वारा अप्रचलित विधियों को निरसित करने हेतु पहचान करने का एक मुख्य कारण वर्तमान समय की मांग है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 96वीं रिपोर्ट काफी पहले वर्ष 1984 में प्रस्तुत की गई थी और तब से दो दशकों में ऐसी तेजी से परिवर्तन हुआ है जो संभवतः अब तक इतिहास में कभी नहीं देखा गया । इस प्रकार, अप्रचलित विधियों के निरसन की मांग और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पुनः दृढ़ हो गई ।

1.6 आयोग के अनुसंधान के दौरान, अन्य के साथ-साथ, 100 विधि निरसन परियोजना, नागरिक विलयन प्रारंभीकरण, सेन्टर फार सिविल सोसाइटी, मैक्रोफाइनेन्स ग्रुप आफ एन.आई.पी.एफ.पी. द्वारा अप्रकाशित कार्य और इसके साथ इस मुद्दे पर कई विद्वानों के विद्वतापूर्ण अंश और समाचार-पत्रों के लेखों पर हमारा ध्यान गया । आयोग उन सहयोगों को स्वीकार करना चाहता है जिनसे उसकी रिपोर्ट का फायदा प्राप्त हुआ ।

अध्याय 2

तरीका : वि-नय-प्रवर्गीकरण और वर्गीकरण

2.1 अप्रचलित विधियों की पहचान पर कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व अपनाए गए तरीके और अध्ययन को संपादित करने में इसके महत्व के बारे में कुछ शब्द कहना सुसंगत होगा। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि आयोग इस बात पर सहमत था कि वर्तमान अध्ययन हेतु किसी प्रामाणिक और टिकाऊ प्रस्ताव के लिए ऐसा तरीका जो क्रमबद्ध रूप से अधिनियमितियों के भारी ढेर में फैली विधियों के समूह को मिलान करने, वर्गीकृत करने और समूह में बांटने में सहायक होगा, विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। इसप्रकार, विकसित प्रस्ताव विभिन्न विधियों को समूहों में वर्गीकृत करना और उस समनुदेशित वि-नय-प्रवर्ग में उन्हें रखना था विधियों के जिस वर्ग समूह के वे आदर्शतः हैं। विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर ये 'वि-नय-प्रवर्ग' तैयार किए गए और सभी केंद्रीय विधियों को समूहों में 'वर्गीकृत' किया गया।

2.2 वि-नय-प्रवर्ग की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उपलब्ध विद्यमान साहित्य, विशेषकर यू.एस. प्रस्ताव से संबंधित जहां उसे 'शीर्षक-तरीका' पुकारा जाता है, को समनुदेशित शीर्षक के अधीन विधियों के संबद्ध वर्गों को लाने के लिए स्वीकार किया जाता है, की परीक्षा की गई। यू.एस. दृष्टिकोण जो काफी सुसंगत साबित हुआ, के अलावा संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाने और ऐसी स्थितियों में कतिपय परिभाषित सीमाओं के अधीन रहते हुए वस्तुतः उसी वि-नय पर विधियां बनाने हेतु कतिपय स्थितियों में दोनों को सशक्त करते हुए तीन सूची- संघ/राज्य/समवर्ती में विधि बनाने के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न वि-नय आबंटित करते हुए संविधान की सातवीं अनुसूची में अंगीकृत वि-नय-वर्गीकरण पर गहनता से परीक्षण किया गया। इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों के अलावा, विभिन्न पत्रिकाओं में उपलब्ध साहित्य को भी प्रतिबिंबित किया गया। ये सभी तीन स्रोत उपर्युक्त यथा वर्णित तरीका निकालने में काफी सहायक साबित हुए।

2.3 कानूनों के विद्यमान ढेर को वि-नय-प्रवर्ग तैयार करने और समूहों में वर्गीकरण करने के तरीके का अवलंब लेकर, 1086 संख्या वाले सभी विद्यमान केंद्रीय विधियों को 49 सावधानीपूर्वक सीमांकित 'वि-नय-प्रवर्ग' में संगठित करना आसान होगा।

(कृपया परिशिष्ट - 1 देखें)

2.4 किए जा रहे अध्ययन हेतु यह संदर्भ से परे नहीं है कि ऐसा वर्गीकरण और विनय-प्रवर्गीकरण यह विकसित करने और समझने में बहुत सहायक होगा कि कितनी विधियां कितने तरीके से एक-दूसरे के विपरीत या अतिव्यापी या प्रतिकूल हैं या जिसे असंगतता और/या अतिव्याप्ति की समस्या से ग्रस्त कहा जा सकता है। ऐसे तरीके अपनाने से, 'असंगतता' या समय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बारीकियों की कमी से ग्रस्त विधियों का अवधारण करने हेतु आयोग का कार्य आसान हो जाएगा, इस प्रकार संशोधन या नई विधियों को लाने की मांग की जा सकती है। वस्तुतः, बाद वाले दो मुद्दे अगले अनुक्रम के लिए विनय-वस्तु गठित करेंगे जो अध्ययन में अपनाया जाएगा।

अध्याय 3

परिणाम, नि-कर्म और सिफारिशें

3.1 पहले आयोग ने कई विधियों को अप्रचलित के रूप में पहचान करते हुए विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत की जिसमें निरसन की मांग की गई थी (विधि आयोग रिपोर्ट सं. 18, 81, 96, 148, 159 देखें) । आयोग की 18वीं और 81वीं रिपोर्ट ने विशिष्ट औपनिवेशिक विधि के निरसन की सिफारिश की थी । 18वीं रिपोर्ट में संपरिवर्तित विवाह विघटन अधिनियम के निरसन की ईप्सा की गई थी और 81वीं रिपोर्ट ने 'हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' के निरसन की सिफारिश की थी । 96वीं रिपोर्ट ने अप्रचलित विधियों की पर्याप्त संख्या को निरसित करने की सिफारिश की थी । एक बार पुनः आयोग ने अपनी 148वीं रिपोर्ट में कई विधियों को निरसित करने की सिफारिश की । उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वर्ष 1998 में प्रस्तुत अपनी 159वीं रिपोर्ट में आयोग ने पर्याप्त विधियों को निरसित करने की सिफारिश की । इन रिपोर्टों में अप्रचलित के रूप में पहचानी गई कई विधियों को निरसित किया गया है । सरकार ने भी 1998 में पी. सी. जैन आयोग की नियुक्ति की जिसने निरसन के प्रयोजन के लिए काफी विधियों की पहचान करते हुए सितंबर, 1998 में अपनी रिपोर्ट दी ।

3.2 आयोग ने यह पाया कि पूर्वोक्त रिपोर्टों में निरसन के लिए सिफारिश किए जाने के बावजूद 253 विधियां अब भी कानूनी पुस्तकों में विद्यमान हैं (इन 253 विधियों के ब्यौरे के लिए कृपया परिशि-ट-2 देखें) । आयोग ने पहले ही संबद्ध मंत्रालयों को उनके विचार के लिए सूचित किया है कि ये विधियां अब भी क्यों विद्यमान हैं ।

3.3 आयोग ने अध्ययन करते समय यह भी पाया कि 34 विधियां जो पहले ही निरसित हो चुकी हैं, अब भी सरकारी बेवसाइट पर उपलब्ध हैं (इन 34 विधियों के ब्यौरे के लिए कृपया परिशि-ट-3 देखें) । आयोग यह सिफारिश करता है कि इन विधियों को सरकारी बेवसाइट से हटाया जाए ।

3.4 इसी प्रकार, आयोग ने यह ध्यान दिया कि संसद् द्वारा पारित कतिपय विधियां सरकारी बेवसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों की कालानुक्रमिक सूची में सूची-बद्ध नहीं है। इन विधियों की सूची को परिशि-ट-4 में देखा जा सकता है । आयोग की यह सिफारिश है कि इस अनदेखी को भी सुधारा जाए ।

3.5 इस अध्ययन के दौरान आयोग को यह पता चला कि पिछले कई वर्षों के

दौरान पारित भारी संख्या में विनियोग अधिनियम अपना अर्थ खो चुकी है किंतु ये अब भी कानूनी पुस्तकों में दर्शाए जा रहे हैं। यह आम बात है कि विनियोग अधिनियम एक वित्तीय वर्ग या कम अवधि के लिए, उदाहरणार्थ लेखानुदान विधयों के मामले में व्यय को प्राधिकृत करने हेतु सीमित अवधि को लागू होने के आशय से बनाए जाते हैं। यद्यपि उन अधिनियमों को प्रायः विधि और न्याय मंत्रालय या कहीं भी केंद्रीय अधिनियमों की किसी सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है। फिर भी ये विधियां अब भी तकनीकी रूप से पुस्तकों में वर्णित हैं।

3.6 बलपूर्वक यह कहा जा सकता है कि ऐसे विनियोग अधिनियम जिनकी अवधि समाप्त हो गई है का निरसित किया जाना किसी भी प्रकार से उन कार्रवाइयों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा जो इन अधिनियमों के अधीन विधिमान्य रूप से लिए गए हैं। तथापि, यह कानूनी पुस्तकों को साफ-सुथरा रखने और भार कम करने के प्रयोजन को पूरा करेगा। सतर्कता और संदेह की किसी गुंजाइस के बिना निरापद रूप से यह सिफारिश की जा सकती है कि केवल वे विनियोग अधिनियम जो कतिपय तारीख अर्थात् 10 वर्ष से पुराने हैं, को निरसित किया जाए। स्वयं इसके परिणामस्वरूप 700 से अधिक विधियां निरसित हो जाएंगी।

3.7 यह उल्लेख करना सुसंगत है कि कई अन्य देशों में विनियोग अधिनियमों को क्रमबद्ध रूप से हटाने के लिए विद्यमान तंत्र अपने प्रयोजन पूरा करते हैं। उदाहरणार्थ, यूनाइटेड किंगडम में (जिनके विनियोग अधिनियमों को हम मॉडल रूप में स्वीकार करते हैं), सभी विनियोग अधिनियमों में प्रायः निरसनकारी उपबंध होते हैं जो विनिर्दिष्ट-पुराने विनियोग अधिनियमों का निरसन करते हैं। आस्ट्रेलिया में अपनाया गया मार्ग यह है कि विनियोग अधिनियम स्वतः निरसित हो जाता है। 2001 का आस्ट्रेलियन विधान अधिनियम की धारा 89 यह अधिदेश देती है कि कतिपय अधिनियम स्वतः निरसित हो जाते हैं और इसमें “विनियोग अधिनियम, उस वित्तीय वर्ग के अंतिम दिन जिसके लिए यह विनियोग करता है” सम्मिलित है और इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, सूर्यास्त खंड की प्रकृति के उपबंध को 2001 के विधान के आधार पर प्रत्येक विनियोग अधिनियम में पढ़ा जाए।

3.8 तथापि, भारत में ऐसा कोई तंत्र नहीं है और विनियोग अधिनियम कानूनी-पुस्तकों में वर्णित रहते हैं। विधि आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक वर्ग विनियोग अधिनियम में निरसन खंड को सम्मिलित करने की यूनाइटेड किंगडम जैसी पद्धति मुख्य संशोधन या नई विधि के पुरःस्थापन की आवश्यकता के बिना सार्थक प्रयोजन को पूरा करेगी।

3.9 केंद्रीय कानूनों के वर्गीकरण की प्रक्रिया में, विधि आयोग को एक हजार कानूनों से अधिक कानून की अंतःवस्तुओं की परीक्षा करने का अवसर मिला । इसने प्रक्रिया के अगले प्रक्रम को अधिक सुकर बनाया अर्थात् कानूनों के अवधारण की पहचान प्रथमदृ-ट्या निरसन के लिए संभाव्य कानून के रूप में की गई ।

3.10 इस प्रकार, वर्गीकरण पूरा करने के पश्चात, विधि आयोग ने यह अवधारण करने के लिए कि कौन से कानून निरसनयोग्य हैं, 49 स्थापित वर्गों में प्रत्येक में कानूनों के व्यापक अध्ययन का कार्य आरंभ किया । प्रक्रिया को इस तथ्य से बहुत सहायता मिली कि एक वि-नय क्षेत्र को लागू सभी विधियों को पहले ही एक साथ वर्गीकृत किया गया था । इससे दृ-टांतों को स्प-ट किया जाता है कि जब बाद वाली विधि का पुरानी विधि से स्प-ट विरोध हुआ, जब विधि का प्रयोजन पहले ही पूरा हो रहा था, या जब कानून की वि-नय-वस्तु इतनी प्राचीन है कि अब विधान की अपेक्षा नहीं है । इन पैरामीटरों के आधार पर, विधि आयोग ने 261 कानूनों की पहचान की कि अप्रचलित और जो वर्तमान समय से असंगत है, कानूनों के निरसन के लिए दृढ़ सिफारिश उपलब्ध कराने की दृ-टि से प्रथमदृ-ट्या और अध्ययन करने की अपेक्षा है । इस अध्ययन से ऐसे 72 कानूनों का कार्य संपादन किया जिनकी चर्चा नीचे की गई है । हमारे मतानुसार, इस अंतरिम रिपोर्ट में उपलब्ध सिफारिशों के अनुसार इन कानूनों को निरसित किया जाए ।

3.11 261 कानूनों की सूची **परिशि-ट-5** पर है । अगले मास तक, विधि आयोग इन कानूनों की प्रास्थिति और उपबंधों का अध्ययन तथा सभी सुसंगत कानूनों पर सिफारिश करने का आशय रखता है जो निरसन के योग्य हैं ।

अध्याय 4

निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां

4.1 निरसन की उपयुक्तता का निर्धारण करने की दृष्टि से आगे अध्ययन करने के लिए परिशि-ट-5 में पहचाने गए 261 कानूनों में से, 72 कानून के निम्नलिखित समूह को आयोग द्वारा निरसन के योग्य पाया गया है। उन्हें निरसित करने की सिफारिश की गई है क्योंकि वे निम्नलिखित एक या अधिक प्रवर्ग के भीतर आते हैं - पहला, प्रश्नगत विधि की वि-नय-वस्तु प्राचीन है, और उस वि-नय को शासित करने के लिए अब विधि की आवश्यकता नहीं है, दूसरा, प्रश्नगत विधि का प्रयोजन पूरा हो गया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है और तीसरा, इसी वि-नय-वस्तु को शासित करने वाली कोई नई विधि या विनियम है।

4.2 अध्ययन किए गए प्रत्येक कानून की बाबत एक संबद्ध प्रश्नपर विचार किया गया- कि इन विधियों को निरसित करने का कौन उचित विधायी निकाय है ? यह प्रश्न विशि-टतः सपरि-ट गवर्नर जनरल द्वारा पारित स्वतंत्र-पूर्व विधियों के लिए सुसंगत है जिसकी वि-नय-वस्तु अब राज्य सूची के भीतर आती है। इस प्रश्न के उत्तर का अवधारण संविधान के अनुच्छेद 372(1) के प्रतिनिर्देश से किया जाता है जो यह उल्लेख करता है कि स्वतंत्रता-पूर्व विधियां तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरसित नहीं की जाती। सांविधानिक स्कीम में सक्षम विधानमंडल उस विधायी निकाय को निर्दि-ट करता है जिसे सातवीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 246 के अधीन विशि-ट वि-नय पर विधियां बनाने की शक्ति है। इसे **केरल राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम इंडियन एल्यूमिनियम कं. लि.** [ए.आई.आर. 1976 एस. सी. 1031] वाले मामले में स्प-ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है :

विद्यमान विधि विधिमान्य बनी रहेगी चाहे विद्यमान विधि की वि-नय-वस्तु की बाबत विधायी शक्ति उस सूची जिसके अधीन यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन आती है, से संविधान के अधीन भिन्न सूची में हो। किंतु संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् विद्यमान विधि को उसी विधानमंडल द्वारा ही संशोधित या निरसित किया जा सकता है जो उस विधि को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है मानो यह नए रूप से अधिनियमित किया गया है।

4.3 इसी प्रकार, कंवर लाल बनाम द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, नैनीताल [ए.आई.आर. 1995 एस. सी. 2078] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (संविधान-पूर्व केंद्रीय कानून) के संशोधनों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार इस अधिनियम को संशोधित या निरसित करने का सक्षम विधानमंडल था क्योंकि अधिनियम की विनय-वस्तु सूची-2 की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आती है।

4.4 अनुच्छेद 372(1) के पढ़ने के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि संविधान-पूर्व विधि की विनय-वस्तु राज्य सूची के अंतर्गत आती है तो राज्य सरकार उस अधिनियम का निरसन करने के लिए सक्षम विधानमंडल है। परिणामतः, जहां किसी कानून को निरसन के लिए संबद्ध राज्य सरकार को निर्दिष्ट करना उचित है वहां निरसन के लिए सिफारिश कानून के साथ टिप्पण में इसे उपदर्शित किया गया है।

4.5 प्रत्येक पर सिफारिश और टिप्पण के साथ 72 कानूनों की सूची नीचे दी जाती है :

1. बंगाल जिला अधिनियम, 1836 का अधिनियम 21

प्रवर्ग : स्थानीय क्षेत्रों के प्रशासन और विकास से संबंधित विधियां

सिफारिश : उपयुक्त संशोधनों के साथ निरसन के लिए पश्चिमी बांगल राज्य को सिफारिश करें।

यह अधिनियम बंगाल में राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नए जिले सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह कानूनी पुस्तक की दो प्राचीनतम विधियों में से एक है। जहां अब नए जिले राज्य सरकारों द्वारा अपने संबद्ध राजस्व कोड के अधीन गठित किए जाते हैं; बंगाल एक विशेष क्षेत्र है जहां यह अब भी केंद्रीय अधिनियम के अधीन किया जा रहा है। इस विधि को निरसित किया जाए यदि जिले सृजित करने की शक्ति इसके बजाए सुसंगत पश्चिमी बंगाल में सम्मिलित है। पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट के उसके परिशिष्ट ए-5 द्वारा इस अधिनियम की भी निरसन के लिए सिफारिश की गई है।

2. बंगाल बंधपत्राधीन भांडागार संगम अधिनियम, 1838 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : व्यापार और वाणिज्य

सिफारिशें : निरसन

अधिनियम यह अनुबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसीडेन्सी के निवासी ही बांगल बंधपत्राधीन भांडागार संगम के निदेशक हो सकते हैं और संगम अपनी संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेच सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब अस्तित्व में नहीं है और फोर्ट विलियम प्रेसीडेन्सी का भी अस्तित्व अब प्रशासनिक यूनिट के रूप में नहीं रहा है। परिणामतः, अधिनियम अब निरर्थक हो गया है। पी. सी. जैन आयोग ने परिशि-ट ए-5 द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है।

3. बंगाल बंधपत्राधीन भांडागार संगम अधिनियम, 1854 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : व्यापार और वाणिज्य

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बंगाल बंधपत्राधीन भांडागार संगम अधिनियम, 1838 को संशोधित करने के लिए किया गया था। 1838 अधिनियम के निरसन का कारण इस अधिनियम को भी लागू होता है।

4. समपहरण निक्षेप अधिनियम, 1850 का अधिनियम 25

प्रवर्ग : भूमि विधि

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन 1919 के बंगाल कोड (बंगाल पटनी तालुक विनियम, 1819) के विनियम 8 के अधीन किए गए भूमि के अपूर्ण विक्रयों पर किए गए निक्षेपों के सरकारी समपहरण के लिए किया गया था। क्योंकि भू-धारक या पटनीदार इस विनियम का कपटपूर्ण फायदा उठाते थे इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए यह अधिनियम लाया गया। विनियम ने भूमि विक्रयों पर समपहृत निक्षेपों को क्रय-धन के रूप में लागू किया जाना अनुज्ञात किया। अधिनियम ने इसके सिवाय उपबंधित किया कि समपहृत निक्षेपों का उपयोग विक्रय के खर्च के प्रति किए जाएं और शेष सरकार को समपहृत किया जाए। वर्ष 1947 के पश्चात् इस अधिनियम की कोई सुसंगतता नहीं है।

5. शेरिफ फीस अधिनियम, 1852 का अधिनियम 8

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बंबई, कलकत्ता और मद्रास के प्रेसीडेन्सी शहरों में उस समय शेरिफ का पारितोषिक देने के लिए किया गया था जब शेरिफ न्यायालयों द्वारा जारी विधिक प्रक्रिया का नि-पादन करते थे । अब शेरिफ न्यायिक या कार्यपालिक कृत्यों का नि-पादन नहीं करते । वे गैर-राजनीतिक, गैर-कार्यपालिक कृत्यों का पालन करते हैं और विभिन्न शहर संबंधी कृत्यों और सम्मेलनों की अध्यक्षता करते हैं । शेरिफों को अब केंद्रीय सरकार द्वारा संदत्त नहीं किया जाता है । इस अधिनियम के अधिकांश उपबंध निरसित हो गए हैं । केवल प्रवर्तनशील धारा अब धारा 8 है जो नि-पादन के लिए चुने गए व्यक्तियों के भाग जाने की दशा में शेरिफ के दायित्व के बारे में है । यह अब सुसंगत नहीं है क्योंकि अब शेरिफ प्रशासनिक अधिक्रम में केवल औपचारिक स्थिति का उपभोग करते हैं ।

6. संथाल परगना अधिनियम, 1855 का अधिनियम 37

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन संथाल जनजाति के व्यक्तियों द्वारा निवसित कतिपय जिलों को सामान्य विधियों और विनियमों के प्रवर्तन से हटाने के लिए किया गया था । अधिनियम की उद्देशिका में यह उल्लेख है कि बंगाल की प्रेसीडेन्सी में अभी प्रवृत्त साधारण विनियम और सरकार के अधिनियम संथाल कहे जाने वाले लोगों के असभ्य मूलवंश के अनुकूल नहीं हैं । अधिनियम इस जनजाति द्वारा निवसित जिलों में ऐसी विधियों के प्रवर्तन से हटाने के लिए कारण के रूप में उद्धृत करता है । अधिनियम उस जनजातीय जनसंख्या का वर्णन करने के लिए ऐसी भा-ना का उपयोग करता है जो आधुनिक समय में ऐसा कोई स्थान नहीं है । अधिनियम की भा-ना संविधान की भावना के प्रतिकूल है । इसके अतिरिक्त संथाल क्षेत्र प्रशासन अब संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन आता है । अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाना चाहिए जैसाकि यह पी.सी. जैन आयोग द्वारा उसके परिशि-ट ए-5 में भी सिफारिश किया गया है ।

7. संथाल परगना अधिनियम, 1857 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ने संथाल परगना अधिनियम, 1855 को संशोधित किया और अधिनियम को कतिपय अन्य क्षेत्रों को लागू होने के लिए विस्तारित किया। 1855 अधिनियम के निरसन का कारण इस अधिनियम को भी लागू होता है। इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश पी. सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशिष्ट ए-5 में की गई है।

8. ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1857 का अधिनियम 5

प्रवर्ग : ऊर्जा विधि

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन ओरियन्टल गैस कंपनी को ईंधन गैस के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण के प्रयोजन के लिए कलकत्ता में पाइप डालने की शक्ति जैसी कतिपय शक्तियां प्रदान करने के लिए किया गया था। ओ. जी. सी. मूलतः अंग्रेजी कंपनी थी जो अब समाप्त हो गई है। यह पश्चिमी बंगाल राज्य द्वारा ग्रहण किया गया और इस का विलय वृहत्तर पब्लिक उपयोगिता कंपनी में किया गया। मूल 1857 अधिनियम अब कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता। पी.सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशिष्ट ए-1 में और 10वें विधि आयोग द्वारा इसकी 96वीं रिपोर्ट में दोनों द्वारा निरसन की सिफारिश की गई है।

9. ओरियन्टल गैस कंपनी, 1867 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : ऊर्जा विधि

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन ओरियन्टल गैस कंपनी अधिनियम, 1857 का प्रवर्तन कतिपय प्रांतों पर विस्तार के लिए किया गया था जो कलकत्ता शहर से बाहर स्थित थे। 1857 अधिनियम के निरसन का कारण इस अधिनियम को भी लागू होता है।

10. मद्रास अप्रतिश्रुत अधिकारी अधिनियम, 1857 का अधिनियम 7

प्रवर्ग : सरकारी कर्मचारी

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम का अधिनियमन फोर्ट सेन्ट जार्ज की प्रेसीडेन्सी में राजस्व और

न्यायिक विभागों में अप्रतिश्रुत अधिकारियों के और व्यापक नियोजन का उपबंध करने के लिए किया गया था। “प्रतिश्रुत” और “अप्रतिश्रुत” अधिकारियों के बीच विभेद अब भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के अधिक्रम में लागू नहीं है। यह ऐसे उन जो ब्रिटिश सरकार के भीतर प्रतिश्रुत के अधीन नियुक्त थे और वे जो प्रतिश्रुत नहीं थे, के बीच भारतीय अधिकारियों का पुराना विभाजन था। अधिकारियों का यह वर्गीकरण 1886 के लोक सेवा आयोग के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया। इस अधिनियम का कोई प्रलेखित उपयोग भी नहीं है। अतः, यह अधिनियम अप्रचलित है। पी. सी. जैन आयोग ने अपने परिशिष्ट ए-5 द्वारा इस अधिनियम को निरसित करने की सिफारिश की है।

11. हावड़ा अपराध अधिनियम, 1857 का अधिनियम 21

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन कलकत्ता के एक उपक्षेत्र जहां चित्रित हावड़ा स्टेशन स्थित है, हावड़ा की सीमाओं के भीतर किए गए विभिन्न अपराधों के लिए दंड विहित करने हेतु किया गया था। तथापि, अधिनियम सापेक्षतः महत्वहीन दंड और जुर्माने का अधिकथन करता है जबकि भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य आपराधिक विधियों में उन्हीं अपराधों के लिए कठोर शास्तियों का उल्लेख है। हाल में इस अधिनियम का उपयोग नहीं किया गया है, अंतिम बार 1956 में मामला दर्ज किया गया था। जहां यह अधिनियम निरर्थक है, वहीं भारतीय दंड संहिता (या कुछ अन्य विधि) के अधीन और कठोर शास्तियों से बचने के विधिक बचाव हेतु इसके उपयोग के बारे में अब भी चिन्ता बनी है। पी. सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशिष्ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई थी।

12. कलकत्ता पाइलट अधिनियम, 1859 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ऐसे पाइलटों जो कलकत्ता पत्तन के हुगली पाइलट सेवा में नियोजित थे और कर्तव्य भंग के दो-नी थे, के विचारण के लिए न्यायालय गठित करने का उल्लेख करता है। तथापि, इस अधिनियम के अधीन न्यायालयों के गठित होने या मामले दर्ज किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। हुगली पाइलट सेवा

का आमेलन कलकत्ता पाइलट सेवा के साथ कर दिया गया है जिसका अपना विनियम है। अतः, यह अधिनियम निरर्थक है।

13. सरकारी मुद्रा अधिनियम, 1862 का अधिनियम 3

प्रवर्ग : प्रशासन से संबंधित अवशिष्ट विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन कतिपय दस्तावेजों के प्रमाणन के लिए मुद्राओं के उपयोग के बारे में सभी संदेहों को दूर करना है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की मुद्रा के स्थान पर स्थानीय सरकार की मुद्रा का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देता है। 148वें विधि आयोग रिपोर्ट, 1993 द्वारा इस अधिनियम के निरसन पर विचार किया गया था। रिपोर्ट में उल्लेख है कि इस अधिनियम के अनुसार मुद्रांकित दस्तावेजों और लिखतों के कतिपय अधिकार और दायित्व उद्भूत हो सकते हैं जिसे संविधान के अनुच्छेद 294 और 295 के अधीन भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वीकार और आश्वस्त किया गया है। जहां विधि आयोग ने इस अधिनियम के अधीन मुद्रांकित दस्तावेजों को विधिमान्य ठहराने के व्यावृत्ति खंड के साथ इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश नहीं की थी, फिर भी इस अधिनियम को विधिमान्यतः निरसित किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मुद्रा की अपेक्षा वाले दस्तावेजों की स्थिति अब उद्भूत नहीं हो सकती है।

14. बंजर भूमि (दावे) अधिनियम, 1863 का अधिनियम 23

प्रवर्ग : भूमि विधि

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बंजर भूमि के संबंध में किए गए दावों के न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए किया गया था। अधिनियमन के समय कृषि के लिए उपयोग न की गई सभी भूमि बंजर भूमि थी और औपनिवेशिक राज्यों ने इन भूमियों पर नियंत्रण प्रख्यापित किया था।

तथापि, अधिकांशतः जिसे पहले बंजर भूमि माना जाता रहा था का प्रशासन अब भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन किया जा रहा है। बंजर भूमि को अब ग्राम समाज की सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है।

इस अधिनियम के जारी रहने से बंजर भूमियों के आसपास की भूमि का प्रबंध औपनिवेशिक मानसिकता के चिरस्थायी होने को प्रेरित करेगा। पी. सी. जैन आयोग द्वारा अपने परिशि-ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है।

15. अवध उप-समझौता अधिनियम, 1866 का अधिनियम 26

प्रवर्ग : भूमि विधि

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन प्रांत में संपत्ति हक का दावा करने वाले व्यक्तियों के दावों का अवधारण करने हेतु अवध के मुख्य आयुक्त द्वारा बनाए गए नियमों को प्रवृत्त करने के लिए किया गया था। अधिनियम निरर्थक है क्योंकि अवध अब प्रशासनिक इकाई नहीं रह गया है।

16. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866 का अधिनियमन 21

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन इस आधार पर हिंदू से ईसाई को संपरिवर्ती के विवाह के विघटन की अनुज्ञा देने के लिए किया गया था जो कि वे पति/पत्नी द्वारा धार्मिक आधारों पर अधित्यजित/विखंडित किए गए हैं। यह संपरिवर्तित व्यक्ति द्वारा न कि उसके पति या पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद की कार्यवाहियां आरंभ करने हेतु समर्थ बनाता है। सर्वप्रथम 18वीं विधि आयोग रिपोर्ट (1960) में अधिनियम की व्याप्ति पर विचार किया गया जिसने इसकी सीमित व्याप्ति के कारण अधिनियम के निरसन की सिफारिश की। इस अधिनियम के जारी रखने पर इस तथ्य के आलोक में विचार किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ** [ए.आई.आर. 1995 एस. सी. 1531] वाले मामले में यह कहा कि संपरिवर्तित व्यक्ति के विधियों के अधीन विवाह के विघटन की अनुज्ञा देना उस अन्य पति/पत्नी के विद्यमान अधिकारों को न-ट करने के बराबर है जो उसी धर्म में बना रहता है।

17. सराय अधिनियम, 1867 का 22

प्रवर्ग : व्यापार और वाणिज्य

सिफारिश : राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक सरायों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें रजिस्ट्रीकरण, चरित्र प्रमाणपत्र और अन्य के साथ-साथ सराय रक्षक से लिखित रिपोर्ट से संबंधित उपबंध सम्मिलित है। यह अधिनियम निरर्थक हो गया है क्योंकि होटल पहले ही सुसंगत राज्य विधानों और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं। आगे, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया गया है कि पुलिस और पर्यटन अधिकारियों ने सराय अधिनियम के उपबंधों का पालन करने की असफलता के लिए हाल ही में होटल मालिकों को तंग किया। अतः, इस अधिनियम को अब निरसित किया जाए। पी. सी. जैन आयोग द्वारा उसके परिशिष्ट ए-5 में भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

18. गंगा पथकर अधिनियम, 1867 का अधिनियम 1

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन गंगा के नौ-वहन के सुधार के लिए पथकर लगाने को प्राधिकृत करने के लिए किया गया था। अधिनियम में वर्तमान समय से असंगत प्राचीन भा-ना का उपयोग है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम निरर्थक हो गया है जब रा-ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागीरथी, हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया विस्तार) अधिनियम, 1982 का अधिनियमन हो गया है जो इस अधिनियम की व्याप्ति को समाविष्ट करता है। 1982 अधिनियम में पोत और नौ-वहन के प्रयोजनों के लिए गंगा-भागीरथी-हुगली के विनियमन और विकास का उपबंध है और क्षेत्र में पथकर के उद्ग्रहण को भी प्राधिकृत करता है। पी. सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशिष्ट ए-1 में और 148वें विधि आयोग रिपोर्ट द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

19. अवध संपदा अधिनियम, 1869 का अधिनियम 1

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : राज्यों के परामर्श से निरसन

यह अधिनियम अवध के कतिपय संपदाओं में तालुकदार और अन्य भू-धारकों को परिभाषित और उनके उत्तराधिकार अधिकारों को विनियमित करता है। अवध और तालुकदारी व्यवस्था दोनों अब विद्यमान नहीं हैं। अतः, इस अधिनियम के उपबंध निरर्थक हैं।

20. अवध तालुकदार अनुतो-न अधिनियम, 1870 का अधिनियम 24

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : राज्यों के परामर्श से निरसन

अवध में, औपनिवेशिक और पूर्व-औपनिवेशिक भारत में, कई तालुकदार ऋणी थे और परिणामतः उनकी स्थावर संपत्ति बंधक और धारणाधिकार के अधीन थी। यह अधिनियम इन तालुकदारों के ऋणों के निपटान और उन्हें मुक्त करने की प्रक्रिया उपबंध करता है। उपरोक्त प्रविष्टि के वर्णनानुसार न तो अवध के राजसी राज्य और न ही तालुकदारी व्यवस्था अब विद्यमान हैं। अतः, इस अधिनियम के उपबंध निरर्थक हैं।

21. देहरादून अधिनियम, 1871 का अधिनियम 21

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन सहारनपुर में प्रवृत्त साधारण विनियमों और अधिनियमों का प्रवर्तन देहरादून के भीतर विधिमान्य बनाने के लिए किया गया था। यह विभिन्न विधायी अधिनियमितियों द्वारा देहरादून राज्यक्षेत्र को एक अधिकारिता से दूसरी अधिकारिता में कई बार परिवर्तित होने के कारण यह किया गया। 148वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 1993 ने विचार किया किंतु यह मत व्यक्त करते हुए कि किसी विशिष्ट वर्ग में किए गए राज्यक्षेत्रीय परिवर्तन किसी राज्यक्षेत्रीय परिवर्तन जिससे विधिक मुद्दे पैदा हो सकते हैं, के परिणाम से निपटने के लिए पूर्व में पारित सभी अधिनियमितियों को निरर्थक नहीं ठहराते, इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश नहीं की। तथापि, देहरादून अब उत्तराखंड राज्य की राजधानी है और उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अधिनियमित सभी विधियां देहरादून को लागू होंगी। आगे, इस कानून के अधिनियमित किए जाने के समय से लेकर विधिक परिणामों के समाधान के लिए अब तक 140 वर्ष से अधिक समय बीत गए हैं। अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जा सकता है।

22. पंजाब विधियां अधिनियम, 1872 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ऐसी कतिपय विधियां घोषित करता है जो पंजाब और दिल्ली में प्रभावी हैं। इसे 1956 में आधुनिक पंजाब राज्य की उपयोग्यता को बदलने के लिए संशोधित किया गया। विस्तारी विधियों के अलावा यह स्थानीय रुढ़ियों को विधिमान्य ठहराता है, स्थानीय पहरेदार स्थापित करता है और पुलिस को संदाय करने के लिए स्थानीय कर उगाहने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियां पुरानी हैं और नई विधियां विद्यमान हैं जो उन्हीं विधियों के बारे में हैं। अतः, इस तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन कि प्रवृत्त विधि उसकी उपयोग्यता के लिए एकमात्र इस अधिनियम पर निर्भर नहीं है, इस अधिनियम को निरसित किया जा सकता है। पी. सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशिष्ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन के लिए भी सिफारिश की गई है।

23. विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : अंतरराष्ट्रीय संबंध

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

यह अधिनियम सरकार को ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जो विदेशी राज्य द्वारा भारतीयों की भर्ती का निवारण करती थी। अधिनियम सरकार को ऐसी शर्त विनिर्दिष्ट करने का व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है जिसके अधीन व्यक्तियों को विदेशी राज्य द्वारा भर्ती किए जाने से वर्जित किया जा सकेगा। विधि आयोग के राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर 43वीं रिपोर्ट (1971) के अनुसार, ऐसा व्यापक विवेकाधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन आजीविका का स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रत्याभूति को सारतः अतिक्रमण कर सकता है। 2006 की दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट ने भी यह मत व्यक्त किया कि यह अधिनियम पुराना हो गया है। पी. सी. जैन आयोग द्वारा अपने परिशिष्ट ए-1 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

24. विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874 का अधिनियम 15

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम भारत के विधायी परिन्द् और भारत के गवर्नर जनरल परिन्द् द्वारा पारित कतिपय विधियों के राज्यक्षेत्रीय विस्तार की घो-णा करता है । इस अधिनियम की पांच अनुसूचियां हैं जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत, बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसीडेन्सी और बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसीडेन्सी के उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों को लागू विधियों का उपवर्णन करती है । इस अधिनियम में वर्णित राज्य क्षेत्रीय विभाजन 1947 से पूर्व के हैं और राज्यों के वर्तमान परिसीमन के लिए इसकी कोई सुसंगतता नहीं है । विधियों की राज्य क्षेत्रीय उपयोग्यता का अवधारण अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम जैसी नई विधि के अधीन किया जाता है । अतः, इस अधिनियम को इस तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन कि प्रवृत्त विधि अपनी उपयोग्यता के लिए एकमात्र इस अधिनियम पर निर्भर नहीं है, निरसित किया जा सकता है । पी. सी. जैन आयोग द्वारा उसके परिशि-ट ए-1 में इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

25. मध्य प्रांत विधि अधिनियम, 1875 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम मध्य प्रांत को विधियों के विस्तार के बारे में है । चूंकि मध्य प्रांत अब प्रशासनिक इकाई नहीं रह गया है, अतः इस विधि को उपरोक्त मद 21 की तरह उसी रीति से निरसित किया जा सकता है । पी.सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशि-ट ए-1 में भी निरसन की सिफारिश की गई है ।

26. अवध विधि अधिनियम, 1876 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन अवध के राजसी राज्य में लागू की जाने वाली विधियों का संशोधन और घो-णा के लिए किया गया था। ये विधियां भू-राजस्व और दत्तकग्रहण, संरक्षकता, उत्तराधिकार और विभाजन से संबंधित मुद्दों जैसी विधियों के बारे में थी । अवध उत्तर प्रदेश के अवध के नाम से अब एक क्षेत्र है और पृथक् प्रशासनिक इकाई नहीं रह गया है । अतः, यह विधि निरर्थक है ।

27. नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 का 19

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन के लिए विचार

अधिनियम राज्य सरकार को ऐसे प्रदर्शनों का प्रतिरोध करने की शक्ति प्रदान करता है जो कलंकात्मक, मानहानिकारक या घृणा की भावना उकसाने वाले जैसे हैं। ऐसे प्रतिरोधों की अवज्ञा करने पर शास्ति लगाई जा सकती है। इसका अधिनियमन औपनिवेशिक युग के दौरान किया गया और नाट्य प्रदर्शनों द्वारा रा-ट्रीय भावना के प्रचार को रोकने के लिए व्यापक उपयोग किया गया। आधुनिक लोकतंत्रात्मक समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। दिल्ली और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों ने इसे निरसित कर दिया है। वर्ष 2013 में, एन. वी. शंकरन उर्फ गनानी बनाम तमिलनाडु राज्य [2013(1) सी.टी.सी. 686] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तमिलनाडु नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1954 की धारा 2(1), 3, 4, 6 और 7 तथा तमिलनाडु नाट्य प्रदर्शन नियम, 1955 का नियम 4 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण करती हैं। ये उपबंध सारतः केंद्रीय विधान के समरूप हैं जिन्हें इन्हीं आधारों पर निरसन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

28. हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 का अधिनियम 6

प्रवर्ग : पर्यावरणीय विधि

सिफारिश : निरसन

अधिनियम आत्म रक्षा के मामलों या अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार के सिवाय जंगली हाथियों को मारने, क्षतिग्रस्त करने या पकड़ने को अपराध बनाता है। तथापि, अधिनियम इसके अतिक्रमण के लिए केवल 500/- का नगण्य जुर्माना और पश्चात्पूर्ति अतिक्रमण पर जुर्माने के साथ 6 मास का कारावास अधिरोपित करता है। अधिनियम का प्रयोजन अब वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा समाप्त हो गया है जिसमें वन्य प्राणियों को मारने के प्रतिरोध और अनुज्ञप्ति का प्रक्रिया के समरूप उपबंध हैं। हाथियों को 1972 अधिनियम की परिधि में सम्मिलित किया गया है जिसमें भी अधिक कठोर शास्तियां हैं। अतः, 1879 अधिनियम निरर्थक है।

29. दककन कृ-क राहत अधिनियम, 1879 का अधिनियम 17

प्रवर्ग : कृषि और पशुपालन

सिफारिश सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन दक्कन के कतिपय भागों के ऋणी कृषकों को उबारने का उपबंध करने के लिए किया गया था । क्षेत्र के सुसंगत राज्य अर्थात् महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने अब पृथक् ऋण राहत विधियां बना ली हैं । अतः, इस अधिनियम का प्रयोजन अन्य विधियों द्वारा समाहित कर लिया गया है । तथापि, चूंकि कृषि ऋणता के विनय हेतु सक्षम विधायिका राज्य है, अतः निरसन का आरंभ तदनुसार किया जाए । उदाहरणार्थ, पूर्व बम्बई राज्य ने व्यक्ततः 1879 अधिनियम को निरसित कर दिया है । अधिनियम के निरसन की सिफारिश उन राज्यों के लिए की जाए जिसे यह अधिसूचना द्वारा विस्तारित किया गया है ।

30. रायपुर और खात्र विधि अधिनियम, 1879 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन शेन बांकुरा में प्रवृत्त विधियों को इन स्थानों पर उन्हीं विधियों को प्रवृत्त करने के लिए किया गया था जब रायपुर और खात्र का अंतरण बांकुरा जिले में किया गया । यह अवधारणात्मकतः देहरादून अधिनियम, 1871 के समरूप है और उन्हीं कारणों से निरसित किया जा सकता है ।

31. फोर्ट विलियम अधिनियम, 1881 का अधिनियम 13

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम बंगाल के फोर्ट विलियम के बेहतर शासन का उपबंध करता है और चीफ आफ आर्मी स्टाफ को अधिनियम में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति दी गई थी (धूल या कूड़ा फेंकना, उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना, सार्वजनिक रूप से अनुचित व्यवहार करना जैसे कुछ मामले) । अधिनियम इन नियमों के उल्लंघन के लिए 50/- रु० का अल्प जुर्माना या 4 दिन के कारावास के हल्की शास्ति अधिरोपित करता है । 148वीं विधि

आयोग रिपोर्ट, 1993 द्वारा असंवैधानिक होने के कारण अधिनियम के निरसन पर विचार किया। यह मत व्यक्त किया गया कि “अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अतिक्रमण के आरोपी व्यक्तियों का विचारण और दंड देने की शक्ति भारतीय सेना के कमीशन अधिकारी को प्रत्यायोजन संविधान की सामान्य स्कीम के प्रतिकूल है और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की नीति निर्देशक सिद्धांत का विरोध करता है।” यद्यपि विधि आयोग इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश नहीं करता किंतु पी.सी. जैन आयोग ने अपने परिशि-ट ए-5 में ऐसा किया है।

32. कृ-क उधार अधिनियम, 1884 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : कृ-नि और पशुपालन

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन उत्तरी भारत तकवी अधिनियम, 1879 के कतिपय राज्यक्षेत्रों के विस्तार का उपबंध करने और संशोधन करने के लिए किया गया था। 1879 अधिनियम का अधिनियमन उत्तरी-पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत और पंजाब, चीफ कमिश्नर आफ अवध, मध्य प्रांत, असम और अजमेर के उप-राज्यपालों द्वारा शासित राज्यक्षेत्रों में भू-धारकों को दिए गए कतिपय अग्रिमों की वसूली का उपबंध करने के लिए किया गया था। 1879 अधिनियम का उल्लेख विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित केंद्रीय अधिनियमों की कालानुक्रमिक सूची में नहीं है, अतः अब अस्तित्व में नहीं है। 1884 अधिनियम अब प्रचलित है और पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट द्वारा अपने परिशि-ट ए-5 में निरसन के लिए सिफारिश की गई है।

33. जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 का अधिनियम 6

प्रवर्ग : प्रतीक, अभिलेख और सांख्यिकी

सिफारिश : निरसन

अधिनियम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित लोगों के साथ-साथ कतिपय वर्ग के व्यक्तियों, मुख्यतः ईसाइयों और पारसियों के जन्म और मृत्यु के स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है। विधि आयोग की 211वीं रिपोर्ट ने इस अधिनियम के शीर्षक को ‘भ्रामक’ बताया क्योंकि अधिनियम में स्वैच्छिक या अनिवार्य विवाह के रजिस्ट्रीकरण का कोई उपबंध नहीं है। किसी विशि-ट धर्म के

केवल कतिपय वर्ग के लोगों का रजिस्ट्रीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत होने की संभाव्यता है। इसके अतिरिक्त, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का उपबंध पहले ही जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन उपबंधित है जबकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम आदि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होता है। पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट द्वारा अपने परिशिष्ट ए-5 में निरसन के लिए इस अधिनियम की सिफारिश की गई है।

34. अवध राजा संपदा अधिनियम, 1887 का अधिनियम 19

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन वाजिद अली शाह, अवध के पूर्व राजसी राज्य का राजा, की संपदा के प्रशासन का उपबंध करने के लिए किया गया था। अधिनियम अवध के राजा की संपत्ति के प्रशासन में कार्य करने हेतु और उसके विरुद्ध किए गए सभी दावों को पूरा करने के लिए गवर्नर जनरल सपरिन्द् को पूर्ण प्राधिकार देता है। चूंकि इस अधिनियम के अधिनियमन से अब तक लगभग 130 वर्ष पूरे हो चुके हैं और गवर्नर जनरल सपरिन्द् की प्रास्थिति अब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह कहना निरापद है कि उस प्रयोजन जिसके लिए इस अधिनियम का अधिनियमन किया गया था पूरा हो चुका है। पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट द्वारा (परिशिष्ट ए-5) निरसन के लिए इस अधिनियम की भी सिफारिश की गई है।

35. अवध संपदा राजा अधिनियम, 1988 का अधिनियम 14

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन अवध के राजा की संपदा के प्रशासन का और उपबंध करने के लिए किया गया था। 1887 अधिनियम के निरसन का कारण इस अधिनियम को भी लागू होता है। पी. सी. जैन आयोग द्वारा अपने परिशिष्ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

36. संयुक्त प्रांत अधिनियम, 1890 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों और अवध के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए किया गया था । यह उन क्षेत्रों में कतिपय विधियों का निरसन और विस्तार करता है और अवध में राजस्व बोर्ड की स्थापना करता है । चूंकि इन सत्ताओं में से कोई अब प्रशासनिक ईकाइयां नहीं है अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए ।

37. सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 का अधिनियम 8

प्रवर्ग : महिला और बाल विकास

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन सुधार विद्यालयों से संबंधित विधि का संशोधन करने और “नवयुवक अपराधियों” से निपटने के लिए और उपबंध करने के लिए किया गया था । यह सुधार विद्यालयों की स्थापना करने, उनका निरीक्षण करने और न्यायालयों के लिए इन विद्यालयों को नवयुवक अपराधियों को निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है । यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल होगा क्योंकि यह केवल 15 वर्ष की आयु के बालकों को लागू है न कि लड़कियों के लिए । अधिनियम सुधार विद्यालयों में ‘निरोध’ का उल्लेख करता है जो किशोर न्याय (बालकों की सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम, 2000 की स्कीम के विरुद्ध है जो 18 वर्ष की आयु से कम उम्र की आयु के सभी बच्चों के लिए किशोर न्याय प्रक्रिया को शासित करता है और विधि के प्रतिकूल किशोरों के लिए संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह की स्थापना का उपबंध करता है । इसके आलोक में, सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897 नए विधि के प्रतिकूल है ।

38. पशुधन आयात अधिनियम, 1898 का अधिनियम 9

प्रवर्ग : सार्वजनिक स्वास्थ्य

सिफारिश : नए विधि के पुरःस्थापन के साथ निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन ऐसे पशुधन जो संदूनित या संक्रामक विकार रोग से प्रभावित हो सकते हैं, के आयात के विनियमन का उपबंध करने के लिए किया गया था । चूंकि अधिनियम के उपबंध आधुनिक विकास के अनुरूप नहीं पाए गए इसलिए इस अधिनियम को कृति जैव-सुरक्षा विधेयक, 2013 (जो लोकसभा में

व्यपगत हो गया) द्वारा निरसित और प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। 2013 विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में विनिर्दिष्ट: यह उल्लेख है कि यह अधिनियम और नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 “पुराने विधान हैं और इन अधिनियमों के अपर्याप्त या अप्रचलित परिभाषाओं को नवीनतम करने की आवश्यकता है। तथापि, इस अधिनियम को निरसित किए गए उपबंधों के स्थान पर नए उपबंध बनाए बिना निरसित नहीं किया जा सकता है।

39. राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1991 का अधिनियम 10

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को उद्घोषित क्षेत्र में सार्वजनिक सभा करने का प्रतिषेध करने की शक्ति प्रदान करता है यदि ऐसी सार्वजनिक सभा से राजद्रोह बढ़ने की संभावना है। इस अधिनियम का अधिनियमन रा-ट्रवादियों द्वारा की जाने वाली सभाओं पर शिकंजा कसने के प्रयोजन से किया गया था। अधिनियम में “विद्रोह या सार्वजनिक उद्दीपन कारित करने की संभावना” प्रतिनिद्ध है किंतु अपराध का सृजन करने वाले विनिर्दिष्ट उपबंध अस्पष्टता से ग्रस्त हैं। स्थिति यह है कि प्राइवेट बैठकें भी धारा 3(2) के आधार पर इस अधिनियम के अधीन आती हैं, इसके उपबंध असम्यक् रूप से कठोर हैं। इस औपनिवेशिक विधान की सातत्यता भारतीय दंड संहिता के अधीन राजद्रोह से संबंधित व्यापक उपबंध होने के कारण अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के उपबंधों का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और (ख) के अधिकारातीत होने की संभावना है।

40. बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम विधियां, 1912 का अधिनियम 7

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम प्रांतों के प्रशासनिक पुनर्गठन के परिणामस्वरूप किया गया था। विद्यमान विधियों के कतिपय निर्देशों के अर्थान्वयन को इस अधिनियम के परिणामस्वरूप रूपांतरित किया गया। इस अधिनियम की प्रशासनिक आवश्यकताएं समाप्त हो गई हैं और इसे निरसित किया जाए। पी. सी. जैन आयोग द्वारा अपने परिशिष्ट ए-5 में भी इसके निरसित

किए जाने की सिफारिश की गई थी ।

41. वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम, 1912 का अधिनियम 8

प्रवर्ग : पर्यावरणीय विधि

सिफारिश : निरसन

अधिनियम में उपाबद्ध अनुसूची में सम्मिलित किसी पक्षी या पशु को पकड़ने, मारने या व्यापार करने को अपराध बनाया गया । अधिनियम के प्रयोजन को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा समाहित कर लिया गया है जो वन्य पशु, पक्षी और पौधों को और अधिक कठोर शास्तियों के साथ संरक्षण सुनिश्चित करता है ।

42. नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : कृषि और पशुपालन

सिफारिश : नई विधि के पुरःस्थापन के साथ निरसन

अधिनियम का अधिनियमन किसी कीट, कवक या पीड़क जंतु जो फसलों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं, के भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाने और परिवहन से निवारित करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का निरसन और प्रतिस्थापन कृषि जैव सुरक्षा विधेयक, 2013 द्वारा प्रस्तावित था जैसा पशु आयात अधिनियम, 1898 के मामले में था [इस सूची के मद सं. 35 पर] । यह विधि प्राचीन है और निरसित की जाए, तथापि, विनय-वस्तु को शासित करने के लिए नई विधि अधिनियमित की जाए ।

43. अवध राजा संपदा विधिमान्य अधिनियम, 1917 का अधिनियम 12

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन अवध के राजा की कतिपय संपत्तियों से संबंधित हस्तांतरण विलेख और न्यास विलेख को विधिमान्य करने के लिए किया गया था । उक्त हस्तांतरण विलेखों और न्यास विलेख की प्रतियां इस अधिनियम की अनुसूची में उपाबद्ध हैं । 1887 अधिनियम और 1888 अधिनियम (इस सूची की प्रविष्टि 31

और 32) के निरसन के कारण इस अधिनियम को भी लागू होते हैं। पी. सी. जैन आयोग द्वारा अपने परिशिष्ट ए-5 में भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

44. पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 का अधिनियम 22

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस औपनिवेशिक अधिनियम को रा-द्रवादी क्रियाकलापों का पुलिस कर्मियों के बीच द्रोह फैलाने का अपराध मानते हुए रोकने के रूप में सम्मिलित किया। अधिनियम के शब्द अपर्याप्त हैं और दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। अधिनियम यह स्पष्ट नहीं करता कि “द्रोह” क्या होता है। यह विधि वाक् स्वातंत्र्य पर पर्याप्त अवरोध के रूप में कार्य करता है, यद्यपि यह अप्रचलित विधि नहीं है क्योंकि इसका कुछ दस्तावेजीय उपयोग है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और (ख) के संभाव्य उल्लंघन के आलोक के इस विधि पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

45. कलकत्ता शेरिफ (अभिरक्षा की शक्ति) अधिनियम, 1931 का अधिनियम 20

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम कलकत्ता के शेरिफों को व्यक्तियों को विधिपूर्ण अभिरक्षा में रखने की शक्तियां विस्तारित करता है। यदि शेरिफ से ऐसे व्यक्ति को पकड़ते समय ऐसा मार्ग अपनाने की आवश्यकता है जो उसकी अधिकारिता के बाहर है तो यह अधिनियम उसे ऐसा करने की अनुज्ञा देता है। कलकत्ता में शेरिफ द्वारा अब धारित स्थिति किसी कार्यपालक शक्ति के बिना विशुद्धतः नाममात्र की है इस प्रकार, इस अधिनियम को अनावश्यक बनाता है। इस अधिनियम के उपयोग का कोई अभिलिखित साक्ष्य नहीं है। पी. सी. जैन आयोग (परिशिष्ट ए-5) द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

46. लोकहितवाद विधिमान्य अधिकरण, 1932 का अधिनियम 11

प्रवर्ग : सिविल प्रक्रिया

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 91 और 92 के अधीन संस्थित लोकहित मामलों से संबंधित कतिपय वाद जो 1932 में लंबित थे और जिसमें राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त नहीं की गई थी को विधिमान्य ठहराने के लिए किया गया था । ये वाद सार्वजनिक उपताप और सार्वजनिक न्यास के बारे में हैं । पी. सी. जैन आयोग द्वारा अपने परिशिष्ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई थी । इस अधिनियम द्वारा शासित वादों के फाइल किए जाने के समय से अब अस्सी वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, उपयुक्त व्यावृत्ति खंड जो लंबित कार्यवाहियां, यदि कोई हैं, के निरसन द्वारा अप्रभावित होने को सुनिश्चित करता हो, के साथ इस अधिनियम को निरसित किया जाए ।

47. बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन (अनुपूरक) अधिनियम, 1932 का अधिनियम 24

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन अधिनियम, 1932 (मुख्य अधिनियम) के अनुपूरक हेतु किया गया था । अनुपूरक अधिनियम की कोई सुसंगतता नहीं है चूंकि मुख्य अधिनियम निरसित हो चुका है । इसके अतिरिक्त, पी. सी. जैन आयोग द्वारा परिशिष्ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

48. बालक (भ्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : भ्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन बालकों के गिरवीकरण के प्रतिरोध के लिए किया गया था । तथापि, अधिनियम का प्रयोजन धारा 2 के अधीन 'करार' की परिभाषा के परंतुक द्वारा विफल हो जाता है । जहां बालक के भ्रम के गिरवीकरण का करार

प्रतिनिद्ध है, उक्त परंतुक में यह उल्लेख है कि “बालक की हानि के बिना और बालक की सेवा के लिए संदत्त किए गए युक्तियुक्त मजदूरी के भिन्न किसी फायदे के प्रतिफल में न किया गया करार प्रतिनिद्ध नहीं है। यह परंतुक बालक श्रम को अनुमोदित करने के बराबर है यदि बालक को ‘युक्तियुक्त मजदूरी’ संदत्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना बहुत कम है और मुश्किल से निवारक का प्रयोजन पूरा करता है। दूसरे, भारतीय रा-ट्रीय श्रम आयोग, 2002 की रिपोर्ट ने अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है। रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि बालक श्रम के गिरवीकरण से संबंधित उपबंधों को देश की आपराधिक विधि के भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। इस अधिनियम के उपबंध बालक श्रम (प्रति-ध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के समतुल्य नहीं है जो अब यह अवधारित करने के लिए है कि कहां और किस शर्त के अधीन बालकों को नियोजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बालक श्रम (प्रति-ध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का वर्- 2014 में प्रस्तावित संशोधन सभी प्रकार के बालक श्रम को अवैध घो-नित करने की ईप्सा करता है। इस अधिनियम के उपबंध इन प्रगतिगामी संशोधनों के प्रतिकूल होंगे।

49. असम आपराधिक विधि संशोधन (अनुपूरक) अधिनियम, 1934 का अधिनियम 27

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का प्रयोजन असम आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1934 (मुख्य अधिनियम) को पूरा करना था। मुख्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का इस अधिनियम में उल्लेख है। इनमें से कोई विधान अब अस्तित्व में नहीं है। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 को प्रतिस्थापित किया है। अतः, अनुपूरक अधिनियम निरर्थक है।

50. बंगलौर विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1936 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : स्वीय विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का प्रयोजन बंगलौर के श्री बाटर जेम्स मैकडोनोल्ड रेडवुड (कतिपय पादरी) द्वारा संपादित कतिपय विवाहों का विधिमान्य ठहराना था।

अधिनियम अपना प्रयोजन पूरा कर चुका है । अतः, इसे निरसित किया जाना चाहिए । पी. सी. जैन आयोग ने परिशि-ट ए-1 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

51. बरार विधियां अधिनियम, 1941 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन बरार के पूर्व प्रांत को कतिपय केंद्रीय विधियों के लागू होने को विस्तारित करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का उद्देश्य 1 अप्रैल, 1937 से पहले पारित केंद्रीय अधिनियमों के उपबंधों को उस तारीख के पश्चात् पारित अधिनियमों से सम्मिलित करना था । बरार अब स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई नहीं रह गया है और महारा-ट्र राज्य का भाग गठित करता है । 148वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 1993 ने इस अधिनियम पर विचार किया और ‘प्रकट कारणों’ से इसके निरसन की सिफारिश की है ।

52. रेल (स्थानीय प्राधिकारी कर) अधिनियम, 1941 का अधिनियम 25

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन उस विस्तार को घोषित करने के लिए किया गया था जिसको रेल संपत्ति राज्य के भीतर प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर के लिए दाई होगी । तथापि, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 184 “स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा रेल पर कराधान” का उपबंध करती है । अतः, 1941 अधिनियम के प्रयोजन को 1989 अधिनियम द्वारा रक्षित किया गया है । दोनों अधिनियमों के निर्धारण के पश्चात् और उपयुक्त व्यावृत्ति उपबंध अंतःस्थापित कर, 1984 अधिनियम के निरसन पर विचार किया जा सकता है ।

53. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943 का अधिनियम 23

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन नियोक्ताओं पर युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए कर्मकारों को प्रतिकर देने के दायित्व से अधिरोपित करने और ऐसे दायित्व के प्रति नियोक्ताओं द्वारा बीमा का उपबंध करने के लिए किया गया था। पिछले पांच दशकों में इस अधिनियम के उपयोग किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के उपबंध विधिमान्यतः व्यक्तिगत क्षतियां प्रतिकर बीमा अधिनियम, 1963 के अधीन आ सकते हैं।

54. जूनागढ़ प्रशासन (संपत्ति) अधिनियम, 1948 का अधिनियम 26

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक में जूनागढ़ राज्य की कतिपय संपत्ति को निहित करने के लिए किया गया था। जूनागढ़ ब्रिटिश भारत का पूर्व राजसी राज्य था। जूनागढ़ अब गुजरात का एक जिला है और इस विधि के अधीन प्रशासित नहीं है। अतः, यह अधिनियम अब अप्रचलित है। पी. सी. जैन आयोग (परिशि-ट ए-5) ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है।

55. विधिक कार्यवाहियों का चालू रह जाना अधिनियम, 1948 का अधिनियम 38

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम तत्कालीन नव-सृजित भारत डोमीनियन या प्रांतों के विरुद्ध कतिपय कार्यवाहियों के चालू रह जाने को प्राधिकृत करता है जो 15 अगस्त, 1947 के ठीक पूर्व लंबित थे। 96वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 1984 द्वारा इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है। इसके निरसन की सिफारिश करते समय, रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि ऐसी कार्यवाहियां जो अधिनियम का निर्देश करती हैं, को अब तक निपटाया जाए और तथ्यात्मक स्थिति के सत्यापन के अधीन रहते हुए विधि को अपशि-ट मानकर निरसित किया जाए। पर्याप्त सतर्कता के साथ, एक उपयुक्त व्यावृत्ति खंड निरसनकारी विधि में अतःस्थापित किया जाए जिससे कि कोई लंबित कार्यवाही अधिनियम के निरसन से प्रभावित न हो सके।

56. मंगरोल और मानवदार (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन मंगरोल और मानवदार राज्यों की कतिपय संपत्तियों का उक्त राज्यों के प्रबंधकों में निहित करने का उपबंध करने के लिए किया गया था। मंगरोल और मानवदार दोनों ब्रिटिश भारत पूर्व राजसी राज्य थे। राज्य के सचिव में निहित संपत्तियां वे संपत्तियां थी जो मंगरोल के शेख या मानवदार के खान के नाम पर थीं। क्योंकि अब भारत में राजसी राज्य नहीं है इसलिए ये राज्यक्षेत्र इन शासकों के प्रशासन के अधीन नहीं है। मंगरोल और मानवदार दोनों अब गुजरात में जूनागढ़ जिलों की नगरपालिकाएं हैं अतः, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। यह अधिनियम अब अप्रचलित है। पी. सी. जैन आयोग (परिशि-ट ए-5) ने भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है।

57. दिल्ली होटल (आवास नियंत्रण) अधिनियम, 1949 का अधिनियम 24

प्रवर्ग : संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विधियां

सिफारिश : लंबित निरसन विधियेक पारित किया जाए

यह अधिनियम संपदा निदेशक को दिल्ली के कतिपय प्राइवेट होटलों में उपलब्ध कुल आवास का एक-चौथाई सरकारी कर्मचारियों के उपयोग के लिए आरक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की कमी के मुद्दे के समाधान के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त किया गया था। तथापि, यह मुद्दा अब जीवंत नहीं है क्योंकि भारतीय पर्यटन विकास निगम होटलों और राज्य अतिथि गृहों का उपयोग मार्गस्थ सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए व्यवस्था करने हेतु किया जा सकता है। इस संदर्भ में, इसे असंवैधानिक और अनुच्छेद 19(1)(छ) का अतिक्रमणकारी कहा जा सकता है। अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए। दिल्ली होटल (आवास नियंत्रण) निरसन विधियेक, 2014 इस समय राज्यसभा में लंबित है और इसे पारित किया जाए।

58. कंपनी (रा-टीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 का अधिनियम 54

प्रवर्ग : कारपोरेट विधियां

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम कंपनियों को कतिपय रा-द्रीय निधियों या केंद्रीय सरकार अनुमोदित पूर्त निधियों को दान देने हेतु समर्थ बनाता है । 159वीं विधि आयोग रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि कंपनी अधिनियम, 1956 में सुसंगत परिवर्तन शामिल कर इस अधिनियम को निरसित किया जाए । कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन से, अनुसूची 7 के साथ पठित धारा 135 (कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व) कंपनियों पर सामाजिक और पूर्त प्रयोजन के लिए अपने लाभ का विनिर्दि-ट प्रतिशत अभिदाय करने का आज्ञापक कर्तव्य अधिरोपित करती है । अतः, इस अधिनियम के प्रयोजन को 2013 अधिनियम द्वारा शामिल कर लिया गया है । जुलाई 2014 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने यह पु-ट किया कि इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को पहले ही नए कंपनी अधिनियम, 2013 में सम्मिलित कर लिया गया है । अतः, यह अधिनियम निरर्थक है ।

59. भारतीय स्वतंत्र पाकिस्तान न्यायालय (लंबित कार्यवाहियां) अधिनियम, 1952 का अधिनियम 9

प्रवर्ग : न्याय प्रशासन

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन कतिपय डिक्री और आदेश जो पाकिस्तान के न्यायालयों द्वारा पारित किए गए थे, को अप्रभावित करने और ऐसे व्यक्ति जो ऐसी डिक्रियां या आदेश प्राप्त कर चुके थे, को अनुकल्पी उपचार प्रदान करने हेतु किया गया था । अतः, अधिनियम ऐसी अस्थायी स्थिति से निपटने के लिए था जो भारत के विभाजन के पश्चात् विद्यमान था ।

इस अधिनियम पर 96वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 1984 द्वारा विचार किया गया किंतु निरसन की सिफारिश नहीं की गई थी । रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यद्यपि यह प्रतीत होता है कि अब अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह गई है, किंतु पूर्णतः निश्चित रूप से यह कहना असंभव है कि अधिनियम द्वारा यथाशासित कोई ऐसा वाद इस समय फाइल नहीं किया जा सकता है ।

तथापि, 96वीं विधि आयोग रिपोर्ट द्वारा इस नि-क-र्न पर पहुंचे हुए और तीस व-र्न बीत चुके हैं । आगे, अधिनियम में परिसीमा खंड यह विनिर्दि-ट करता है कि

अधिनियमिति की तारीख या डिक्री की तारीख, जो बाद में हो से एक वर्ग के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन कोई वाद संस्थित न किया जाए । इस प्रकार, कोई नई कार्यवाही परिसीमा द्वारा स्प-टतः वर्णित है और किसी लंबित कार्यवाही को उपयुक्त व्यावृत्ति खंड द्वारा रक्षित किया जा सकता है ।

60. चन्द्रनागोर (बिलयन) अधिनियम, 1954 का अधिनियम 36

प्रवर्ग : राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

सिफारिश : निरसन

अधिनियम का अधिनियमन चन्द्रनागोर फ्रांस राज्यक्षेत्र का पश्चिमी बंगाल राज्य में बिलयन का उपबंध करने के लिए किया गया था । राज्यक्षेत्रों का बिलयन हो गया है और अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो गया है । अधिनियम का अब कोई उपयोग नहीं है और इस शर्त के साथ निरापद रूप से निरसित किया जा सकता है कि अधिनियम के अधीन पूर्व में की गई कोई कार्रवाई विधिमान्य बनी रहेगी । पी. सी. जैन आयोग द्वारा उसके परिशि-ट-ख में भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

61. समाचार-पत्र (कीमत और पृ-ठ) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 45

प्रवर्ग : मीडिया, संसूचना और प्रकाशन

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन समाचार-पत्रों में उनके पृ-ठों के संबंध में प्रभारित कीमतों के विनियमन का उपबंध करने के लिए किया गया था जिससे समाचार-पत्रों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके । अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय सरकार को समाचारपत्रों में उनके अधिकतम और न्यूनतम पृ-ठों की संख्या, आकार या क्षेत्र और विज्ञापनों के लिए आबंटित किए जाने वाले स्थान के लिए प्रभारित कीमतों के विनियमन का उपबंध करते हुए आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है । धारा 3 को शाकल पेपर प्रा. लि. बनाम भारत संघ [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 305] वाले मामले में अनुच्छेद 19(1)(क) का अतिक्रमण करने के लिए अभिखंडित कर दिया गया था । क्योंकि मुख्य उपबंध अर्थात् धारा 3 अभिखंडित किया जा चुका है, अधिनियम के अधीन नए आदेश नहीं जारी किए जा सकते । परिणामतः, अधिनियम कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता किंतु कानूनी पुस्तक में बना रहता है और इसे निरसित किया जाए ।

62. समाचार-पत्र (कीमत और पृ-ठ) जारी रहना अधिनियम, 1961 का अधिनियम 36

प्रवर्ग : मीडिया, संसूचना और प्रकाशन

सिफारिश : निरसन

समाचार-पत्र (कीमत और पृ-ठ) अधिनियम, 1956 का मूलतः अधिनियमन पांच वर्ग की अवधि के लिए किया गया था । 1961 में अधिनियमित यह अधिनियम मूल अधिनियम जो इसके प्रवर्तन को सीमित करता था, के उपबंध को हटाकर 1956 अधिनियम को अनिश्चित काल तक जारी रहने का उपबंध करता है। चूंकि मुख्य अधिनियम को उपरोक्त कारणों से हटाया जाना चाहिए, इसीलिए, इस अधिनियम को भी निरसित किया जाए ।

63. अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 93

प्रवर्ग : मीडिया, संसूचना और प्रकाशन

सिफारिश : निरसन के लिए विचार

इस अधिनियम का अधिनियमन अल्पवय व्यक्तियों को अपहानिजनक समझे जाने वाले कतिपय प्रकाशनों के प्रचार को निवारित करने के लिए किया गया था । “अल्पवय व्यक्ति” को अधिनियम के अधीन 21 वर्ग की आयु से कम के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राप्तवय की आयु परिभाषित करने वाले कई अन्य विधानों से असंगत है । फिर भी, इस क्षेत्र में कई विधियां लागू होती हैं - भारतीय दंड संहिता विभिन्न रूपों में वाक् और प्रकाशनों को दंडित करती है । लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अन्य बातों के साथ-साथ सदृश अपहानिकर प्रकाशनों से बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था । पी. सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशि-ट ए-1 में भी इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है ।

64. स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956 का अधिनियम 105

प्रवर्ग : महिला और बाल विकास

सिफारिश : नए विधान के सहबद्ध संशोधन के साथ निरसन

अधिनियम स्त्रियों और बालकों की संस्थाओं के अनुज्ञापन का उपबंध करता है। अधिनियम के अधीन संस्था की स्थापना और अनुरक्षण स्त्रियों और बालकों के ग्रहण, देखभाल, संरक्षण और कल्याण के लिए की जाती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2012 में कहा था कि 1956 अधिनियम का अब कोई महत्व नहीं है और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रवृत्त होने के पश्चात् निरसित समझा जाए। मंत्रालय द्वारा लिए गए इस आधार की भी पुष्टि छात्रावास चन्द्र आर्य विद्यामंदिर बनाम निदेशक महिला और बाल विकास विभाग और एक अन्य [मनु/डी.ई./0566/2014] वाले मामले में वर्ष 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई। तथापि, इस बावत स्पष्टता होनी चाहिए और 1956 अधिनियम के निरसन को 2000 अधिनियम के विद्यमान निरसन और व्यावृत्ति खंड के संशोधन द्वारा लाया जाना चाहिए (जो वर्तमान में 1956 अधिनियम का उल्लेख नहीं करता)।

65. उड़ीसा बाट और माप (दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1958 का अधिनियम 57

प्रवर्ग : उपभोक्ता मामले

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में उड़ीसा बाट और माप अधिनियम, 1943 को लागू करने हेतु निरसन के लिए किया गया था। इस अधिनियम में यह उपबंध था कि जैसे ही राजस्थान बाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त हो जाएगा उड़ीसा अधिनियम निरसित हो जाएगा चूंकि इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो गया है, इसे निरसित किया जाए। पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट द्वारा इसके परिशिष्ट ए-5 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की गई है।

66. टावनकोर-कोचीन यान कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1959 का अधिनियम 42

प्रवर्ग : कर, पथकर और उपकर

सिफारिश : सुसंगत राज्यों के परामर्श से निरसन

अधिनियम का अधिनियमन ट्रावनकोर-कोचीन यान कर अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए किया गया था । इसका प्रयोजन पूरा हो चुका है और अब इसे निरसित किया जा सकता है । पी. सी. जैन आयोग ने भी अपने परिशि-ट ए-1 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

67. महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा (निरसन) अधिनियम, 1960 का अधिनियम 48

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा अधिनियम, 1923 को निरसित करने के लिए किया गया था । 1923 अधिनियम महेन्द्र प्रताप सिंह, जो मुरुसन (वर्तमान में, उत्तर प्रदेश राज्य में) के राजसी राज्य का शासक था, की संपदा और अन्य संपत्ति के समपहरण का उपबंध करता है । अधिनियम में उसकी संपत्ति उसके पुत्र को देने का उपबंध था । निरसन अधिनियम ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है और 1923 अधिनियम अब प्रवृत्त नहीं है । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है । मूल अधिनियम के अधीन लंबित कोई कार्यवाही साधारण खंड अधिनियम की धारा 6 के अधीन रक्षित की जाती रहेगी । पी. सी. जैन आयोग ने भी इस अधिनियम (परिशि-ट ए-5) के निरसन की सिफारिश की है ।

68. भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1962 का अधिनियम 31

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ने भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1894 को संशोधित किया और 20 जुलाई, 1962 के पूर्व किए कतिपय 1894 अधिनियम के अधीन कतिपय अर्जनों को विधिमान्य ठहराया । अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । 1894 अधिनियम को भूमि अर्जन में प्रतिकर और पारदर्शिता पुनर्स्थापन और पुर्नवास अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 114(1) द्वारा निरसित किया गया है और इस नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । अतः, यह अधिनियम अब निरर्थक है । पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट के परिशि-ट ए-1 द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

69. भूमि अर्जन (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम 1967 का

अधिनियम 13

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का संशोधन करने और कतिपय अर्जनों को विधिमान्य ठहराने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है । इसके अतिरिक्त जैसाकि पहले ही बताया गया है, 1894 अधिनियम को निरसित किया जा चुका है । पी. सी. जैन आयोग के परिशि-ट ए-1 द्वारा इस अधिनियम के निरसन की भी सिफारिश की गई है ।

70. दिल्ली अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) अधिनियम, 1968 का अधिनियम 49

प्रवर्ग : किराया और भू-धृति

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन नसीराबाद (अजमेर, राजस्थान के नगर पालिक क्षेत्र) के छावनी में प्रवृत्त दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, 1952 का निरसित करने के लिए किया गया था । इस अधिनियम में उपबंध था कि राजस्थान परिसर (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950 को नसीराबाद छावनी को विस्तारित किया जाए और 1952 अधिनियम को निरसित किया जाए । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । इसके अतिरिक्त, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 का अधिनियमन अब राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है जिसने राजस्थान परिसर (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950 को निरसित किया है । पी. सी. जैन आयोग ने अपने परिशि-ट ए-1 में इस अधिनियम के निरसन की सिफारिश की है ।

71. संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976 का अधिनियम 28

प्रवर्ग : संसद् और राज्य विधानमंडल

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1956 को निरसित करने के लिए किया गया था। 1956 अधिनियम को निरसित किया गया है अतः, 1976 का निरसनकारी अधिनियम अपना प्रयोजन पूरा कर चुका है। अब यह निरर्थक है। इस विनय पर नई विधि, संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1977 अब प्रवृत्त है।

72. पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 का अधिनियम 66

प्रवर्ग : सामुद्रिक विधि, पोत परिवहन और अंतर्देशीय नौवहन

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का प्रयोजन पोत परिवहन विकास निधि समिति ('समिति') का उत्सादन करना और इसकी निधियों, आस्तियों और दायित्वों का निपटान करने का उपबंध करना था। प्रयोजन की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार, इस अधिनियम के अधीन आगे कुछ नहीं करना है। पी. सी. जैन आयोग द्वारा इसके परिशिष्ट ए-1 और विधि आयोग की 159वीं रिपोर्ट, 1998 द्वारा भी इसके निरसन की सिफारिश की गई है।

संक्षिप्त विवरण

4.6 आजकल जब रा-द्रीय अर्थव्यवस्थाएं धीरे-धीरे वैश्विक 'अंतराश्रित' और 'अंतर- संबंधित' होती जा रही हैं, विधि और अर्थव्यवस्था के बीच सहजीवी अनुबंध रा-ट्र के लिए बहुत खर्चीला साबित हो सकता है। जैसेकि अर्थव्यवस्था उदार और आधुनिक होती जा रही है, लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हुए स्वाभाविक परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए विधि को परिवर्तनों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है और इस प्रकार, यह मूलभूत अपेक्षा होती जा रही है, यदि ऐसा न किया गया तो विधिक अंतराल, असंगतता और परस्पर विरोध पैदा हो जाएंगे जो 'विकास' और 'उन्नति' की प्रक्रियाओं में गंभीर बाधा पैदा करेंगे।

4.7 अंत में, यह स्मरण करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जो न्यायशास्त्र के एक प्रख्यात विद्वान पुचता ने काफी पहले कहा था : "विधि का विकास, विकास से होता है और लोगों की शक्ति से शक्तिशाली बनती है.....।" हमें आश्चर्य है कि क्या हमारी प्रणाली में 'विधि' का विकास हो रहा है और शक्तिशाली बन रही है या कई मायनों में, उदाहरणार्थ, अप्रचलित, असंगत और कानूनी पुस्तकों में बनी हुई प्राचीन विधियां अब भी

अस्त-व्यस्त और पुरानी बनी हुई हैं । तत्काल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विधियां और विधिक ढांचे प्रगामी आवश्यकताओं और समय की चुनौतियों के प्रतिसंवेदी और अनुकूल हों । आयोग को यह आशा है कि रिपोर्ट में किए गए सुझाव और सिफारिशें विधि के उस अभियान में सार्थक भूमिका निभाएंगे ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति ऊना मेहरा)
सदस्य

ह0/-
(डा. एस. एस. चाहर)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(पी. के. मल्होत्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
पदेन सदस्य

केंद्रीय विधियों के प्रवर्ग

प्रवर्ग मूल्य	प्रवर्ग	संक्षिप्त विवरण	इस प्रवर्ग में विधियों की संख्या
1.	न्याय प्रशासन	विभिन्न न्यायालयों की स्थापना और अधिकारिता और उनके कार्यकरण से संबंधित विधियां । इसके अतिरिक्त यह न्यायाधीशों और विधिक सेवाओं से संबंधित सभी विधियों को भी सम्मिलित करता है ।	38
2.	कृनि और पशुपालन	कतिपय कृनि उत्पाद और डेयरी उत्पाद, कृनि भूमि से संबंधित राहत और कृ-क अधिकार के संरक्षण के संवर्धन के लिए गठित बोर्ड जैसे कृनि से संबंधित विधियां ।	9
3	अनुकल्पी विवाद समाधान	विधियां जो अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का उपबंध करती है ।	2
4	बैंकिंग और बीमा	बैंक और बीमा निगमों के गठन, विनियमन और रा-ट्रीयकरण की विधियां	28
5	पूर्त और धार्मिक संस्थाएं, सहकारी सोसाइटी	यह प्रवर्ग पूर्त और धार्मिक संस्थाओं तथा विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के गठन और विनियमन का उपबंध करता है ।	21
6	नागरिकता; भारत में आब्रजन और प्रव्रजन तथा सीमा पार अभियान	नागरिकता और भारत में वयस्क आयु निर्धारित करने संबंधी विधियां ; विदेशी, आब्रजन विधियां और प्रत्यर्पण विधियां ।	15
7	सिविल प्रक्रिया	ऐसी विधियां जो किसी सिविल वाद के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अधिकथन करती है ।	14
8	उपभोक्ता मामले	माप विधि और उपभोक्ता संरक्षण से	6

		संबंधित विधियां	
9	संविदा और अपकृत्य	संविदा, माल विक्रय और भागीदारी संबंधी विधियां । इसके अतिरिक्त अपकृत्य से संबंधित कुछ विधियां ।	7
10	कारपोरेट विधियां	सीमित दायित्व भागीदारी, कंपनी प्रतिभूति और प्रतिस्पर्द्धा विधि सहित कंपनी से संबंधित विधियां ।	8
11	आपराधिक न्याय	मूल अपराध से संबंधित विधियां, दंड प्रक्रिया से संबंधित विधियां और पुलिस, कारागार और अन्य प्रवर्तन निकायों जैसी आपराधिक न्याय में समावि-ट विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करने और विनियमित करने वाली विधि सहित आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित विधियां ।	62
12.	भारत की रक्षा और सशस्त्र बल	सेना, नौ-सेना और वायु सेना सहित भारत के सशस्त्र बलों से संबंधित विधियां । यह आगे कन्टूनमेंट और हथियार जैसे युद्ध या बल के उपयोग से संबंधित विधियां सम्मिलित करता है ।	34
13	परिसीमन और निर्वचन	विभिन्न स्तरों पर निर्वाचनों और निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए परिसीमन से संबंधित विधियां	11
14	शिक्षा	ऐसी विधियां जो शिक्षा के अधिकार जैसे शिक्षा संबंधी सेक्टर को शासित करती है और विभिन्न शिक्षा संबंधी बोर्डों के गठन संबंधी विधियां ।	9
15	ऊर्जा विधियां	पेट्रोलियम, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, बिजली और न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी विधियां	16
16	पर्यावरण विधि	ऐसी विधियां जो पर्यावरण का संरक्षण और प्रदू-ण के निवारण का उपबंध करती है ।	13

17	वित्तीय विधियां	बैंकों से भिन्न विभिन्न विशि-टीकृत संस्थाओं सहित भारत में वित्तीय सेक्टर से संबंधित विधियां ।	45
18	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	आवश्यक वस्तु, कतिपय खाद्य उत्पाद का विनियमन, भांडागार और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना से संबंधित विधियां ।	12
19	सरकारी कर्मचारी	उनकी सेवाशर्तें और अन्य संबंधित कार्यो सहित लोक सेवक से संबंधित विधियां ।	15
20	उद्योग	सभी उद्योगों के सामान्य विनियमन और खान जैसे कतिपय उद्योगों से संबंधित विधियों का उपबंध करने वाली विधियां ।	17
21	रा-ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाएं	विधियां जो ऐसी संस्थाओं के बारे में है जिसे रा-ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घो-नित किया गया है, स्मारक हैं या सांस्कृतिक महत्व के हैं ।	18
22.	बौद्धिक संपदा विधि	व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्यधिकार और पेटेंट सहित विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा से संबंधित विधियां ।	7
23	अंतररा-ट्रीय संबंध	राजनयिक और कंसुलर संबंधों सहित अंतररा-ट्रीय निकायों और भारत के अंतररा-ट्रीय संबंधों से संबंधित विधियां	21
24	श्रम विधियां	श्रम कल्याण और संरक्षण से संबंधित साधारण विधियां तथा विशि-ट उद्योगों में श्रम के विनियमन और सुरक्षोपाय का उपबंध करने वाली विधियां ।	60
25	भूमि विधियां	भूमि अर्जन, भूमि सीमा से संबंधित विधियां, स्वतंत्रता से पूर्व भूमि प्रशासन विधियां और अन्य भूमि संबंधी विधियां	42
26	भू-राजस्व	यह प्रवर्ग अनन्यतः सरकार द्वारा भू-राजस्व का अधिरोपण और अधिरोपण करने के तंत्र	20

		के बारे में है । इनमें अधिकांश विधियां स्वतंत्रता-पूर्व समय की है और अब राज्यों द्वारा प्रशासित की जाती हैं ।	
27	स्थानीय क्षेत्रों के प्रशासन और विकास से संबंधित विधियां	नगरपालिक निगमों और जिलों बोर्डों जैसे स्थानीय स्तर निकाय गठित करने संबंधी विधियां ।	12
28	संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विधियां	संघ राज्य क्षेत्रों और रा-ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्यक्षेत्र के सामान्य प्रशासन से संबंधित विधियां	23
29	विधिक, चिकित्सीय और अन्य वृत्तियां	ऐसी विधियां जो अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, आदि जैसे वृत्तियों और विभिन्न वृत्तियों को विनियमित करती है ।	19
30	सामुद्रिक विधि, पोत परिवहन और अंतर्देशीय नौ-वहन	सामुद्रिक विधि, पोत परिवहन और अंतर्देशीय नौ-वहन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विधियां ।	25
31	मीडिया, संसूचना और प्रकाशन	प्रिंट, समाचारपत्र और टेलीविजन सहित मीडिया के विभिन्न प्रकार की विधियां । इसमें संसूचना के विभिन्न तरीकों और पुस्तकों और समाचारपत्रों के प्रकाशन को विनियमित करने वाली विधियां भी सम्मिलित हैं ।	17
32	रा-ट्रीयकरण	ऐसी विधियां जो बैंकों से भिन्न विभिन्न उद्योगों और कंपनियों के रा-ट्रीयकरण हेतु समर्थ बनाती है और उनसे संबंधित है ।	59
33	ओम्बड्समैन और मानीटरिंग निकाय	सरकारी कृत्यों की मानीटरिंग जैसे सी.ए. जी., सी. वी. सी. और लोकपाल से संबंधित विधियां ।	5
34	स्वीय विधियां	व्यक्तियों के स्वीय संबंध जैसे विवाह,	31

		विवाह-विच्छेद उत्तराधिकार आदि को लागू होने वाली विधियां	
35	रा-ट्रपति, संसद् और राज्य विधानमंडल	संसद् और विभिन्न राज्य विधानमंडलों के संगठन से संबंधित विधियां । इसके अतिरिक्त यह रा-ट्रपति, उपरा-ट्रपति राज्यपाल और मंत्रियों से संबंधित विधियां सम्मिलित है ।	21
36	संपत्ति विधि	प्राइवेट संपत्ति जैसे न्यास, सुखाधिकार, संपत्ति अंतरण आदि संबंधी विधियां	15
37	सार्वजनिक स्वास्थ्य	रोग नियंत्रण, निर्योग्यताएं और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विधियां । इसमें ऐसी विधियां भी सम्मिलित हैं जो खाद्य, दवा, सौन्दर्य प्रसाधन आदि के मानकों का विनियमन करती हैं ।	17
38	किराया और भू-धृति	किराया नियंत्रण विधियां और मकान मालिक और किराएदार संबंधों को विनियमित करने वाली विधियां ।	11
39	प्रशासन से संबंधित अवशिष्ट विधियां	यह अवशिष्ट प्रवर्ग है जो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के नाम को परिवर्तित करने संबंधी विधि, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन संबंधी विधि और प्रशासन तथा विधानमंडल को लागू अन्य सामान्य विधियां सम्मिलित करता है ।	6
40	समाज कल्याण	विभिन्न असुविधाग्रस्त समूह और ऐसे समूहों के लिए आयोग गठित करने की विधि सहित संरक्षण करने वाली विधियां ।	14
41	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार	राज्यों की प्रशासनिक विरचना और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में भूमि को अंतरण संबंधी विधियां । इसके अलावा ऐसी विधियां जो अन्य राज्यों या क्षेत्रों को केंद्रीय या राज्य विधियों के कतिपय क्षेत्र को	58

		विस्तारित, निरसित या सम्मिलित करती है।	
42	प्रतीक, अभिलेख और सांख्यिकी	रा-ट्रीय और राज्य संप्रतीक, सार्वजनिक आलेख और विभिन्न प्रयोजनों के लिए एकत्रित आंकड़े ।	9
43	कर, पथकर और उपकर	कर, सीमा शुल्क, शुल्क, उत्पादकर, उपकर आदि	68
44	टेक्सटाइल	विभिन्न टेक्सटाइल उद्योगों को विनियमित करने वाली विधियां	7
45	व्यापार और वाणिज्य	सेज और आयत-निर्यात सहित अंतर-राज्य और अंतररा-ट्रीय व्यापार से संबंधित विधियां । इसके अतिरिक्त इसमें कतिपय नकदी फसलों के व्यापार के संवर्धन के लिए बोर्डों की संरचना भी सम्मिलित है ।	21
46	परिवहन और अवसंरचना	रेल, वायुयान मोटरयान, फेरी आदि सहित परिवहन के विभिन्न तरीकों के विभिन्न पहलुओं को लागू विधियां । यह सड़क, जलमार्ग और बांध सहित देश की अवसंरचना से संबंधित विधियों को भी सम्मिलित करता है ।	30
47	अधिकरण	विधियां जो विशि-ट अधिकरण स्थापित करती हैं ।	8
48	विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाएं	विधियां जो विभिन्न विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाएं स्थापित करती हैं ।	46
49	महिला और बाल विकास	इस प्रवर्ग में ऐसी सभी विधियां सम्मिलित हैं जो इस बावत आयोग गठित करने वाली विधियों सहित महिला और बच्चों के कल्याण और संरक्षण से संबंधित है ।	14
	कुल		1086

प्रवर्ग-वार व्यवस्थित केंद्रीय विधियां

प्रवर्ग मूल्य	प्रवर्ग	क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं०	नाम
1.	न्याय प्रशासन	1.1	1850	18	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम
		1.2	1852	8	शैरिफ फीस अधिनियम
		1.3	1869	14	बम्बई सिविल न्यायालय अधिनियम
		1.4	1870	7	न्यायालय फीस अधिनियम
		1.5	1871	19	बंगाल सेशन न्यायालय अधिनियम
		1.6	1873	3	मद्रास सिविल न्यायालय अधिनियम
		1.7	1875	18	इंडियन ला रिपोर्ट अधिनियम
		1.8	1882	15	प्रेसीडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम
		1.9	1887	9	प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम
		1.10	1887	12	बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम
		1.11	1888	12	बंबई शहर नगरपालिक (अनुपूरक) अधिनियम
		1.12	1891	16	एडमिरलिटी औपनिवेशिक न्यायालय (भारत) अधिनियम
		1.13	1892	7	मद्रास शहर सिविल न्यायालय अधिनियम
		1.14	1919	15	कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकारिता सीमा) अधिनियम
		1.15	1931	20	शैरिफ (अभिरक्षी शक्ति) अधिनियम
		1.16	1936	5	डिक्री और आदेश विधिमान्यकरण अधिनियम
		1.17	1948	38	विधिक कार्यवाहियां का जारी रहना

					अधिनियम
		1.18	1950	7	उच्च न्यायालय (मुद्रा) अधिनियम
		1.19	1950	18	विशेष-दंड न्यायालय (अधिकारिता) अधिनियम
		1.20	1952	9	भारतीय स्वतंत्रता पाकिस्तान न्यायालय (लंबित कार्यवाही) अधिनियम
		1.21	1953	41	कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकारिता का विस्तार) अधिनियम
		1.22	1954	28	उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम
		1.23	1955	56	मणिपुर (न्यायालय) अधिनियम
		1.24	1956	55	उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम
		1.25	1958	41	उच्चतम न्यायालय न्यायाधी (वेतन और सेवाशर्त) अधिनियम
		1.26	1966	26	दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम
		1.27	1967	28	न्यायालय फीस (दिल्ली प्रशासन) अधिनियम
		1.28	1968	51	न्यायाधीश (जांच) अधिनियम
		1.29	1970	28	उच्चतम न्यायालय (दंड अपील अधिकारिता का विस्तार) अधिनियम
		1.30	1971	70	न्यायालय अवमान अधिनियम
		1.31	1976	57	पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) अधिनियम
		1.32	1976	77	विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष-न्यायालय) अधिनियम
		1.33	1981	26	बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव अधिकारिता विस्तार) अधिनियम

		1.34	1984	61	आंतकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशे-न न्यायालय) अधिनियम
		1.35	1984	66	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम
		1.36	1985	59	न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम
		1.37	1992	27	विशे-न न्यायालय (प्रतिभूतियों के संव्यवहार संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम
		1.38	2009	4	ग्राम न्यायालय अधिनियम
					इसे भी देखें कर, पथकर और उपकर संघ राज्यक्षेत्र (मुद्रा और न्यायालय फीस विधियां) अधिनियम
2	कृनि और पशुपालन	2.1	1879	17	दक्कन कृ-नक राहत अधिनियम
		2.2	1884	12	कृ-नक ऋण अधिनियम
		2.3	1962	26	रा-ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम
		2.4	1966	54	बीज अधिनियम
		2.5	1983	29	रा-ट्रीय तेल बीज और सब्जी तेल विकास बोर्ड अधिनियम
		2.6	1987	37	रा-ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम
		2.7	1992	12	नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		2.8	2001	53	किस्म का संरक्षण और कृ-नक अधिकार अधिनियम
		2.9	2005	24	तटीय जलचर प्राधिकरण अधिनियम
					इसे भी देखें व्यापार और वाणिज्य कृनि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985

					कर, पथकर और उपकर विधियां कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) अधिनियम उपज उपकर विधि (उत्सादन) अधिनियम
3	आनुकूलिक विवाद समाधान	3.1	1987	39	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
		3.2	1996	26	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम
					इसे भी देखें सिविल प्रक्रिया गोवा, दमन और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम् अधिनियम का विस्तार) अधिनियम
4	बैंकिंग एंड बीमा	4.1	1873	5	सरकारी बचत बैंक अधिनियम
		4.2	1934	2	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
		4.3	1938	4	बीमा अधिनियम
		4.4	1948	62	रिजर्व बैंक (लोक स्वामित्व अंतरण) अधिनियम
		4.5	1949	10	बैंककारी विनियमन अधिनियम
		4.6	1950	*	(समस्त) राज्य बैंक अधिनियम
		4.7	1953	54	भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		4.8	1955	23	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम
		4.9	1956	31	जीवन बीमा निगम अधिनियम
		4.10	1956	79	हैदराबाद स्टेट बैंक अधिनियम
		4.11	1959	38	भारतीय स्टेट बैंक (समनुगंगी बैंक) अधिनियम

		4.12	1962	56	राज्य सहबद्ध बैंक (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		4.13	1965	23	बैंककारी विधि (सहकारी सोसाइटी को लागू होना) अधिनियम
		4.14	1970	5	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		4.15	1972	57	साधारण बीमा कारबार (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		4.16	1976	21	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम
		4.17	1976	72	जीवन बीमा निगम (समझौते का उपांतरण) अधिनियम
		4.18	1980	40	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		4.19	1981	28	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम
		4.20	1981	61	रा-ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम
		4.21	1982	62	सिक्किम स्टेट बैंक (शेयरों का अर्जन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम
		4.22	1985	3	साधारण बीमा कारबार (रा-ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम
		4.23	1987	53	रा-ट्रीय आवास बैंक अधिनियम
		4.24	1989	39	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम
		4.25	1997	7	उद्योग पुर्नसंरचना बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम
		4.26	1999	41	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम
		4.27	2003	53	औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का

					अंतरण और निरसन) अधिनियम
		4.28	2009	48	सौरा-ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनु-गंगी बैंक) (संशोधन) अधिनियम, 2009
					इसे भी देखें पर्यावरण विधि लोक दायित्व बीमा अधिनियम
5	पूर्त और धार्मिक संस्थाएं ; सहकारी सोसाइटियां	5.1	1860	21	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
		5.2	1863	20	धार्मिक विन्यास अधिनियम
		5.3	1880	1	धार्मिक सोसाइटी अधिनियम
		5.4	1890	6	पूर्त विन्यास अधिनियम
		5.5	1899	23	स्काटलैंड चर्च किर्क सेशन अधिनियम
		5.6	1912	2	सहकारी सोसाइटी अधिनियम
		5.7	1913	6	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम
		5.8	1920	14	पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम
		5.9	1920	15	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम
		5.10	1923	42	मुसलमान वक्फ अधिनियम
		5.11	1925	24	सिक्ख गुरुद्वारा (अनुपूरक) अधिनियम
		5.12	1930	32	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम
		5.13	1955	36	दरगाह खाजा साहेब अधिनियम

		5.14	1959	29	लोक वक्फ (परिसीमा विस्तार) अधिनियम
		5.15	1971	82	दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम
		5.16	1988	41	धार्मिक संस्था (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम
		5.17	1988	54	औरोविले फाउन्डेशन अधिनियम
		5.18	1991	42	पूजास्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम
		5.19	1995	43	वक्फ अधिनियम
		5.20	2002	35	हज कमेटी अधिनियम
		5.21	2002	39	बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम
6	नागरिकता ; भारत में प्रवेश, आब्रजन और नि-कासन ; तथा सीमापार अधिनियम	6.1	1875	9	वयस्कता अधिनियम
		6.2	1920	34	पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम
		6.3	1939	16	विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
		6.4	1946	31	विदेशी अधिनियम
		6.5	1948	58	कैदी आदान-प्रदान अधिनियम
		6.6	1950	10	अप्रवासी (असम से नि-कासन) अधिनियम
		6.7	1955	57	नागरिकता अधिनियम
		6.8	1962	34	प्रत्यर्पण अधिनियम
		6.9	1962	42	विदेशियों वि-नयक विधि (लागू होना और संशोधन) अधिनियम
		6.10	1967	15	पासपोर्ट अधिनियम
		6.11	1983	31	उत्प्रवास अधिनियम

		6.12	1983	39	अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम
		6.13	2000	52	आप्रवासी (वाहक दायित्व) अधिनियम
		6.14	2003	49	कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम
		6.15	2010	31	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम
7	सिविल प्रक्रिया	7.1	1855	12	विधिक प्रतिनिधि वाद् अधिनियम
		7.2	1872	1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम
		7.3	1887	7	वाद मूल्यांकन अधिनियम
		7.4	1891	18	बैकर बही साक्ष्य अधिनियम
		7.5	1908	5	सिविल प्रक्रिया संहिता
		7.6	1908	16	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
		7.7	1921	18	भरण-पो-ण आदेश प्रवर्तन अधिनियम
		7.8	1932	11	लोकवाद विधिमान्यकरण अधिनियम
		7.9	1939	30	वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम
		7.10	1963	36	परिसीमा अधिनियम
		7.11	1965	30	गोवा दमन और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम् अधिनियम का विस्तार) अधिनियम
		7.12	1969	44	शपथ अधिनियम
		7.13	1978	14	ब्याज अधिनियम
		7.14	1985	21	भोपाल गैस विभीनिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम
					इसे भी देखें मीडिया, संसूचना और प्रकाशन

					सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
8	उपभोक्ता मामले	8.1	1937	1	कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम
		8.2	1951	39	भारी पैकेज चिह्नांकन अधिनियम
		8.3	1958	57	उड़ीसा बाट और माप (दिल्ली निरसन) अधिनियम
		8.4	1967	25	बाट और माप मानक (कोहिमा और मोकोचुंग जिलों तक विस्तार) अधिनियम
		8.5	1986	68	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
		8.6	2010	1	विधि माप-पद्धति अधिनियम, 2009
9	संविदा और अपकृत्य	9.1	1855	13	घातक दुर्घटना अधिनियम
		9.2	1871	1	पशु अतिचार अधिनियम
		9.3	1872	9	भारतीय संविदा अधिनियम
		9.4	1882	7	मुख्तारनामा अधिनियम
		9.5	1930	3	माल विक्रय अधिनियम
		9.6	1932	9	भारतीय भागीदारी अधिनियम
		9.7	1963	47	विनिर्दिष्ट अनुतो-न अधिनियम
10	कारपोरेट विधियां	10.1	1949	7	अनुसूचित प्रतिभूति (हैदराबाद) अधिनियम
		10.2	1951	54	कंपनी (राष्ट्रीय निधियों को दान) अधिनियम
		10.3	1960	63	अधिमानी शेयर (लाभांश विनियमन) अधिनियम
		10.4	2003	12	प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002
		10.5	2004	1	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003

		10.6	2007	50	भारतीय टायर कारपोरेशन लिमिटेड (स्वामित्व विनिधान) अधिनियम
		10.7	2009	6	सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम
		10.8	2013	18	कंपनी अधिनियम, 2003
					इसे भी देखें विधिक, चिकित्सीय और अन्य वृत्तियां कंपनी सचिव अधिनियम
11	आपराधिक न्याय	11.1	1854	16	पुलिस, आगरा
		11.2	1856	20	बंगाल चौकीदारी अधिनियम
		11.3	1857	21	हावड़ा अपराधी अधिनियम
		11.4	1859	12	कलकत्ता पाइलट अधिनियम
		11.5	1859	24	मद्रास जिला पुलिस अधिनियम
		11.6	1860	45	भारतीय दंड संहिता
		11.7	1861	5	पुलिस अधिनियम
		11.8	1867	3	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम
		11.9	1871	4	कोरोनर अधिनियम
		11.10	1873	16	उत्तरी-पश्चिमी प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम
		11.11	1876	19	नाट्य प्रदर्शन अधिनियम
		11.12	1881	13	फोर्ट विलियम अधिनियम
		11.13	1888	3	पुलिस अधिनियम
		11.14	1894	9	कारागार अधिनियम
		11.15	1900	3	कैदी अधिनियम
		11.16	1908	6	विध्वंसक पदार्थ अधिनियम

		11.17	1908	14	भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम
		11.18	1911	10	राजद्रोह बैठक निवारण अधिनियम
		11.19	1920	33	कैदी पहचान अधिनियम
		11.20	1922	22	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम
		11.21	1923	19	शासकीय गुप्त बातें अधिनियम
		11.22	1925	8	बंगाल दंड विधि संशोधन (अनुपूरक) अधिनियम
		11.23	1932	23	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम
		11.24	1932	24	बंगाल आतंक हिंसा दमन (अनुपूरक) अधिनियम
		11.25	1934	27	असम दंड विधि संशोधन (अनुपूरक) अधिनियम
		11.26	1938	20	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम
		11.27	1946	25	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम
		11.28	1948	52	बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा उपाय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम
		11.29	1949	64	पुलिस अधिनियम
		11.30	1949	66	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम
		11.31	1950	29	कैदी अंतरण अधिनियम
		11.32	1952	60	जांच आयोग अधिनियम
		11.33	1952	63	राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधियों का विस्तार) अधिनियम
		11.34	1955	32	कैदी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम
		11.35	1956	104	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम
		11.36	1957	23	रेल सुरक्षा बल अधिनियम

		11.37	1958	20	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम
		11.38	1959	54	सेना अधिनियम (पुनः मुद्रण 1967)
		11.39	1966	33	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिकरण
		11.40	1967	16	भ्र-टाचार-विरोधी विधि (संशोधन) अधिनियम
		11.41	1967	37	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
		11.42	1971	69	रा-ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम
		11.43	1974	2	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
		11.44	1974	12	आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम
		11.45	1976	106	अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम
		11.46	1978	34	दिल्ली पुलिस अधिनियम
		11.47	1980	65	रा-ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
		11.48	1983	32	पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम
		11.49	1983	33	चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम
		11.50	1984	3	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
		11.51	1985	58	आसूचना संगठन (अधिकारों पर निर्बंधन) अधिनियम
		11.52	1985	61	स्वापक ओ-नधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
		11.53	1986	47	रा-ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम
		11.54	1988	34	विशे-न संरक्षण समूह अधिनियम

		11.55	1988	46	स्वापक ओ-नधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम
		11.56	1988	49	भ्र-टाचार निवारण अधिनियम
		11.57	1989	33	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
		11.58	1993	36	सार्क कन्वेंशन (आतंकवाद दमन) अधिनियम
		11.59	2004	26	आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम
		11.60	2006	49	भारतीय राइफल (निरसन) अधिनियम
		11.61	2008	34	रा-ट्रीय अन्वे-ण अभिकरण अधिनियम
		11.62	2012	32	बालक यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012
					<p>इसे भी देखें</p> <p>सिविल प्रक्रिया</p> <p>बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम</p> <p>वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम</p> <p>शपथ अधिनियम</p> <p>भारतीय साक्ष्य अधिनियम</p> <p>वित्तीय विधियां</p> <p>बेनामी संव्यवहार (प्रति-धे) अधिनियम</p> <p>सरकारी कर्मचारी</p> <p>केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम</p> <p>हिसेलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011</p>
12	भारत की रक्षा और सशस्त्र बल	12.1	1888	4	भारतीय रिजर्व बल अधिनियम

		12.2	1892	5	बंगाल मिलिटरी पुलिस अधिनियम
		12.3	1903	7	रक्षा संकर्म अधिनियम
		12.4	1923	6	छावनी (गृह आवास) अधिनियम
		12.5	1923	7	भारतीय नौ सेनाशस्त्र अधिनियम
		12.6	1925	4	भारतीय सिपाही (मुकदमेबाजी) अधिनियम
		12.7	1938	5	युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास अधिनियम
		12.8	1947	15	सशस्त्र बल (आपात कर्तव्य) अधिनियम
		12.9	1947	16	शत्रु के साथ व्यापार (आपात विनयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम
		12.10	1948	31	राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम
		12.11	1948	56	राज्यक्षेत्रीय सेवा अधिनियम
		12.12	1949	8	सागर-दिशा तोप अभ्यास अधिनियम
		12.13	1950	40	सेना और वायु बल (प्राइवेट संपत्ति निपटान) अधिनियम
		12.14	1950	45	वायुसेना अधिनियम
		12.15	1950	46	सेना अधिनियम
		12.16	1952	62	रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम
		12.17	1954	31	शिलांग (राइफल रेंज और उमलांग) छावनी विधियां आमेसन अधिनियम
		12.18	1955	19	कमांडर-इन-चीफ (पदनाम परिवर्तन) अधिनियम
		12.19	1956	53	लोक सहायक सेना अधिनियम (पुर्न मुद्रण)
		12.20	1957	46	छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) अधिनियम

		12.21	1957	62	नौसेना अधिनियम
		12.22	1958	28	सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम
		12.23	1962	51	भारतीय रक्षा अधिनियम
		12.24	1968	27	सिविल रक्षा अधिनियम
		12.25	1968	34	शत्रु संपत्ति अधिनियम
		12.26	1968	47	सीमा सुरक्षा बल अधिनियम
		12.27	1971	59	नौ सैनिक और वायुयान प्राइज अधिनियम
		12.28	1972	28	राष्ट्रीय सेवा अधिनियम
		12.29	1983	34	सशस्त्र बल (पंजाब और चंडीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम
		12.30	1990	21	सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम
		12.31	1992	35	भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम
		12.32	2006	41	छावनी अधिनियम
		12.33	2006	47	असम राइफल अधिनियम
		12.34	2007	53	सशस्त्र सीमा बल अधिनियम
					इसे भी देखें सरकारी कर्मचारी रेल (सशस्त्र बल सदस्य नियोजन) अधिनियम
13	परिसीमन और निर्वाचन	13.1	1950	43	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
		13.2	1951	43	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
		13.3	1952	31	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम

		13.4	1956	88	लोक प्रतिनिधित्व (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		13.5	1959	10	संसद् (निरर्हरता निवारण) अधिनियम
		13.6	1965	49	संघ राज्यक्षेत्र (लोक सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम
		13.7	1968	3	जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम
		13.8	1976	10	निर्वाचन विधि (सिक्किम को विस्तार) अधिनियम
		13.9	1977	16	विवादित निर्वाचन (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष) अधिनियम
		13.10	1991	11	निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवाशर्तें और कारबार संव्यवहार) अधिनियम
		13.11	2001	33	परिसीमन अधिनियम
14	शिक्षा	14.1	1956	3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम
		14.2	1960	39	दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम
		14.3	1973	18	दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम
		14.4	1987	52	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परि-न्द् अधिनियम
		14.5	1993	73	रा-ट्रीय अध्यापक शिक्षा परि-न्द् अधिनियम
		14.6	2005	2	रा-ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004
		14.7	2007	5	केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम
		14.8	2009	9	विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम

		14.9	2009	35	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009
15	ऊर्जा विधियां	15.1	1857	5	ओरियण्टल गैस कंपनी
		15.2	1867	11	ओरिण्टल गैस कंपनी
		15.3	1934	30	पेट्रोलियम अधिनियम
		15.4	1948	14	दामोदर घाटी निगम अधिनियम
		15.5	1948	53	तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम
		15.6	1957	20	कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम
		15.7	1962	33	परमाणु ऊर्जा अधिनियम
		15.8	1962	50	पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम
		15.9	1971	54	कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम
		15.10	1974	28	कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम
		15.11	1974	47	तेल उद्योग (विकास) अधिनियम
		15.12	2000	45	कोयला भारत (अंतरण का नियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		15.13	2001	52	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम
		15.14	2003	36	विद्युत अधिनियम
		15.15	2006	19	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम
		15.16	2010	38	परमाणु नुकसान सिविल दायित्व अधिनियम, 2010

16	पर्यावरणीय विधि	16.1	1879	6	हाथी परिरक्षण अधिनियम
		16.2	1882	21	मद्रास वन (विधिमान्यकरण) अधिनियम
		16.3	1897	4	भारतीय मत्स्य अधिनियम
		16.4	1912	8	वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम
		16.5	1927	16	भारतीय वन अधिनियम
		16.6	1960	59	पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
		16.7	1972	53	वन्य प्रणाली (संरक्षण) अधिनियम
		16.8	1974	6	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम
		16.9	1980	69	वन संरक्षण अधिनियम
		16.10	1981	14	वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम
		16.11	1986	29	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
		16.12	1991	6	लोक दायित्व बीमा अधिनियम
		16.13	2003	18	जैव-विविधता अधिनियम, 2002
					इसे भी देखें कर पथकर और उपकर विधियां जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम सामाजिक कल्याण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक बल निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
17	वित्तीय विधियां	17.1	1855	28	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम
		17.2	1876	15	बंबई नगरपालिक डिवेंचर अधिनियम

		17.3	1881	26	परक्राम्य लिखत अधिनियम
		17.4	1909	3	प्रेसीडेन्सी शहर दिवाला अधिनियम
		17.5	1914	9	स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम
		17.6	1917	18	डाक नकद प्रमाणपत्र अधिनियम
		17.7	1918	10	अतिब्याज उधार अधिनियम
		17.8	1920	5	प्रांतीय दिवाला अधिनियम
		17.9	1944	18	लोक ऋण अधिनियम
		17.10	1950	49	भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम
		17.11	1951	33	वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		17.12	1951	63	राज्य वित्त निगम अधिनियम
		17.13	1952	74	अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम
		17.14	1956	42	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम
		17.15	1959	46	सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम (पुर्नमुद्रित)
		17.16	1961	47	बीमा निक्षेप और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम अधिनियम
		17.17	1963	21	अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम
		17.18	1964	28	वैध निविदा (अंतर्लिखित नोट) अधिनियम
		17.19	1968	60	राज्य कृषि प्रत्यय निगम अधिनियम
		17.20	1974	37	अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम
		17.21	1974	52	विदेशी मुद्रा और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम
		17.22	1976	13	तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम

		17.23	1978	11	उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम
		17.24	1978	21	निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		17.25	1978	43	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम
		17.26	1979	24	संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम
		17.27	1982	40	चिट फंड अधिनियम
		17.28	1983	48	लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विनयक बाध्यता) अधिनियम
		17.29	1988	45	बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम
		17.30	1991	41	विदेशी मुद्रा प्रे-नण और विदेशी मुद्रा बंधपत्रों में विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम
		17.31	1992	15	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम
		17.32	1993	25	स्वर्ण बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम
		17.33	1996	22	निक्षेपकर्ता अधिनियम
		17.34	1999	42	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
		17.35	2002	54	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम
		17.36	2002	58	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम
		17.37	2003	15	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002
		17.38	2003	39	वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम

		17.39	2005	30	प्रत्यय सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम
		17.40	2006	38	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम
		17.41	2007	51	बंदोवस्त व्यवस्था संदाय अधिनियम
		17.42	2010	42	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010
		17.43	2011	11	सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011
		17.44	2012	12	दलाली विनियमन अधिनियम, 2011
		17.45	2013	23	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013
18	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	18.1	1934	15	गन्ना अधिनियम
		18.2	1955	10	आवश्यक वस्तु अधिनियम
		18.3	1961	55	चीनी (उत्पादन विनियमन) अधिनियम
		18.4	1962	58	भंडागार निगम अधिनियम
		18.5	1964	37	खाद्य निगम अधिनियम
		18.6	1965	20	भांडागार निगम (अनुपूरक) अधिनियम
		18.7	1965	42	इलायची अधिनियम
		18.8	1976	31	लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम
		18.9	1980	7	चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम
		18.10	1982	4	चीनी विकास निधि अधिनियम
		18.11	2007	37	भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम
		18.12	2013	20	रा-ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

					इसे भी देखें कर, पथकर और उपकर विधियां उ. प्र. गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम चीनी उपकर अधिनियम
19	सरकारी कर्मचारी	19.1	1850	12	लोक लेखापाल चूक अधिनियम
		19.2	1850	37	लोक सेवक (जांच) अधिनियम
		19.3	1857	7	मद्रास अप्रतिश्रुत अधिकारी अधिनियम
		19.4	1871	23	पेंशन अधिनियम
		19.5	1919	1	स्थानीय प्राधिकारी पेंशन और उपदान अधिनियम
		19.6	1951	61	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम
		19.7	1957	44	सार्वजनिक नियोजन (निवास की अपेक्षा) अधिनियम
		19.8	1963	45	महा-प्रशासक अधिनियम
		19.9	1965	40	सशस्त्र बल सदस्य रेल नियोजन अधिनियम
		19.10	1965	50	गोवा, दमन और दीव (आमेलित कर्मचारी) अधिनियम
		19.11	1972	18	विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर करना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम
		19.12	1972	59	भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा शर्तें) अधिनियम
		19.13	1975	19	अखिल भारतीय विनियमन (संरक्षण) अधिनियम
		19.14	1976	59	संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण)

					अधिनियम
		19.15	1988	44	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अवधारण) अधिनियम
					इसे भी देखें आपराधिक न्याय भ्र-टाचार निरोध विधि (संशोधन) अधिनियम भ्र-टाचार निवारण अधिनियम
20	उद्योग	20.1	1884	4	विस्फोटक अधिनियम
		20.2	1886	5	मिर्जापुर पत्थर महल अधिनियम
		20.3	1913	5	सफेद फास्फोरस दिया-सलाई प्रतिनेध अधिनियम
		20.4	1923	5	भारतीय बायलर अधिनियम
		20.5	1951	65	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम
		20.6	1952	20	ज्वलनशील पर्दा अधिनियम
		20.7	1953	45	कयर उद्योग अधिनियम
		20.8	1956	61	खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम
		20.9	1957	67	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम
		20.10	1968	50	केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल अधिनियम
		20.11	1978	16	पब्लिक सेक्टर लौह और इस्पात कंपनी (पुनसंरचना) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम
		20.12	1983	35	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम

		2013	1987	16	गोवा दमन और दीव खनन रियायत (उत्सादन और खनन पट्टा के रूप में घो-णा) अधिनियम
		20.14	1995	44	तकनीकी विकास बोर्ड अधिनियम
		20.15	1999	40	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		20.16	2003	17	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002
		20.17	2006	27	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006
					इसे भी देखें कर पथकर और उपकर विधियां उपकर और खनिज पर अन्य कर (विधिमान्यकरण) अधिनियम
21	रा-द्रीय और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाएं	21.1	1903	10	विक्टोरिया स्मारक अधिनियम
		21.2	1904	7	प्राचीन संस्मारक संरक्षण अधिनियम
		21.3	1910	10	भारतीय संग्रहालय अधिनियम
		21.4	1948	51	इम्पीरियल पुस्तकालय (नाम का परिवर्तन) अधिनियम
		21.5	1951	25	जालियांवाला बाग रा-द्रीय स्मारक अधिनियम
		21.6	1951	41	राजघाट समाधि अधिनियम
		21.7	1958	24	प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष- अधिनियम
		21.8	1959	57	भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम

		21.9	1961	26	सलारजंग संग्रहालय अधिनियम
		21.10	1962	13	हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम
		21.11	1964	14	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अधिनियम
		21.12	1969	43	खुदा वक्श ओरियन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
		21.13	1975	22	रामपुर राजा पुस्तकालय अधिनियम
		21.14	1976	76	भारतीय रा-ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम
		21.15	1984	5	एशिऐटिक सोसाइटी अधिनियम
		21.16	1994	6	कलाक्षेत्र फाउन्डेशन अधिनियम, 1993
		21.17	2001	29	विश्व मामले संबंधी भारतीय परि-न्द् अधिनियम
		21.18	2010	10	प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष-न (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010
22	बौद्धिक संपदा विधि	22.1	1950	78	खदर (नाम का संरक्षण) अधिनियम
		22.2	1957	14	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम
		22.3	1970	39	पैटेंट अधिनियम (पुनर्मुद्रित)
		22.4	1999	47	व्यापार चिह्न अधिनियम
		22.5	1999	48	माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम
		22.6	2000	16	डिजाइन अधिनियम
		22.7	2000	37	अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम
23	अंतररा-ट्रीय संबंध	23.1	1874	4	विदेशी भर्ती अधिनियम

		23.2	1943	9	पारस्परिकता अधिनियम
		23.3	1945	47	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम
		23.4	1947	43	संयुक्त रा-ट्र (सुरक्षा परि-द) अधिनियम
		23.5	1947	46	संयुक्त रा-ट्र (विशे-नाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम
		23.6	1947	47	विदेशी अधिकारिता अधिनियम
		23.7	1948	41	राजनयिक और कौसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम
		23.8	1958	42	अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति और विशे-नाधिकार) अधिनियम
		23.9	1960	6	जेनेवा कन्वेंशन अधिनियम
		23.10	1960	32	अंतरराष्ट्रीय विकास संगम (प्रास्थिति, उन्मुक्ति और विशे-नाधिकार) अधिनियम
		23.11	1966	18	एशियन विकास बैंक अधिनियम
		23.12	1972	43	राजनयिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम
		23.13	1973	2	राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) अधिनियम
		23.14	1975	20	तोक्यो कन्वेंशन अधिनियम
		23.15	1981	48	रंगभेद-विरोधी (संयुक्त रा-ट्र कन्वेंशन) अधिनियम
		23.16	1982	1	अफ्रीकन विकास निधि अधिनियम
		23.17	1982	65	यानहरण-निवारण अधिनियम
		23.18	1982	66	सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम

		23.19	1983	13	अफ्रीकन विकास बैंक अधिनियम
		23.20	2000	34	रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम
		23.21	2005	21	सामूहिक विध्वंस और उनकी परिदान प्रणाली का हथियार (विधि विरुद्ध क्रियाकलाप) अधिनियम, 2005
24	श्रम विधियां	24.1	1858	1	मद्रास अनिवार्य श्रम अधिनियम
		24.2	1886	21	अवध वासीकस अधिनियम
		24.3	1923	8	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम
		24.4	1925	19	भवि-य निधि अधिनियम
		24.5	1926	16	व्यापार संघ अधिनियम
		24.6	1933	2	बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम
		24.7	1936	4	मजदूरी संदाय अधिनियम
		24.8	1938	24	कर्मकार दायित्व अधिनियम
		24.9	1942	18	साप्ताहिक अवकाश अधिनियम
		24.10	1943	23	युद्ध क्षतियां (बीमा प्रतिकर) अधिनियम
		24.11	1946	20	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम
		24.12	1946	22	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम
		24.13	1947	14	औद्योगिक विवाद अधिनियम
		24.14	1948	9	डाक कर्मकार (नियोजन विनयमन) अधिनियम
		24.15	1948	11	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
		24.16	1948	34	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
		24.17	1948	46	कोयला खान भवि-य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम

		24.18	1948	63	कारखाना अधिनियम
		24.19	1949	54	औद्योगिक विवाद (बैंककारी और बीमा कंपनी) अधिनियम
		24.20	1951	69	पादप श्रम अधिनियम
		24.21	1952	19	कर्मचारी भवि-य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम
		24.22	1952	35	खान अधिनियम
		24.23	1955	45	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम
		24.24	1956	36	औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		24.25	1958	29	श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर का नियतन) अधिनियम
		24.26	1959	31	नियोजनालय (शक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम
		24.27	1961	27	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम
		24.28	1961	52	प्रशिक्षु अधिनियम
		24.29	1961	53	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम
		24.30	1962	59	व्यक्तिगत क्षतियां (आपात उपबंध) अधिनियम
		24.31	1963	37	व्यक्तिगत क्षतियां (बीमा प्रतिकर) अधिनियम
		24.32	1965	21	बोनस संदाय अधिनियम
		24.33	1966	32	बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम
		24.34	1968	23	लोक भवि-यनिधि अधिनियम

		24.35	1970	37	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम
		24.36	1970	51	केंद्रीय श्रम विधियां (जम्मू और कश्मीर विस्तार) अधिनियम
		24.37	1972	39	उपदान संदाय अधिनियम
		24.38	1972	62	चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम
		24.39	1976	11	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम
		24.40	1976	19	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम
		24.41	1976	25	समान पारिश्रमिक अधिनियम
		24.42	1976	61	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम
		24.43	1976	62	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम
		24.44	1979	30	अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम
		24.45	1980	41	आवश्यक सेवा अनुरक्षण (असम) अधिनियम
		24.46	1981	33	सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम
		24.47	1981	50	सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम
		24.48	1986	27	कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) अधिनियम
		24.49	1986	54	डाक कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम
		24.50	1986	61	बाल श्रम (प्रति-प्रेष और विनियमन)

					अधिनियम
		24.51	1988	51	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम
		24.52	1993	41	बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) संशोधन अधिनियम
		24.53	1993	46	सफाई कर्मचारी नियोजन और शु-क शौचालय सन्निर्माण (प्रति-धे) अधिनियम
		24.54	1996	27	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त) अधिनियम
		24.55	1997	31	डाक कर्मकार (नियोजन विनियमन) (मुख्य पत्तनों को लागू न होना) अधिनियम
		24.56	2005	29	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम
		24.57	2005	42	रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
		24.58	2007	23	रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू और कश्मीर का विस्तार) अधिनियम
		24.59	2008	33	असंगठित कर्मकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम
		24.60	2014	7	गली विक्रेता (आजीविका संरक्षण और गली विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014
					इसे भी देखें कर, पथकर और उपकर विधियां लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम

					बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम वन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम उद्योग खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम सामाजिक कल्याण सफाई कर्मचारी के रूप में नियोजन का प्रति-धे और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
25	भूमि विधियां	25.1	1836	10	बंगाल इंडिगो संविदा अधिनियम
		25.2	1837	36	मद्रास सार्वजनिक संपत्ति भ्र-टाचार अधिनियम
		25.3	1850	25	समपहत निक्षेप अधिनियम
		25.4	1852	11	बम्बई किराया मुक्त संपदा अधिनियम
		25.5	1859	5	बंगाल घटवाली भूमि अधिनियम
		25.6	1863	19	राजस्व संदाय करने वाली संपदा का विभाजन अधिनियम
		25.7	1863	23	बंजर भूमि (दावा) अधिनियम
		25.8	1866	26	अवध उप-बंदोवस्त अधिनियम
		25.9	1869	1	अवध संपदा अधिनियम
		25.10	1870	24	अवध तालुकदार राहत अधिनियम
		25.11	1876	6	छोटा नागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम
		25.12	1877	14	ब्रोच और कायरा भार ग्रस्त संपदा अधिनियम
		25.13	1883	10	विक्रम सिंह संपदा अधिनियम

		25.14	1883	19	भूमि सुधार उधार अधिनियम
		25.15	1885	18	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम
		25.16	1887	19	अवध राजा संपदा अधिनियम
		25.17	1888	14	अवध राजा संपदा अधिनियम
		25.18	1891	15	मुर्शिदाबाद अधिनियम
		25.19	1893	2	पोराहाट संपदा अधिनियम
		25.20	1917	12	अवध राजा संपदा विधिमान्यकरण अधिनियम
		25.21	1933	23	मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम
		25.22	1936	18	रेड क्रॉस सोसाइटी (संपत्ति आवंटन) अधिनियम
		25.23	1941	12	दिल्ली भूमि उपयोक्ता अवरोध अधिनियम
		25.24	1948	26	जूनागढ़ प्रशासन (संपत्ति) अधिनियम
		25.25	1948	60	विस्थापित व्यक्ति पुनर्स्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम
		25.26	1948	66	दिल्ली और अजमेर मेरवारा भूमि विकास अधिनियम
		25.27	1949	2	मंगरोल और मानवदार (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम
		25.28	1949	51	अधिगृहीत भूमि (प्रतिकर प्रभाजन) अधिनियम
		25.29	1952	30	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम
		25.30	1954	23	संघ प्रयोजनार्थ भूमि का राजकीय अर्जन (विधिमान्यकरण) अधिनियम
		25.31	1956	96	गंदी-बस्ती क्षेत्र (सुधार और सफाई) अधिनियम

		25.32	1960	24	दिल्ली भू-धृति (सीमांकन) अधिनियम मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम
		25.33	1960	33	मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम
		25.34	1960	48	महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा (निरसन) अधिनियम
		25.35	1962	31	भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम
		25.36	1967	13	भूमि अर्जन (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		25.37	1969	42	बिहार भूमि सुधार विधि (खान और खनिज विनियमन) विधिमान्यकरण अधिनियम
		25.38	1971	40	सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम
		25.39	1972	30	दिल्ली भूमि (अंतरण पर निर्बंधन) अधिनियम
		25.40	1993	33	अयोध्या के कतिपय क्षेत्र का अर्जन अधिनियम
		25.41	1999	15	शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम
		25.42	2013	30	उचित प्रतिकर का अधिकार और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013
26	भू-राजस्व	26.1	1839	7	मद्रास किराया और राजस्व विक्रय अधिनियम
		26.2	1841	12	बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम
		26.3	1842	13	राजस्व, बम्बई

		26.4	1842	17	राजस्व आयुक्त, बम्बई
		26.5	1845	1	राजस्व बकाया के लिए भूमि का विक्रय
		26.6	1847	9	बंगाल जलोढक और अजलोढक अधिनियम
		26.7	1848	20	बंगाल भूमिधारक उपस्थिति अधिनियम
		26.8	1849	10	मद्रास राजस्व आयुक्त अधिनियम
		26.9	1850	23	कलकत्ता भू-राजस्व अधिनियम
		26.10	1851	12	मद्रास शहर भू-राजस्व अधिनियम
		26.11	1853	6	किराया वसूली अधिनियम
		26.12	1856	18	कलकत्ता भू-राजस्व अधिनियम
		26.13	1859	11	बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम
		26.14	1876	10	बम्बई राजस्व अधिकारिता अधिनियम
		26.15	1881	18	मध्य प्रांत भू-राजस्व अधिनियम
		26.16	1887	17	पंजाब भू-राजस्व अधिनियम
		26.17	1890	1	राजस्व वसूली अधिनियम
		26.18	1892	10	प्राइवेट संपदा का सरकारी प्रबंध अधिनियम
		26.19	1908	13	केंद्रीय प्रांत वित्त आयुक्त अधिनियम
		26.20	1960	43	त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम
27	प्रशासन और स्थानीय क्षेत्र के विकास से संबंधित विधियां	27.1	1836	21	बंगाल जिला अधिनियम
		27.2	1850	26	शहरों में सुधार

		27.3	1883	20	पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम
		27.4	1899	4	सरकारी भवन अधिनियम
		27.5	1956	80	मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारी) अधिनियम
		27.6	1957	42	नागा पहाड़ी - तौनसेग क्षेत्र अधिनियम
		27.7	1961	49	असम नगरपालिक (मणिपुर संशोधन) अधिनियम
		27.8	1971	76	मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र जिला परि-न्द्) अधिनियम
		27.9	1971	84	उत्तरी-पूर्व परि-न्द् अधिनियम
		27.10	1994	26	मणिपुर पंचायती राज अधिनियम
		27.11	1994	43	मणिपुर नगरपालिका अधिनियम
		27.12	1996	40	पंचायतों का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम
28	संघ राज्य क्षेत्रों और दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विधियां	28.1	1949	24	दिल्ली होटल (आवास नियंत्रण) अधिनियम
		28.2	1957	61	दिल्ली विकास अधिनियम
		28.3	1957	66	दिल्ली नगरपालिक अधिनियम
		28.4	1961	35	दादरा और नगर हवेली अधिनियम
		28.5	1962	1	गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम
		28.6	1962	49	पांडिचेरी (प्रशासन) अधिनियम
		28.7	1964	23	दिल्ली शक्तियों का प्रत्यायोजन

					अधिनियम
		28.8	1969	19	संघ राज्यक्षेत्र (न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) अधिनियम
		28.9	1973	17	पंजाब की राजधानी विकास और विनियमन (चंडीगढ़ संशोधन) अधिनियम
		28.10	1974	1	दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, 1973
		28.11	1985	2	रा-द्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड अधिनियम
		28.12	1988	2	चंडीगढ़ (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1987
		28.13	1994	27	पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद् (चंडीगढ़ निरसन) अधिनियम
		28.14	1994	44	नई दिल्ली नगरपालिक परिषद् अधिनियम
		28.15	1994	45	पंजाब नगरपालिक निगम विधि (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम
		28.16	1999	6	दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1998
		28.17	2006	22	दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम
		28.18	2006	44	पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम
		28.19	2007	43	दिल्ली रा-द्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम
		28.20	2009	24	दिल्ली रा-द्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम
		28.21	2009	40	दिल्ली रा-द्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (किराया उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2009
		28.22	2011	5	दिल्ली रा-द्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि

					(विशेष-उपबंध) अधिनियम, 2011
		28.23	2011	20	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष-उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011
29	विधिक, चिकित्सीय और अन्य वृत्तियां	28.1	1879	18	विधि व्यवसायी अधिनियम
		29.2	1916	7	भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम
		29.3	1926	38	भारतीय विधिज्ञ परि-न्द् अधिनियम
		29.4	1947	48	भारतीय नर्सिंग परि-न्द् अधिनियम
		29.5	1948	8	भेनजी अधिनियम
		29.6	1948	16	दंत चिकित्सा अधिनियम
		29.7	1949	38	चार्टर्ड एकाउंटेन्ट अधिनियम
		29.8	1952	53	नोटरी अधिनियम
		29.9	1956	4	विधिज्ञ परि-न्द् (राज्य विधिक विधिमान्यकरण) अधिनियम
		29.10	1956	102	भारतीय चिकित्सा परि-न्द् अधिनियम
		29.11	1959	23	लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम
		29.12	1961	25	अधिवक्ता अधिनियम
		29.13	1970	48	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परि-न्द् अधिनियम
		29.14	1972	20	वास्तुविद् अधिनियम
		29.15	1973	59	होम्योपैथी केंद्रीय परि-न्द् अधिनियम
		29.16	1980	56	कंपनी सचिव अधिनियम
		29.17	1984	52	भारतीय पशुचिकित्सा परि-न्द् अधिनियम

		29.18	2001	45	अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम
		29.19	2006	35	एक्चुरी अधिनियम
30	सामुद्रिक विधि, पोत परिवहन और अंतरदेशीय नौ-वहन	30.1	1838	19	तटीय यान अधिनियम
		30.2	1846	3	सीमा-चिह्न बम्बई
		30.3	1853	11	तट उपत्ताप (बम्बई और कोलाबा) अधिनियम
		30.4	1881	16	नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम
		30.5	1908	15	भारतीय पत्तन अधिनियम
		30.6	1917	1	अंतरदेशीय यान अधिनियम
		30.7	1925	26	समुद्र द्वारा भारतीय माल वहन अधिनियम
		30.8	1927	17	लाइट हाउस अधिनियम
		30.9	1948	33	कलकत्ता पत्तन (यान मार्गदर्शन) अधिनियम
		30.10	1958	44	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम
		30.11	1963	11	समुद्री बीमा अधिनियम
		30.12	1963	38	मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम
		30.13	1966	4	नाविक भवि-य निधि अधिनियम
		30.14	1973	62	कोंकण यात्री पोत (अर्जन) अधिनियम
		30.15	1976	80	राज्य क्षेत्रीय सागर खंड महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम
		30.16	1978	30	तट रक्षक अधिनियम

		30.17	1981	42	भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी यान द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) अधिनियम
		30.18	1982	49	रा-ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागीरथी, हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया विस्तार) अधिनियम
		30.19	1985	82	भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम
		30.20	1986	33	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम
		30.21	1986	66	पोत विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम
		30.22	1988	40	रा-ट्रीय जल मार्ग (ब्रह्मपुत्र नदी का सादिया-धुबरी विस्तार) अधिनियम
		30.23	1992	25	रा-ट्रीय जल मार्ग (पश्चिमी तटीय नहर और चम्पकारा और उद्योगमंडल नहर का कोल्लम-कोट्टापुरम विस्तार) अधिनियम
		30.24	2002	69	सामुद्रिक नौवहन सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर नियत प्लेटफार्म अधिनियम
		30.25	2008	23	रा-ट्रीय जलमार्ग (नदियों की तलचर-धामरा विस्तार, पूर्वी तटीय नहर का ग्योनाखाली-चारबतिया विस्तार, मताई नदी और महानदी डेल्टा नदी का चारबतिया-धामरा विस्तार) अधिनियम
					इसे भी देखें व्यापार और वाणिज्य भारी पैकेज निर्माण अधिनियम
31	मीडिया, संसूचना और	31.1	2008	24	रा-ट्रीय जलमार्ग (कैनाल और कालूवेल्ली)

	प्रकाशन				का काकीनाडा-पुदुचेरी विस्तार गोदावरी नदी का भाद्राचलम-राजमुंद्री विस्तार और कृ-णा नदी का बजीरावाद- विजयवाड़ा विस्तार) अधिनियम, 2008
		31.2	1867	25	प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
		31.3	1885	13	भारतीय तार अधिनियम
		31.4	1898	6	भारतीय डाकघर अधिनियम
		31.5	1933	17	भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम
		31.6	1950	74	टेलीग्राफ तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम
		31.7	1952	37	चलचित्र अधिनियम
		31.8	1954	27	पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम
		31.9	1956	45	समाचार पत्र (कीमत और पृ-ठ) अधिनियम
		31.10	1956	93	अलपवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम
		31.11	1961	36	समाचार पत्र (कीमत और पृ-ठ का बना रहना) अधिनियम
		31.12	1978	37	प्रेस परिसिद् अधिनियम
		31.13	1990	25	प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम
		31.14	1995	7	केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम
		31.15	1997	24	भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम
		31.16	2000	21	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

		31.17	2007	11	खेल प्रसारण संकेतक (प्रसार भारती के साथ आज्ञापक सहयोग) अधिनियम
32	रा-ट्रीयकरण	32.1	1971	63	जयंती पोत कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम
		32.2	1971	64	कोककारी कोयला (आपात उपबंध) अधिनियम
		32.3	1971	65	एशियन रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम
		32.4	1972	36	कोककारी कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.5	1972	58	भारतीय कापर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम
		32.6	1972	72	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम
		32.7	1972	78	रिचर्डसन और कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.8	1973	15	कोयला खान (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम
		32.9	1973	26	कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.10	1973	56	एल्काक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम
		32.11	1974	4	एस्सो (भारत में उपक्रम का अर्जन) अधिनियम
		32.12	1974	57	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.13	1976	2	बर्मा सेलर (भारत में उपक्रम का अर्जन) अधिनियम
		32.14	1976	22	असम सिलिमनाइट लिमिटेड (रिफ़ैक्टरी संयंत्र का अर्जन और अंतरण) अधिनियम

		32.15	1976	89	भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम
		32.16	1976	96	ब्रेथवेट और कंपनी (भारत) लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.17	1976	97	वर्न कंपनी और भारतीय मानक वैगन कंपनी (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.18	1976	98	लैक्सीमिरैटन और एथरटन पश्चिमी सूत मिल (प्रबंध का अधिग्रहण) अधिनियम
		32.19	1976	100	घातु निगम (रा-ट्रीयकरण और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		32.20	1977	17	कालटेक्स (कालटेक्स तेल रिफाइनरी (भारत) लि. के शेयरों का अर्जन और कालटेक्स (भारत) लि. का भारत में उपक्रम) अधिनियम
		32.21	1977	41	स्मिथ, स्टैनस्ट्रीट और कंपनी लि. (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.22	1977	42	भारतीय ग्रेशम और क्रेवन (प्रा.) लि. (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.23	1978	13	हिंदुस्तान ट्रेक्टर लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.24	1978	41	ब्रिटानिया इंजीनियरी कंपनी लिमिटेड (मोकमेह यूनिट) और आर्थर बटलर और कंपनी (मुजफ्फरपुर) लि. (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.25	1978	42	बोलानी अयस्क लि. (शेयरों का अर्जन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम

		32.26	1978	49	चीनी उपक्रम (प्रबंध का अधिग्रहण) अधिनियम
		32.27	1979	28	कोसनगैस कंपनी (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम
		32.28	1980	42	रा-ट्रीय कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.29	1980	58	बंगाल रासायनिक और फार्मास्यूटिकल संकर्म लि. (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.30	1980	62	जूट कंपनी (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.31	1980	64	मारुति लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.32	1980	67	वर्ड एंड कंपनी लि. (उपक्रम और अन्य संपत्ति का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.33	1980	70	हिंद साइकिल लिमिटेड और सेन रेलघ लि. (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.34	1981	29	ब्रिटिश भारत निगम लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम
		32.35	1981	31	डालमिया दादरी सीमेंट लि. (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.36	1981	41	बर्मा आइल कंपनी (आइल इंडिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आइल कंपनी लिमिटेड और बर्मा आइल कंपनी इंडिया ट्रेडिंग लिमिटेड के भारत के उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम
		32.37	1982	36	चापरमुख-सिलघाट रेल लाइन और काटाखल -लाला बाजार रेल लाइन (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.38	1982	50	अमृतसर तेल संकर्म (उपक्रम का अर्जन

					और अंतरण) अधिनियम
		32.39	1982	71	आंध्र वैज्ञानिक कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.40	1983	40	कपड़ा उपक्रम (प्रबंध का ग्रहण) अधिनियम
		32.41	1983	41	ट्रांसफार्मर और स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.42	1984	16	गणेश आरा मिल कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.43	1984	17	इन्वेक टायर लिमिटेड और रा-ट्रीय रबड़ विनिर्माता लिमिटेड (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.44	1984	33	मोगुल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम
		32.45	1984	43	एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एल्यूमीनियम उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.46	1984	55	हुगली डाकिंग और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.47	1984	57	बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.48	1985	37	चाय कंपनी (रुग्ण चाय यूनिट का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.49	1985	83	फतवा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.50	1986	30	स्वदेशी काटन मिल कंपनी लिमिटेड

					(उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.51	1987	36	ब्रेन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (भारत) लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.52	1993	23	औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम
		32.53	1993	24	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारे-ण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.54	1993	65	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम
		32.55	1994	13	एयर कारपोरेशन (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम
		32.56	1994	56	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत पारे-ण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम
		32.57	1995	39	कपड़ा उपक्रम (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम
		32.58	1997	17	ललितकला अकादमी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम
		32.59	2005	14	परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम
33	ओम्बड्समैन और मानीटरिंग निकाय	33.1	1971	56	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्त) अधिनियम

		33.2	2003	45	केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम
		33.3	2005	22	सूचना अधिकार अधिनियम
		33.4	2014	1	लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
		33.5	2014	17	व्हिसिलब्लोवर संरक्षण अधिनियम, 2011
34.	स्वीय विधियां	34.1	1850	21	जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम
		34.2	1866	21	संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम
		34.3	1869	4	भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम
		34.4	1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम
		34.5	1874	3	विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम
		34.6	1880	12	काजी अधिनियम
		34.7	1892	2	विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम
		34.8	1909	7	आनन्द विवाह अधिनियम
		34.9	1916	15	हिंदू संपत्ति निपटान अधिनियम
		34.10	1925	39	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
		34.11	1928	12	हिंदू विरासत (निर्योग्यता निवारण) अधिनियम
		34.12	1930	30	हिंदू विद्याधन अधिनियम
		34.13	1935	13	जबलपुर और छत्तीसगढ़ खंड (विवाह विच्छेद कार्यवाही विधिमान्यकरण) अधिनियम
		34.14	1936	3	फारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम
		34.15	1936	16	बंगलौर विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम
		34.16	1937	19	आर्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम

		34.17	1937	26	मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागू होना अधिनियम
		34.18	1938	10	कुटुंबी मेमन्स अधिनियम
		34.19	1939	8	मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम
		34.20	1948	40	भारतीय वैवाहिक वाद (युद्ध विवाह) अधिनियम
		34.21	1952	1	भाग-ख राज्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम
		34.22	1954	43	विशेष विवाह अधिनियम
		34.23	1955	25	हिंदू विवाह अधिनियम
		34.24	1956	30	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
		34.25	1956	32	हिंदू अल्पवयता और संरक्षकता अधिनियम
		34.26	1956	78	हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम
		34.27	1959	48	प्रकीर्ण स्वीय विधि (विस्तार) अधिनियम (पुनर्मुद्रित 1976)
		34.28	1959	61	विवाहित महिला संपत्ति (विस्तार) अधिनियम
		34.29	1960	19	हिंदू विवाह (कार्यवाही का विधिमान्यकरण) अधिनियम
		34.30	1969	33	विदेशी विवाह अधिनियम
		34.31	1986	25	मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम
					इसे भी देखें महिला और बाल विकास दहेज प्रतिरोध अधिनियम

					बाल विवाह प्रति-रोध अधिनियम
35	रा-द्रूपति, संसद् और राज्य विधानमंडल	35.1	1951	30	रा-द्रूपति परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम
		35.2	1952	58	मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम
		35.3	1953	20	संसद के अधिकारी का वेतन और भत्ता अधिनियम
		35.4	1954	30	संसद्-सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम
		35.5	1957	37	विधायी परि-द् अधिनियम
		35.6	1958	56	हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाही) विधिमान्यकरण अधिनियम
		35.7	1963	20	संघ राज्यक्षेत्रीय सरकार अधिनियम
		35.8	1968	61	नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधि परिवर्तन) अधिनियम
		35.9	1969	16	रा-द्रूपति (कृत्य का निर्वहन) अधिनियम
		35.10	1969	46	पंजाब विधान परि-द् (उत्सादन) अधिनियम
		35.11	1973	50	प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम
		35.12	1975	33	केरल विधानसभा (अवधि-विस्तार) अधिनियम
		35.13	1976	28	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) निरसन अधिनियम
		35.14	1977	15	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम
		35.15	1977	33	संसद में विधायी नेताओं के वेतन और भत्ता अधिनियम

		35.16	1982	43	राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ता और विशेष-नाधिकार) अधिनियम
		35.17	1992	1	दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991
		35.18	1997	30	उप-रा-ट्रूपति पेंशन अधिनियम
		35.19	1999	5	संसद् में मान्यताप्राप्त दलों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधायें) अधिनियम, 1998
		35.20	2006	1	आंध्र प्रदेश विधान परि-न्द् अधिनियम, 2005
		35.21	2010	16	तमिलनाडु विधान परि-न्द् अधिनियम, 2010
36	संपत्ति विधि	36.1	1878	6	भारतीय निखात-धन अधिनियम
		36.2	1882	2	भारतीय न्यास अधिनियम
		36.3	1882	4	संपत्ति अंतरण अधिनियम
		36.4	1882	5	भारतीय सुखाचार अधिनियम
		36.5	1891	8	सुखाचार (1882के अधिनियम 5 का विस्तार)
		36.6	1893	4	विभाजन अधिनियम
		36.7	1893	6	सर दिनशा मैनेकजी पेटिट
		36.8	1895	15	सरकारी अनुदान अधिनियम
		36.9	1899	24	केंद्रीय प्रांत प्रतिपाल्य अधिनियम
		36.10	1913	2	शासकीय न्यासी अधिनियम
		36.11	1915	10	सर जमशेदजी जेजीभाय बैरोनेटसी अधिनियम
		36.12	1929	21	संपत्ति अंतरण (संशोधन) अनुपूरक

					अधिनियम
		36.13	1951	70	विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम
		36.14	1954	15	नि-क्रांती निक्षेप अंतरण अधिनियम
		36.15	1986	58	दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम
37	सार्वजनिक स्वास्थ्य	37.1	1897	3	महामारी अधिनियम
		37.2	1898	3	कु-ठ रोगी अधिनियम
		37.3	1898	9	पशुधन आयात अधिनियम
		37.4	1914	2	नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम
		37.5	1919	12	विन अधिनियम
		37.6	1940	23	ओ-नधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम
		37.7	1950	26	ओ-नधि (नियंत्रण) अधिनियम
		37.8	1954	21	ओ-नधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम
		37.9	1968	46	कीटनाशक अधिनियम
		37.10	1971	34	चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम
		37.11	1992	41	शिशु दुग्ध अनुकल्प, पो-ण बोटल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम
		37.12	1994	42	मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम
		37.13	1994	57	गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रति-नेध) अधिनियम
		37.14	2003	34	सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रति-नेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण

					विनियमन) अधिनियम
		37.15	2006	34	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम
		37.16	2009	27	पशुओं में संक्रामक और संसर्गी रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम
		37.17	2010	23	नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010
					इसे भी देखें आपराधिक न्याय स्वापक ओ-धि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
38	किराया और किराएदारी	38.1	1859	10	बंगाल किराया अधिनियम
		38.2	1885	8	बंगाल किराएदारी अधिनियम
		38.3	1887	16	पंजाब किराएदारी अधिनियम
		38.4	1898	11	मध्य प्रांत किराएदारी अधिनियम
		38.5	1950	42	अजमेर किराएदारी और भूमि अभिलेख अधिनियम
		38.6	1952	38	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम
		38.7	1961	30	दिल्ली (शहरी क्षेत्र) किराएदार राहत अधिनियम
		38.8	1968	49	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) अधिनियम
		38.9	1971	68	उत्तर प्रदेश छावनी (किराया नियंत्रण और बेदखली) निरसन अधिनियम
		38.10	1974	54	पूर्वी पंजाब शहरी किराया निर्बंधन (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम

		38.11	1995	33	दिल्ली किराया अधिनियम
					इसे भी देखें भारत की रक्षा और सशस्त्र बल छावनी (किराया नियंत्रण विधि का विस्तार) अधिनियम
39	प्रशासन से संबंधित अवशिष्ट विधियां	39.1	1862	3	सरकारी मुद्रा अधिनियम
		39.2	1897	5	संशोधनकारी अधिनियम
		39.3	1897	10	साधारण खंड अधिनियम
		39.4	1897	14	भारतीय संक्षिप्त शीर्षक अधिनियम
		39.5	1901	11	संशोधनकारी अधिनियम
		39.6	1903	1	संशोधनकारी अधिनियम
40	समाज कल्याण	40.1	1948	12	पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम
		40.2	1955	22	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम
		40.3	1956	63	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम
		40.4	1992	19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम
		40.5	1992	34	भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम
		40.6	1993	27	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम
		40.7	1993	64	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम
		40.8	1994	10	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
		40.9	1996	1	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार

					संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
		40.10	1999	44	रा-ट्रीय स्वपरायणता प्रमति-कघात मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम
		40.11	2005	53	आपदा प्रबंधन अधिनियम
		40.12	2007	2	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
		40.13	2007	56	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम
		40.14	2013	25	मैनुअल स्कावेन्जर के रूप में नियोजन का प्रति-नेध और उनका पुनर्वासन अधिनियम, 2013
					इसे भी देखें आपराधिक न्याय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम वित्तीय विधियां पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013
41	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार	41.1	1847	1	सीमाएं
		41.2	1855	37	संथाल परगना अधिनियम
		41.3	1857	10	संथाल परगना अधिनियम
		41.4	1871	21	देहरादून

		41.5	1872	4	पंजाब विधि अधिनियम
		41.6	1874	15	विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम
		41.7	1875	20	मध्य प्रांत विधियां अधिनियम
		41.8	1876	18	अवध विधि अधिनियम
		41.9	1879	19	राजपुर और खत्रा विधि अधिनियम
		41.10	1890	20	संयुक्त प्रांत अधिनियम
		41.11	1912	7	बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम विधि अधिनियम
		41.12	1912	13	दिल्ली विधि अधिनियम
		41.13	1915	7	दिल्ली विधि अधिनियम
		41.14	1941	4	बरार विधि अधिनियम
		41.15	1949	20	पश्चिम गोदावरी जिला (फेडरल विनय पर विधियों का आमेलन) अधिनियम
		41.16	1949	59	विलयित राज्य (विधियां) अधिनियम
		41.17	1950	30	संघ राज्यक्षेत्र (विधियां) अधिनियम
		41.18	1950	67	कूच-बेहार (विधियों की एकरूपता) अधिनियम
		41.19	1951	3	भाग-ख राज्य (विधियां) अधिनियम
		41.20	1951	37	अनुसूचित क्षेत्र (विधियों की एकरूपता) अधिनियम
		41.21	1951	47	असम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम
		41.22	1951	66	भाग-ग राज्य प्रकीर्ण विधियां (निरसन) अधिनियम
		41.23	1953	16	अनुसूचित क्षेत्र (विधियों की एकरूपता) अधिनियम

		41.24	1953	30	आंध्र राज्य अधिनियम
		41.25	1954	18	लुसाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) अधिनियम
		41.26	1954	20	आमेलित क्षेत्र (विधियां) अधिनियम
		41.27	1954	32	हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम
		41.28	1954	36	चन्दर नगोर (विलयन) अधिनियम
		41.29	1956	37	राज्य पुनर्गठन अधिनियम
		41.30	1956	40	बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र का अंतरण) अधिनियम
		41.31	1956	62	जम्मू और कश्मीर (विधियों का विस्तार) अधिनियम
		41.32	1957	38	अंतर-राज्य निगम अधिनियम
		41.33	1958	35	मणिपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) अधिनियम
		41.34	1959	47	राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्रों का अंतरण) अधिनियम
		41.35	1959	56	आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम
		41.36	1960	11	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम
		41.37	1960	57	ब्रिटिश कानून (भारत को लागू होना) निरसन अधिनियम
		41.38	1960	64	अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम
		41.39	1962	27	नागालैंड राज्य अधिनियम
		41.40	1966	31	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम
		41.41	1968	24	बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम

		41.42	1968	25	केंद्रीय विधियां (जम्मू और कश्मीर का विस्तार) अधिनियम
		41.43	1968	26	पांडचेरी (विधियों का विस्तार) अधिनियम
		41.44	1968	36	आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम
		41.45	1969	55	असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम
		41.46	1970	53	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम
		41.47	1971	81	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम
		41.48	1979	31	हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम
		41.49	1986	34	मिजोरम राज्य अधिनियम
		41.50	1986	69	अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम
		41.51	1987	18	गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम
		41.52	1993	44	केंद्रीय विधियां (अरुणाचल प्रदेश का विस्तार) अधिनियम
		41.53	2000	28	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
		41.54	2000	29	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
		41.55	2000	30	बिहार पुनर्गठन अधिनियम
		41.56	2006	52	उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम
		41.57	2011	15	उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम
		41.58	2014	6	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
42	प्रतीक, अभिलेख और आंकड़े	42.1	1886	6	जन्म-मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
		42.2	1917	5	अभिलेख नाशकरण अधिनियम

		42.3	1948	37	जनसंख्या अधिनियम
		42.4	1950	12	संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम
		42.5	1963	19	राजभाषा अधिनियम
		42.6	1969	18	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
		42.7	1993	69	लोक अभिलेख अधिनियम
		42.8	2005	50	भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित उपयोग का प्रतिषेध) अधिनियम
		42.9	2009	7	सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम
43	कर, पथकर और उपकर विधियां	43.1	1851	8	भारतीय पथकर अधिनियम
		43.2	1857	4	तंबाकू शुल्क (बम्बई शहर) अधिनियम
		43.3	1863	16	उत्पाद शुल्क (स्प्रिट) अधिनियम
		43.4	1864	15	भारतीय पथकर अधिनियम
		43.5	1867	1	गंगा पथकर
		43.6	1881	11	नगरपालिका कराधान अधिनियम
		43.7	1888	8	भारतीय पथकर अधिनियम
		43.8	1890	13	उत्पाद शुल्क (माल्ट लिकर) अधिनियम
		43.9	1899	2	भारतीय स्टाम्प अधिनियम
		43.10	1901	2	भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम
		43.11	1931	16	अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम
		43.12	1941	25	रेल (स्थानीय कर प्राधिकारी) अधिनियम
		43.13	1944	1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम

		43.14	1949	61	वृत्तिकर परिसीमा (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		43.15	1950	33	अफीम और राजस्व विधि (लागू होना विस्तारण) अधिनियम
		43.16	1953	49	नमक उपकर अधिनियम
		43.17	1954	41	कराधान विधियां (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम
		43.18	1955	16	औ-नधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम
		43.19	1956	7	विक्रय कर विधियां विधिमान्यकरण अधिनियम
		43.20	1956	69	रेल यात्री सीमा कर अधिनियम
		43.21	1956	74	केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम
		43.22	1957	27	धनकर अधिनियम
		43.23	1957	58	उत्पाद शुल्क अतिरिक्त कर (विशे-न महत्व का माल) अधिनियम
		43.24	1958	18	दान की अधिनियम
		43.25	1959	42	ट्रावनकोर कोचीन यान कराधान (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		43.26	1960	38	केंद्रीय उत्पादशुल्क (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम
		43.27	1960	40	सीमा शुल्क और उपकर (मीटरी मात्रक संपरिवर्तन) अधिनियम
		43.28	1961	4	उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (विधिमान्यकरण) अधिनियम
		43.29	1961	33	संघ राज्यक्षेत्र (स्टांप और न्यायालय फीस विधियां) अधिनियम

		43.30	1961	43	आयकर अधिनियम
		43.31	1961	46	वेतन का स्वैच्छिक अभ्यर्पण (कराधान से छूट) अधिनियम
		43.32	1962	52	सीमा-शुल्क अधिनियम
		43.33	1962	55	मणिपुर (मोटर स्प्रिंट और स्नेहक) कराधान अधिनियम
		43.34	1962	57	दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम
		43.35	1963	54	केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम
		43.36	1964	7	कंपनी (लाभ) उपकर अधिनियम
		43.37	1964	11	कराधान विधियां (वसूली की कार्यवाही का चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		43.38	1965	41	कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		43.39	1971	20	बंगाल वित्त (विक्रय कर) (नियुक्तियों का दिल्ली विधिमान्यकरण और कार्यवाहियां) अधिनियम
		43.40	1972	25	कराधान विधियां (जम्मू और कश्मीर तक विस्तारण) अधिनियम
		43.41	1974	45	ब्याज कर अधिनियम
		43.42	1975	26	तम्बाकू उपकर अधिनियम
		43.43	1975	43	दिल्ली विक्रय कर अधिनियम
		43.44	1975	51	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम
		43.45	1976	55	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम
		43.46	1976	56	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम

		43.47	1976	91	दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम
		43.48	1977	36	जल (प्रदू-ण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम
		43.49	1978	40	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम
		43.50	1979	12	पंजाब उत्पाद शुल्क (दिल्ली संशोधन) अधिनियम
		43.51	1980	54	होटल आमदनी कर अधिनियम
		43.52	1981	30	सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम
		43.53	1982	3	चीनी उपकर अधिनियम
		43.54	1983	28	जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम
		43.55	1986	5	केंद्रीय उत्पाद कर टैरिफ अधिनियम, 1985
		43.56	1986	32	अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम
		43.57	1986	46	कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		43.58	1987	4	कपास, खोपरा और वनस्पति तेल उपकर (उत्सादन) अधिनियम
		43.59	1987	35	व्यय-कर अधिनियम
		43.60	1992	16	खनिज उपकर और अन्य कर (विधि मान्यकरण) अधिनियम
		43.61	1996	28	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम
		43.62	2000	20	प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन अधिनियम

		43.63	2002	36	विदेशी वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर कर और शुल्क से छूट) अधिनियम
		43.64	2004	25	सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (निरसन) अधिनियम
		43.65	2005	27	बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम
		43.66	2006	24	उपकर विधि (निरसन और संशोधनकारी) अधिनियम
		43.67	2006	30	संघ उत्पाद शुल्क कर (विद्युत) वितरण निरसन अधिनियम, 2006
		43.68	2006	46	उपज उपकर विधि (उत्सादन) अधिनियम
					इसे भी देखें वित्तीय विधियां संघ उत्पादशुल्क (वितरण) अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बंधपत्रों में विनिधान (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम स्वर्ण-बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम
44	कपड़ा	44.1	1948	61	केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम
		44.2	1963	41	कपड़ा समिति अधिनियम
		44.3	1983	27	जूट विनिर्माता विकास परिषद् अधिनियम
		44.4	1985	22	हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम
		44.5	1987	10	जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम
		44.6	1987	14	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम
		44.7	2009	12	राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम

					इसे भी देखें कर, पथकर और उपकर विधियां जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम
45	व्यापार और वाणिज्य	45.1	1838	5	बंगाल बंधपत्राधीन भांडागार संगम अधिनियम
		45.2	1854	5	बंगाल बंधपत्राधीन भांडागार संगम अधिनियम
		45.3	1856	9	भारतीय वहन पत्र अधिनियम
		45.4	1867	22	सराय अधिनियम
		45.5	1942	7	काफी अधिनियम
		45.6	1947	24	रबड़ अधिनियम
		45.7	1953	29	चाय अधिनियम
		45.8	1955	42	पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम
		45.9	1956	90	फरीदाबाद विकास निगम अधिनियम
		45.10	1963	22	निर्यात (गुणता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम
		45.11	1972	13	सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम
		45.12	1972	52	पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम
		45.13	1975	4	तम्बाकू बोर्ड अधिनियम
		45.14	1979	5	नारियल विकास बोर्ड अधिनियम
		45.15	1986	2	कृनि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985
		45.16	1986	10	मसाला बोर्ड अधिनियम
		45.17	1986	63	भारतीय मानक बोर्ड अधिनियम

		45.18	1992	22	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम
		45.19	1998	17	लाटरी (विनियमन) अधिनियम
		45.20	2005	28	विशेष-आर्थिक क्षेत्र अधिनियम
		45.21	2006	32	स्प्रिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) अधिनियम
					इसे भी देखें परिवहन और अवसंरचना माल बहुविध परिवहन अधिनियम भारत में प्रवेश भारत से अप्रवास और भारत से नि-कासन भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010
46	परिवहन और अवसंरचना	46.1	1855	32	बंगाल तटबंध अधिनियम
		46.2	1861	16	मंजिली गाड़ी अधिनियम
		46.3	1873	8	उत्तरी भारत नहर और नाली अधिनियम
		46.4	1878	17	उत्तरी भारत फेरी अधिनियम
		46.5	1879	14	हैकने वहन अधिनियम
		46.6	1886	11	भारतीय ट्रामवे अधिनियम
		46.7	1902	4	भारतीय ट्रामवे अधिनियम
		46.8	1905	4	भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम
		46.9	1934	22	वायुयान अधिनियम
		46.10	1950	64	सड़क परिवहन निगम अधिनियम
		46.11	1951	51	रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम

		46.12	1956	48	रा-ट्रीय राजमार्ग अधिनियम
		46.13	1956	49	नदी बोर्ड अधिनियम
		46.14	1966	29	रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम
		46.15	1972	69	वायु द्वारा वहन अधिनियम
		46.16	1976	63	बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम
		46.17	1978	33	भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम
		46.18	1980	46	ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम
		46.19	1985	10	कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुस्क्षण) अस्थायी उपबंध अधिनियम
		46.20	1988	59	मोटर यान अधिनियम
		46.21	1988	68	भारतीय रा-ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम
		46.22	1989	24	रेल अधिनियम
		46.23	1993	28	माल बहुविध परिवहन अधिनियम
		46.24	1993	49	बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) अधिनियम
		46.25	1994	55	भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण अधिनियम
		46.26	2000	54	केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम
		46.27	2002	60	दिलली भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुस्क्षण) अधिनियम
		46.28	2003	13	रा-ट्रीयराज मार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002
		46.29	2007	41	सड़क द्वारा वहन अधिनियम
		46.30	2008	27	भारतीय वायुपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम
					इसे भी देखें

					आपराधिक न्याय रेल संरक्षण बल अधिनियम टोक्यो कन्वेंशन अधिनियम
47	अधिकरण	47.1	1956	33	अंतर-राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम
		47.2	1985	13	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम
		47.3	1986	19	प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम
		47.4	1987	54	रेल दावा अधिकरण अधिनियम
		47.5	1993	51	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम
		47.6	2005	49	रा-द्रीय कर अधिकरण अधिनियम
		47.7	2007	55	सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम
		47.8	2010	19	रा-द्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
48	विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाएं	48.1	1915	16	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.2	1920	40	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.3	1922	8	दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.4	1951	29	विश्व-भारती अधिनियम
		48.5	1956	25	अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान अधिनियम
		48.6	1961	59	प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम
		48.7	1966	51	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम
		48.8	1966	53	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

					अधिनियम
		48.9	1970	16	हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.10	1973	24	उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.11	1974	39	हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.12	1977	34	लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (अर्जन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम
		48.13	1980	52	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम
		48.14	1985	50	इंदिरा गांधी रा-ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.15	1985	53	पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.16	1988	58	जामिया-मिलिया इस्लामिया अधिनियम
		48.17	1989	23	असम विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.18	1989	35	नागालैंड विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.19	1992	40	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.20	1993	45	तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.21	1994	58	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.22	1997	2	मौलाना आजाद रा-ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996
		48.23	1997	3	महात्मागांधी अंतररा-ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996
		48.24	1998	13	रा-ट्रीय औ-ध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम

		48.25	2000	8	मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.26	2005	26	इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.27	2005	54	मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.28	2006	28	रा-ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम
		48.29	2007	7	अंग्रेजी और विदेशी भा-ना विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.30	2007	8	राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.31	2007	9	त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.32	2007	10	सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.33	2007	29	रा-ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम
		48.34	2007	52	इंदिरा गांधी रा-ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.35	2007	54	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम
		48.36	2008	19	जवाहर लाल स्नातकोत्तर विकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पुडुचेरी अधिनियम
		48.37	2008	22	भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.38	2009	8	दक्षिण एशियन विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.39	2009	25	केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम
		48.40	2010	39	नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010
		48.41	2012	13	वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011
		48.42	2012	35	राजीव गांधी रा-ट्रीय नवयुवक विकास संस्थान अधिनियम, 2012

		48.43	2012	38	रा-ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012
		48.44	2013	26	राजीव गांधी रा-ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013
		48.45	2014	10	रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014
		48.46	2014	18	रा-ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014
49	महिला और बाल विकास	49.1	1890	8	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम
		49.2	1897	8	सुधार विद्यालय अधिनियम
		49.3	1925	35	मद्रास, बंगाल और बम्बई बालक (अनुपूरक) अधिनियम
		49.4	1956	105	महिला और बालक की संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम
		49.5	1960	10	अनाथालय और अन्य पूर्त गृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम
		49.6	1961	28	दहेज प्रतिनेध अधिनियम
		49.7	1986	60	स्त्री अशि-ट रुपण (प्रतिनेध) अधिनियम
		49.8	1988	3	सती (निवारण) अधिनियम
		49.9	1990	20	रा-ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
		49.10	2000	56	किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम
		49.11	2005	43	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम
		49.12	2006	4	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

		49.13	2007	6	बाल विवाह प्रतिनेध अधिनियम
		49.14	2013	14	कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, संरक्षण और प्रतितो-न) अधिनियम, 2013
					<p>इसे भी देखें</p> <p>सार्वजनिक स्वास्थ्य</p> <p>शिशु दुग्ध अनुकलप, पो-ण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम</p> <p>श्रम</p> <p>बालक (श्रम का गिरवीकरण) अधिनियम</p> <p>बालक श्रम (प्रतिनेध और विनियमन) अधिनियम</p> <p>आपराधिक न्याय : यौन अपराधों से बालक संरक्षण अधिनियम, 2012</p>

विभिन्न आयोगों द्वारा निरसन के लिए सिफारिश किंतु सरकार द्वारा निरसित
न की गई विधियां

क्र. सं.	विधि का नाम	रिपोर्ट का नाम जिसने निरसन की सिफारिश की	संबद्ध विभाग का नाम (अस्थायी)
1.	पशुधन आयात अधिनियम	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	पशुपालन और डेरी और मत्स्य विभाग, कृनि मंत्रालय
2.	तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
3.	वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
4.	अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1963	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
5.	अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और 159वीं विधि आयोग रिपोर्ट	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
6.	पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और 159वीं विधि आयोग रिपोर्ट	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
7.	दान कर अधिनियम, 1959	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
8.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधि	पी. सी. जैन आयोग	राजस्व विभाग, वित्त

	(संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1982	रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और 159वीं विधि आयोग रिपोर्ट	मंत्रालय
9.	खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कर) अधिनियम, 1950	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) और 159वीं विधि आयोग रिपोर्ट	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
10.	अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
11.	भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम, 1875	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
12.	विधि कार्यवाहियों का चालू रहना अधिनियम, 1948	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
13.	ओरियण्टल गैस कंपनी (1857 का अधिनियम 5)	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
14.	ओरियण्टल गैस कंपनी, 1867	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
15.	गंगा पथकर अधिनियम, 1857	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय
16.	संशोधन अधिनियम, 1897	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय

17.	संशोधन अधिनियम, 1901	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
18.	संशोधन अधिनियम, 1903	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
19.	सीमा अधिनियम, 1847	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
20.	केंद्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1969	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
21.	तटीय यान अधिनियम, 1838	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	पोत परिवहन मंत्रालय
22.	निक्षेप बीमा निगम (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
23.	उत्पाद शुल्क (माल्ट लिकर) अधिनियम, 1890	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
24.	भारतीय विधिज्ञ परि-न्द् अधिनियम, 1926	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
25.	भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
26.	औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	श्रम और रोजगार मंत्रालय
27.	भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1962	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
28.	भूमि अर्जन (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1967	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

29.	विधि स्थानीय विस्तार अधिनियम, 1874	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
30.	विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
31.	संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय
32.	रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	रेल मंत्रालय
33.	किराया वसूली अधिनियम, 1853	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
34.	भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
35.	तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
36.	सुखाधिकार (विस्तार) अधिनियम, 1891	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय
37.	विदेशी भर्ती अधिनियम, 1874	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विदेश मंत्रालय
38.	भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, 1905	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	रेल मंत्रालय
39.	शत्रु के साथ व्यापार (आपात विनयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम, 1947	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय
40.	पांडिचेरी (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1968	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय

41.	केंद्रीय विधि (जम्मू और कश्मीर पर विस्तार) अधिनियम, 1968	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जम्मू और कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय
42.	केंद्रीय श्रम विधि (जम्मू- कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1970	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जम्मू और कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय
43.	केंद्रीय विधि (अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार) अधिनियम, 1993	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
44.	राजनयिक और कान्सुलर आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार), अधिनियम, 1973	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विदेश मंत्रालय
45.	दमन और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम का विस्तार) अधिनियम, 1965	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
46.	प्रकीर्ण स्वीय विधि (विस्तार) अधिनियम, 1959	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
47.	कराधान विधि (जम्मू और कश्मीर तक विस्तारण) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जम्मू और कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय
48.	काराधन विधि (जम्मू और कश्मीर तक विस्तारण) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जम्मू और कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय
49.	अनुसूचित क्षेत्र (विधि आमेसन) अधिनियम, 1972	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जनजातीय मंत्रालय
50.	अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1953	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जनजातीय मंत्रालय
51.	शिलांग (राइफल रेंज	पी. सी. जैन आयोग	राज्य विभाग, गृह

	उमलाग) छावनी (विधि आमेलन) अधिनियम, 1954	रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	मंत्रालय
52.	पश्चिमी गोदावरी जिला (फेडेरल वि-नय पर विधि आमेलन) अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग गृह मंत्रालय
53.	संघ राज्यक्षेत्र (विधियां) अधिनियम, 1950	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
54.	आमेलित क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
55.	केंद्रीय प्रांत (विधियां) अधिनियम, 1875	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
56.	कूच बेहार विधियों की एकरूपता अधिनियम, 1950	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
57.	जम्मू और कश्मीर (विधि का विस्तार) अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	जम्मू और कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय
58.	मणिपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) अधिनियम, 1958	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1 और परिशि-ट ए-5)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
59.	विवाहित महिला संपत्ति (विस्तार) अधिनियम, 1959	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
60.	अफीम और राजस्व विधि (लागू होने का विस्तार) अधिनियम, 1950	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
61.	बिलयित राज्य (विधियां) अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
62.	संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
63.	कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

64.	महामारी अधिनियम, 1897	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय
65.	होटल आमदनी कर अधिनियम, 1980	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
66.	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद छावनी निरसन) अधिनियम, 1968	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	शहरी विकास मंत्रालय
67.	कोककारी कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1973	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	कोयला मंत्रालय
68.	कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	कोयला मंत्रालय
69.	लक्ष्मी रतन और एथरटन पश्चिमी कपास मिल (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1976	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	कपड़ा मंत्रालय
70.	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	कपड़ा मंत्रालय
71.	कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1983	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	कपड़ा मंत्रालय
72.	बंगलौर विवाह विधिमान्य करण अधिनियम, 1936	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय
73.	विधिज्ञपरिन्द (राज्य विधियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
74.	बंगाल वित्त (विक्रय कर) नियुक्ति और कार्यवाही का दिल्ली विधिमान्यकरण, 1971 अधिनियम	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय
75.	डिक्री और आदेश विधिमान्य	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय

	करण अधिनियम, 1936	रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	मंत्रालय
76.	नाशक कीट और नाशक जीव (विधिमान्यकरण और संशोधन) अधिनियम, 1992	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय
77.	हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाही) विधिमान्यकरण अधिनियम, 1958	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राज्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
78.	हिंदू विवाह कार्यवाही (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1960	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
79.	जबलपुर और छत्तीसगढ़ खंड (विवाह विच्छेद कार्यवाही विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1935	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
80.	विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1892	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
81.	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
82.	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1930	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
83.	भाग-ख राज्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1952	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
84.	वृत्ति कर परिसीमा (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
85.	ट्रावणकोर कोचीन यान कराधान (संशोधन और	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-1)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

	विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1959		
86.	एडमिरलिटी अधिकारिता (भारत) अधिनियम, 1860	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-3)	पोत परिवहन मंत्रालय
87.	एडमिरलिटी अपराध (औपनिवेश) अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-3)	पोत परिवहन मंत्रालय
88.	एडमिरलिटी औपनिवेश न्यायालय अधिनियम, 1890	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-3)	पोत परिवहन मंत्रालय
89.	सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अध्यादेश, 1942	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
90.	बैंक नोट (धारक घोषणा) अध्यादेश, 1942	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
91.	सामूहिक जुर्माना अध्यादेश, 1942	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	गृह विभाग, गृह मंत्रालय
92.	दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	गृह विभाग, गृह मंत्रालय
93.	दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1946	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	गृह विभाग, गृह मंत्रालय
94.	मिलिट्री परिचर्या सेवा अध्यादेश, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
95.	सार्वजनिक स्वास्थ्य (आपात उपबंध) अध्यादेश, 1944	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	गृह विभाग, गृह मंत्रालय
96.	सिकन्दराबाद स्वास्थ्य विवाह विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1945	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
97.	युद्ध समाप्ति (परिभाषा) अध्यादेश, 1946	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय
98.	युद्ध उपदान (आयकर छूट) अध्यादेश, 1945	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	श्रम और रोजगार मंत्रालय

99.	युद्ध क्षति अध्यादेश, 1941	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-4)	श्रम और रोजगार मंत्रालय
100.	कृ-क उधार अधिनियम, 1884	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
101.	अजमेर भू-धृति और भूमि अभिलेख अधिनियम, 1950	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
102.	असम नगरपालिक (मणिपुर संशोधन) अधिनियम, 1961	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
103.	बंगाल आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
104.	बंगाल जलोढ़क और अजलोढ़क अधिनियम, 1847	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
105.	बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम विधि अधिनियम, 1912	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
106.	बंगाल बंधपत्राधीनभांडागार संगम अधिनियम, 1828	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
107.	बंगाल बंधपत्राधीनभांडागार संगम अधिनियम, 1854	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
108.	बंगाल चौकीदारी अधिनियम, 1856	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
109.	बंगाल जिला अधिनियम, 1836	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
110.	बंगाल कछार अधिनियम, 1853	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास

			मंत्रालय
111.	बंगाल घटवाली विधि अधिनियम, 1859	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
112.	बंगाल इंडिगो संविदा अधिनियम, 1836	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
113.	बंगाल भूमिधारक उपस्थिति अधिनियम, 1848	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
114.	बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम, 1341	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
115.	बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम, 1859	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
116.	बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम, 1892	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
117.	बंगाल किराया अधिनियम, 1859	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
118.	बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन (अनुपूरक) अधिनियम, 1932	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
119.	बंगाल किराएदारी अधिनियम, 1885	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
120.	बिहार भूमि सुधार विधि (खान और खनिज विनियम) विधिमान्यकरण अधिनियम, 1969	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

121.	जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	गृह विभाग, गृह मंत्रालय
122.	बम्बई सिविल न्यायालय अधिनियम, 1869	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
123.	बम्बई नगरपालिक डिवेंचर अधिनियम, 1876	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
124.	बम्बई किराया मुक्त संपदा अधिनियम, 1852	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
125.	बम्बई राजस्व अधिकारिता अधिनियम, 1876	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
126.	सीमा चिह्न, बम्बई, 1846	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
127.	ब्रांच और कायरा ऋण भारित संपदा अधिनियम, 1877	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
128.	कलकत्ता भूमि राजस्व अधिनियम, 1850	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
129.	कलकत्ता भूमि राजस्व अधिनियम, 1856	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
130.	केंद्रीय प्रांत (संरक्षक) अधिनियम, 1895	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	पशुपालन, डेरी और मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय
131.	केंद्रीय प्रांत वित्तीय आयुक्त अधिनियम, 1908	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
132.	केंद्रीय प्रांत राजस्व	पी. सी. जैन आयोग	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास

	अधिनियम, 1881	रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	मंत्रालय
133.	केंद्रीय प्रांत किराएदारी अधिनियम, 1898	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
134.	छोटा नागपुर ऋण भारित संपदा अधिनियम, 1876	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
135.	बम्बई शहर नगरपालिका (अनुपूरक) अधिनियम, 1888	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
136.	कोरोनर अधिनियम, 1871	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
137.	दक्खन कृ-क राहत अधिनियम, 1879	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
138.	विक्षुब्ध क्षेत्र (विशे-न न्यायालय) अधिनियम, 1976	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
139.	आवश्यक सेवा अनुरक्षण (असम) अधिनियम, 1980	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
140.	फोर्ट विलियम अधिनियम, 1881	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
141.	गोवा, दमन और दीव (आमेलित कर्मचारी) अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
142.	सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
143.	प्राइवेट संपदा सरकारी प्रबंध अधिनियम, 1892	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास

			मंत्रालय
144.	हैकने वहन अधिनियम, 1879	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	शहरी विकास मंत्रालय
145.	हावड़ा अपराध अधिनियम, 1857	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
146.	शहर सुधार अधिनियम, 1850	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	शहरी विकास मंत्रालय
147.	भारतीय भूमिगत रेल अधिनियम, 1886	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	शहरी विकास मंत्रालय
148.	भारतीय भूमिगत रेल अधिनियम, 1902	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	शहरी विकास मंत्रालय
149.	जूनागढ़ प्रशासन (संपत्ति) अधिनियम, 1948	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
150.	स्थानीय प्राधिकारी (उधार) अधिनियम, 1948	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
151.	स्थानीय प्राधिकारी पेंशन और उपदान अधिनियम, 1919	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
152.	मद्रास, बंगाल और बम्बई बालक (अनुपूरक) अधिनियम, 1925	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	महिला और बाल विकास मंत्रालय
153.	मद्रास शहर सिविल न्यायालय अधिनियम, 1892	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
154.	मद्रास शहर भू-राजस्व अधिनियम, 1851	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
155.	मद्रास सिविल न्यायालय अधिनियम, 1872	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

156.	मद्रास अनिवार्य श्रम अधिनियम, 1858	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	श्रम और रोजगार मंत्रालय
157.	मद्रास जिला पुलिस अधिनियम, 1859	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
158.	मद्रास वन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1882	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	वन्य और पर्यावरण मंत्रालय
159.	मद्रास सार्वजनिक संपत्ति (भ्र-टाचार) अधिनियम, 1837	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
160.	मद्रास किराया और राजस्व विक्रय अधिनियम, 1839	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
161.	मद्रास राजस्व आयोग अधिनियम, 1849	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
162.	मद्रास अप्रतिश्रुत अधिकारी अधिनियम, 1857	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
163.	मंगलोर और मानवदार (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
164.	नगरपालिक कराधान अधिनियम, 1881	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
165.	मुर्शिदाबाद अधिनियम, 1891	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
166.	मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम, 1933	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय

167.	उत्तरी-पूर्वी प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम 16) जैन आयोग रिपोर्ट में 1873 का 16 उत्तर पूर्व प्रांत जिला और सड़क पुलिस अधिनियम, 1873 है	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
168.	उड़ीसा बाट और माप (दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1958	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	उपभोक्ता मामले का विभाग, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
169.	विभाजन अधिनियम, 1893	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
170.	राजस्व देने वाली संपदा का विभाजन अधिनियम, 1863	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
171.	पुलिस अधिनियम, 1861	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
172.	पुलिस अधिनियम, 1888	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
173.	पुलिस अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
174.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	गृह मंत्रालय
175.	लोक वाद विधिमान्यकरण अधिनियम, 1932	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5) 96वीं विधि अधिनियम रिपोर्ट	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
176.	पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तारित) अधिनियम,	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	पंचायती राज मंत्रालय

	1996		
177.	पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
178.	राजस्व आयुक्त बम्बई अधिनियम, 1842	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
179.	राजस्व बकाया के लिए भूमि विक्रय अधिनियम, 1845	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
180.	सराय अधिनियम, 1867	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	पर्यटन मंत्रालय
181.	अनुसूचित प्रतिभूति (हैदराबाद) अधिनियम, 1949	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
182.	कलकत्ता शेरिफ (अभिरक्षीय शक्ति) अधिनियम, 1931	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
183.	उपतर उपताप (बम्बई और कोलाबा) अधिनियम, 1853	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	पर्यावरण और वन मंत्रालय
184.	सर दिनशा मैनीकजी पेटिट अधिनियम, 1893	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
185.	सर जमशेट जी जेजीभाय बैरोनेटसी अधिनियम, 1915	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
186.	संथाल परगना अधिनियम, 1855	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
187.	संथाल परगना अधिनियम, 1857	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि आर न्याय मंत्रालय
188.	मंजिली वहन अधिनियम, 1861	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	शहरी विकास मंत्रालय

189.	तम्बाकू शुल्क (बम्बई शहर) अधिनियम, 1857	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
190.	सूदखोरी उधार अधिनियम, 1918	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
191.	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम, 1855	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
192.	बंजर भूमि (दावा) अधिनियम, 1863	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण और विकास मंत्रालय
193.	विक्रम सिंह संपदा अधिनियम, 1883	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
194.	अवध राजा संपदा अधिनियम, 1887	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
195.	अवध राजा संपदा अधिनियम, 1888	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
196.	अवध राजा संपदा विधिमान्यकरण अधिनियम, 1917	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
197.	महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा (निरसन) अधिनियम, 1960	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
198.	मिर्जापुर पत्थर महल अधिनियम, 1886	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	खान मंत्रालय
199.	पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
200.	पंजाब ग्राम पंचायत समिति और जिला परि-न्द् (चंडीगढ़)	पी. सी. जैन आयोग	पंचायती राज मंत्रालय

	निरसन अधिनियम, 1994	रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	
201.	पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
202.	पंजाब विधियां अधिनियम, 1872	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	न्याय विभाग, गृह मंत्रालय
203.	पंजाब भू-धृति अधिनियम, 1887	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
204.	सरकारी भवन अधिनियम, 1887	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट ए-5)	शहरी विकास मंत्रालय
205.	अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
206.	आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
207.	आंध्र प्रदेश मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
208.	आंध्र राज्य अधिनियम, 1953	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
209.	असम (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1951 (1951 का 47)	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
210.	असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55)	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
211.	बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय

212.	बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
213.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
214.	चन्द्रनगौर (विलयन) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
215.	दादरा और नगर हवेली अधिनियम, 1961	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
216.	गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
217.	गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिकरण, 1987	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
218.	हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1978	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
219.	हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
220.	लक्षद्वीप, मिनीकोय और अमीनदीव द्वीप (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
221.	नागालैण्ड विधानसभा (प्रतिनिधि परिवर्तन) अधिनियम, 1968	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
222.	लुसाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1954	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
223.	नागा पहाड़ी ट्यूनसेंग क्षेत्र अधिनियम, 1957	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय

224.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
225.	भाग-ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
226.	पांडिचेरी (विस्तार) अधिनियम, 1962	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
227.	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
228.	राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
229.	अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
230.	हिमाचलप्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
231.	मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
232.	नागालैंड राज्य अधिनियम, 1986	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
233.	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ख)	राज्य विभाग, गृह मंत्रालय
234.	कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकारिता विस्तार) अधिनियम, 1953	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ग)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
235.	कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकारिता सीमा) अधिनियम, 1999	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ग)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
236.	बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव तक)	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ग)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

	विस्तार) अधिनियम, 1981		
237.	पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी पीठ की स्थापना) अधिनियम, 1976	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ग)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
238.	उच्च न्यायालय (मुद्रा) अधिनियम, 1950	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-ग)	न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
239.	आर्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1937	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
240.	जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
241.	कुची मेमनस अधिनियम, 1938	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
242.	मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
243.	हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम, 1956	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
244.	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
245.	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
246.	भारतीय विवाह संबंधी वाद (युद्ध विवाह) अधिनियम, 1948	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
247.	काजी अधिनियम, 1880	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
248.	विवाहित स्त्री अधिकार संपत्ति अधिनियम, 1874	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
249.	मुस्लिम विधि (शरीयत) लागू होना अधिनियम, 1937	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

250.	संपरिवर्तित विवाह विघटन अधिनियम, 1866	पी. सी. जैन आयोग रिपोर्ट (परिशि-ट-घ)	विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
251.	कैदी आदान-प्रदान अधिनियम, 1948	96वीं विधि आयोग रिपोर्ट	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
252.	नि-क्रांती निक्षेप अंतरण अधिनियम, 1954	96वीं विधि आयोग रिपोर्ट	आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय
253.	बेनामी संव्यवहार (प्रति-नेध) अधिनियम, 1988	159वीं विधि आयोग रिपोर्ट	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

परिशिष्ट - 3

(रिपोर्ट का पैरा निर्दिष्ट करें)

ऐसी निरसित विधियां जो विधि मंत्रालय की केंद्रीय अधिनियमों की कालानुक्रमिक सूची में सूचीबद्ध हैं

क्र. सं.	वर्ष	अधि. सं.	नाम	निरसनकारी उपबंध
1.	1857	19	संयुक्त स्टोक कंपनी अधिनियम	भारतीय कंपनी अधिनियम, 1860 की धारा 219 की अनुसूची 3 द्वारा निरसित
2.	1865	3	वाहक अधिनियम	सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 की धारा 22(1) द्वारा निरसित
3.	1889	1	धातु टोकन अधिनियम	सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 27(क) द्वारा निरसित
4.	1894	1	भूमि अर्जन अधिनियम	उचित प्रतिकर अधिकार और पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 114(1) द्वारा निरसित
5.	1899	13	ग्लैण्डर और फार्सी अधिनियम	पशुओं में संक्रामक और संसर्गी रोग निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा 45(i) द्वारा निरसित
6.	1906	3	सिक्का निर्माण अधिनियम	सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 27(ख) द्वारा निरसित
7.	1910	5	डुरीन अधिनियम	पशुओं में संक्रामक और संसर्गी रोग निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 की धारा 45(ii) द्वारा निरसित
8.	1918	2	चलचित्र अधिनियम	चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 18 द्वारा निरसित
9.	1918	22	ब्रोंज सिक्का (विधिक निविदा) अधिनियम	सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 27(ग) द्वारा निरसित
10.	1920	47	भारतीय इंपीरियल	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा

			बैंक अधिनियम	57(1) द्वारा निरसित
11.	1920	10	भारतीय प्रतिभूति अधिनियम	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 35(1) द्वारा निरसित
12.	1923	23	विधिक व्यवसायी (महिला) अधिनियम	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 50(5)(ख) की अनुसूची द्वारा निरसित
13.	1924	2	छावनी अधिनियम	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 360(1) द्वारा निरसित
14.	1926	21	विधिक व्यवसायी (फीस) अधिनियम	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 50(5)(ख) की अनुसूची द्वारा निरसित
15.	1929	19	बाल विवाह अवरोध अधिनियम	बाल विवाह प्रतिन्ध अधिनियम, 2006 की धारा 21(1) द्वारा निरसित
16.	1941	5	असम राइफल अधिनियम	असम राइफल अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) द्वारा निरसित
17.	1951	64	नि-क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम	विस्थापित व्यक्ति दावा और अन्य विधियां निरसन अधिनियम, 2005 की धारा 12 की अनुसूची द्वारा निरसित
18.	1953	32	आंकड़ा संग्रहण अधिनियम	आंकड़ा संग्रहण अधिनियम, 2009 की धारा 34(1) द्वारा निरसित
19.	1954	37	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 97(1) की अनुसूची द्वारा निरसित
20.	1956	1	कंपनी अधिनियम	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465(1) द्वारा निरसित
21.	1963	52	भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम	भारतीय यूनिटट्रस्ट (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 21(1) द्वारा निरसित
22.	1969	54	एकाधिकार और निर्बंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम	कंपनी अधिनियम, 2002 की धारा 66(1) द्वारा निरसित
23.	1971	52	लघु सिक्का (अपराध)	सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा

			अधिनियम	27(ड) द्वारा निरसित
24.	1972	35	दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम	दिल्ली सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 की धारा 141 द्वारा निरसित
25.	1976	33	शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम	शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 2 द्वारा निरसित
26.	1976	87	दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम	दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 24(1) द्वारा निरसित
27.	1976	60	बाट और माप मानक अधिनियम	विधिक मापशास्त्र अधिनियम, 2009 की धारा 57(1) द्वारा निरसित
28.	1976	49	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 54(1) द्वारा निरसित
29.	1984	36	पंजाब राज्य विधानसभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम	निरसन और संशोधन अधिनियम, 1988 की धारा 2 की पहली अनुसूची द्वारा निरसित
30.	1985	54	बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम	विधिक माप शास्त्र अधिनियम, 2009 की धारा 57(1) द्वारा निरसित
31.	1986	56	दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम	दिल्ली अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2007 की धारा 65(ख) द्वारा निरसित
32.	1995	27	रा-ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम	रा-ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 38(1) द्वारा निरसित
33.	1997	22	रा-ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम	रा-ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 38(1) द्वारा निरसित
34.	1998	14	विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185(1) द्वारा निरसित

(रिपोर्ट कापैरा विनिर्दि-ट करें)

संसद् द्वारा पारित विधियों की सूची जो केंद्रीय अधिनियमों की विधि मंत्रालय की
कालानुक्रमिक सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	संक्षिप्त नाम
1.	2008	23	रा-द्रीय जलमार्ग (नदियों का तलचर-धमरा विस्तार, पूर्वी तट नहर का ग्योनखाली-चरवतिया विस्तार, मतई नदी और महानदी डेल्टा नदी का चरवतिया-धमरा विस्तार) अधिनियम
2.	2008	24	रा-द्रीय जलमार्ग (नरह और कालूवेल्ली तालाब का काकीवाड़ा-पुडुचेरी विस्तार, गोदावरी नदी का भद्राचलम-राजहमुन्त्री विस्तार और कृ-णा नदी का वजीराबाद विजयवाड़ा विस्तार) अधिनियम, 2008
3.	2008	27	भारतीय वायु पत्तन आर्थिक विनियामक अधिनियम
4.	2008	33	असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम
5.	2008	34	रा-द्रीय अन्वे-ण अभिकरण अधिनियम

परिशि-ट - 5

(रिपोर्ट का पैरा निर्दिष्ट करें)

निरसन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण करने की दृष्टि से आगे अध्ययन के लिए तैयार की गई कानून की सूची

क्र. सं.	अधिनियम	वर्ष	अधि. सं.	प्रवर्ग
1.	बंगाल नील संविदा अधिनियम	1836	10	भूमि विधियां
2.	बंगाल जिला अधिनियम	1836	21	प्रशासन और स्थानीय क्षेत्र विकास से संबंधित विधियां
3.	मद्रास सार्वजनिक संपत्ति भ्र-टाचार अधिनियम	1837	36	भूमि विधियां
4.	बंगाल बंधपत्राधीन भांडागार संगम अधिनियम	1838	5	व्यापार और वाणिज्य
5.	तटीय यान अधिनियम	1838	19	सामुद्रिक विधि पोत परिवहन और अंतरदेशीय नौ-वहन
6.	मद्रास किराया और विक्रय अधिनियम	1839	7	भूमि विधियां
7.	बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम	1841	12	भू-राजस्व
8.	राजस्व, बम्बई	1842	13	भू-राजस्व
9.	राजस्व आयुक्त, बम्बई	1842	17	भू-राजस्व
10.	राजस्व बकाया के लिए भूमि का विक्रय	1845	1	भू-राजस्व
11.	सीमा चिह्न, बम्बई	1846	3	सामुद्रिक विधि पोत परिवहन और अंतरदेशीय नौ-वहन
12.	सीमाएं	1847	1	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार

13.	जलोदक और अजलोदक अधिनियम	1847	9	भू-राजस्व
14.	बंगाल भू-धारक उपस्थिति अधिनियम	1848	20	भू-राजस्व
15.	मद्रास राजस्व आयुक्त अधिनियम	1849	10	भू-राजस्व
16.	सार्वजनिक लेखापाल चूक अधिनियम	1850	12	सरकारी कर्मचारी
17.	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम	1850	18	न्याय प्रशासन
18.	जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम	1850	21	स्वीय विधियां
19.	कलकत्ता भू-राजस्व अधिनियम	1850	23	भू-राजस्व
20.	समपहृत निक्षेप अधिनियम	1850	25	भूमि विधियां
21.	शहरों में सुधार अधिनियम	1850	26	प्रशासन और स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी विधियां
22.	लोक सेवक (जांच) अधिनियम	1850	37	सरकारी कर्मचारी
23.	भारतीय पथकर अधिनियम	1851	8	कर, पथकर और उपकर विधियां
24.	मद्रास शहर भू-राजस्व अधिनियम	1851	12	भू-राजस्व
25.	शेरिफ फीस अधिनियम	1852	8	न्याय प्रशासन
26.	बम्बई किराया मुक्त संपदा अधिनियम	1852	11	भूमि विधियां
27.	किराया वसूली अधिनियम	1853	6	भू-राजस्व
28.	उपतट उपताप (बम्बई और कोलावा) अधिनियम	1853	11	पोत परिवहन और अंतरदेशीय नौवहन
29.	बंगाल बंधपत्राधीन भांडारगार संगम अधिनियम	1854	5	व्यापार और वाणिज्य
30.	पुलिस (आगरा) अधिनियम	1854	16	आपराधिक न्याय

31.	विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम	1855	12	सिविल प्रक्रिया
32.	सूदखोरी विधि निरसन अधिनियम	1855	28	वित्तीय विधियां
33.	बंगाल तटबंध अधिनियम	1855	32	परिवहन और अवसंरचना
34.	संथालपरगना अधिनियम	1855	37	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
35.	भारतीय वहन पत्र अधिनियम	1856	9	व्यापार और वाणिज्य
36.	कलकत्ता भू-राजस्व अधिनियम	1856	18	भू-राजस्व
37.	बंगाल चौकीदारी अधिनियम	1856	20	आपराधिक न्याय
38.	तम्बाकू शुल्क (बम्बई शहर)	1857	4	कर, पथकर और उपकर विधियां
39.	ओरियण्टल गैस कंपनी	1857	5	ऊर्जा विधियां
40.	मद्रास अप्रतिश्रुत अधिकारी अधिनियम	1857	7	सरकारी कर्मचारी
41.	संथालपरगना अधिनियम	1857	10	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
42.	हावड़ा अपराध अधिनियम	1857	21	आपराधिक न्याय
43.	मद्रास अनिवार्य श्रम अधिनियम	1858	1	श्रम विधियां
44.	बंगाल घटवाली भूमि विधि	1859	5	भूमि विधियां
45.	बंगाल किराया अधिनियम	1859	10	किराया और भू-धृति
46.	बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम	1859	11	भू-राजस्व
47.	कलकत्ता पाइलट अधिनियम	1859	12	आपराधिक न्याय
48.	मद्रास जिला पुलिस अधिनियम	1859	24	आपराधिक न्याय
49.	बहुमंजिली वहन अधिनियम	1861	16	परिवहन और अवसंरचना
50.	सरकारी मुद्रा अधिनियम	1862	3	प्रशासन संबंधी अवशिष्ट विधियां
51.	उत्पाद शुल्क (स्प्रिट) अधिनियम	1863	16	कर, पथकर और उपकर विधियां

52.	राजस्व देने वाली संपदा का विभाजन	1863	19	भूमि विधियां
53.	बंजर भूमि (दावा) अधिनियम	1863	23	भूमि विधियां
54.	भारतीय पथकर अधिनियम	1864	15	कर, पथकर और उपकर विधियां
55.	संपरिवर्तित विवाह विघटन अधिनियम	1866	21	स्वीय विधियां
56.	अवध उप-बंदोवस्त अधिनियम	1866	26	भूमि विधियां
57.	गंगा पथकर अधिनियम	1867	1	कर, पथकर और उपकर विधियां
58.	लोक द्यूत अधिनियम	1867	3	आपराधिक न्याय
59.	ओरिएण्टल गैस कंपनी	1867	11	ऊर्जा विधियां
60.	सराय अधिनियम	1867	22	व्यापार और वाणिज्य
61.	अवध संपदा अधिनियम	1869	1	भूमि विधियां
62.	बम्बई सिविल न्यायालय अधिनियम	1869	14	न्याय प्रशासन
63.	न्यायालय फीस अधिनियम	1870	7	न्याय प्रशासन
64.	अवध ताल्कदार राहत अधिनियम	1870	24	भूमि विधियां
65.	बंगाल सेशन न्यायालय अधिनियम	1871	19	न्याय प्रशासन
66.	देहरादून अधिनियम	1871	21	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
67.	पेंशन अधिनियम	1871	23	सरकारी कर्मचारी
68.	पंजाब विधियां अधिनियम	1872	4	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
69.	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम	1872	15	स्वीय विधियां
70.	मद्रास सिविल न्यायालय अधिनियम	1873	3	न्याय प्रशासन

71.	सरकारी बचत बैंक अधिनियम	1873	5	बैंकिंग और बीमा
72.	उत्तरी भारत नहर और नाली अधिनियम	1873	8	परिवहन और अवसंरचना
73.	उत्तरी-पश्चिमी प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम	1873	16	आपराधिक न्याय
74.	विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम	1874	3	स्वीय विधियां
75.	विदेशी भर्ती अधिनियम	1874	4	विदेशी संबंध
76.	विधियों का स्थानीय विस्तार अधिनियम	1874	15	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
77.	भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम	1875	18	न्याय प्रशासन
78.	केंद्रीय प्रांत विधियां अधिनियम	1875	20	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
79.	छोटानागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम	1876	6	भूमि विधियां
80.	बम्बई राजस्व अधिकारिता अधिनियम	1876	10	भू-राजस्व
81.	बम्बई नगरपालिका डिबेंचर अधिनियम	1876	15	वित्तीय विधियां
82.	अवध विधियां अधिनियम	1876	18	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
83.	नाट्य प्रदर्शन अधिनियम	1876	19	आपराधिक न्याय
84.	ब्रोच और कायरा भारग्रस्त संपदा अधिनियम	1877	14	भूमि विधियां
85.	भारीय निरवात धन अधिनियम	1878	6	संपत्ति विधियां
86.	हाथी संरक्षण अधिनियम	1879	6	पर्यावरण विधि
87.	डक्कन कृ-क राहत अधिनियम	1879	17	कृ-नि और पशुपालन
88.	रायपुर और खात्रा विधियां	1879	19	राज्य पुनर्गठन और विधियों का

	अधिनियम			विस्तार
89.	नगरपालिका कराधान अधिनियम	1881	11	कर, पथकर और उपकर विधियां
90.	फोर्ट विलियम अधिनियम	1881	13	आपराधिक न्याय
91.	नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम	1881	16	पोत परिवहन और अंतरदेशीय नौवहन
92.	मध्य प्रांत भू-राजस्व अधिनियम	1881	18	भू-राजस्व
93.	मद्रास वन (विधिमान्यकरण) अधिनियम	1882	21	पर्यावरण विधियां
94.	विक्रम सिंह संपदा अधिनियम	1883	10	भूमि विधियां
95.	भूमि सुधार उधार अधिनियम	1883	19	भूमि विधियां
96.	पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम	1883	20	प्रशासन और स्थानीय क्षेत्र विकास से संबंधित विधियां
97.	कृ-नक उधार अधिनियम	1884	12	कृनि और पशुपालन
98.	बंगाल किराएदारी अधिनियम	1885	8	किराया और किराएदारी
99.	भूमि अर्जन (खान) अधिनियम	1885	18	भूमि विधियां
100.	मिर्जापुर पत्थर महल अधिनियम	1886	5	औद्योगिक
101.	जन्म-मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम	1886	6	प्रतीक, अभिलेख और आंकड़े
102.	भारतीय भूमिगत रेल अधिनियम	1886	11	परिवहन और अवसंरचना
103.	अवध वासीकस अधिनियम	1886	21	श्रमविधियां
104.	बंगाल, आगरा, असम सिविल न्यायालय अधिनियम	1887	12	न्याय प्रशासन
105.	पंजाब किराएदारी अधिनियम	1887	16	किराया और किराएदारी
106.	पंजाब भू-राजस्व अधिनियम	1887	17	भू-राजस्व
107.	अवध राज्य संपदा अधिनियम	1887	19	भूमि विधियां
108.	भारतीय पथकर अधिनियम	1888	8	कर, पथकर और उपकर विधियां

109.	बम्बई शहर नगरपालिका (अनुपूरक) अधिनियम	1888	12	न्याय प्रशासन
110.	अवध राजा संपदा अधिनियम	1888	14	भूमि विधियां
111.	राजस्व वसूली अधिनियम	1890	1	भू-राजस्व
112.	उत्पाद शुल्क (माल्ट लिकर) अधिनियम	1890	13	कर, पथकर और उपकर विधियां
113.	संयुक्त प्रांत अधिनियम	1890	20	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
114.	मुर्शिदाबाद अधिनियम	1891	15	भूमि विधियां
115.	नावाधिकरण विनयक उपनिवेशक न्यायालय (भारत) अधिनियम	1891	16	न्याय प्रशासन
116.	विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम	1892	2	स्वीय विधियां
117.	बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम	1892	5	भारतीय सुरक्षा और सशस्त्र बल
118.	मद्रास शहर सिविल न्यायालय अधिनियम	1892	7	न्याय प्रशासन
119.	प्राइवेट संपदा का सरकारी प्रबंध अधिनियम	1892	10	भू-राजस्व
120.	पोराहाट संपदा अधिनियम	1893	2	भूमि विधियां
121.	सरकारी अनुदान अधिनियम	1895	15	संपत्ति विधियां
122.	महामारी अधिनियम	1897	3	सार्वजनिक स्वास्थ्य
123.	संशोधन अधिनियम	1897	5	प्रशासन संबंधी अवशिष्ट विधियां
124.	सुधार विद्यालय अधिनियम	1897	8	महिला और बाल विकास
125.	भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम	1897	14	प्रशासन संबंधी अवशिष्ट विधियां
126.	कु-ठ रोग अधिनियम	1898	3	सार्वजनिक स्वास्थ्य
127.	पशुधन आयात अधिनियम	1898	9	सार्वजनिक स्वास्थ्य

128.	केंद्रीय प्रांत किराएदारी अधिनियम	1898	11	किराया और किराएदारी
129.	सरकारी भवन अधिनियम	1899	4	प्रशासन और स्थानीय क्षेत्र विकास संबंधी विधियां
130.	चर्च आफ स्काटलैंड किक सेशन अधिनियम	1899	23	पूर्त और धार्मिक संस्था सहकारी सोसाइटी
131.	केंद्रीय प्रांत प्रतिपाल्य अधिनियम	1899	24	संपत्ति विधियां
132.	भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम	1901	2	कर, पथकर और उपकर विधियां
133.	संशोधनकारी अधिनियम	1901	11	प्रशासन संबंधी अवशि-ट विधियां
134.	भारतीय भूमिगत रेल अधिनियम	1902	4	परिवहन और अवसंरचना
135.	संशोधनकारी अधिनियम	1903	1	प्रशासन संबंधी अवशि-ट विधियां
136.	भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम	1905	4	परिवहन और अवसंरचना
137.	मध्य प्रांत वित्त आयुक्त अधिनियम	1908	13	भू-राजस्व
138.	भारतीय आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम	1908	14	आपराधिक न्याय
139.	राजद्रोह बैठक निवारण अधिनियम	1911	10	आपराधिक न्याय
140.	सहकारी सोसाइटी अधिनियम	1912	2	पूर्त और धार्मिक संस्था सहकारी सोसाइटी
141.	बंगाल, बिहार उड़ीसा और असम विधियां अधिनियम	1912	7	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
142.	वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम	1912	8	पर्यावरण विधि
143.	दिल्ली विधियां अधिनियम	1912	13	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
144.	शासकीय न्यासी अधिनियम	1913	2	स्वीय विधियां

145.	सफेद फास्फोरस दिया-सलाई प्रति-रोध अधिनियम	1913	5	उद्योग
146.	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम	1913	6	पूर्त और धार्मिक संस्था सहकारी सोसाइटी
147.	स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम	1914	9	वित्तीय विधियां
148.	दिल्ली विधियां अधिनियम	1915	7	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
149.	सर जमसेदजी जेजीभाय बैरोनेटसी अधिनियम	1915	10	संपत्ति विधि
150.	भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम	1916	7	विधिक, चिकित्सीय और अन्य वृत्तियां
151.	हिंदू संपत्ति व्ययन अधिनियम	1916	15	स्वीय विधियां
152.	अभिलेख नाशकरण अधिनियम	1917	5	प्रतीक, अभिलेख और आंकड़े
153.	अवध राजा संपदा विधिमान्यकरण अधिनियम	1917	12	भूमि विधियां
154.	डाकघर नकद प्राधिकरण अधिनियम	1917	18	वित्तीय विधियां
155.	अतिव्याज उधार अधिनियम	1918	10	वित्तीय विधियां
156.	स्थानीय प्राधिकारी पेंशन और उपदान अधिनियम	1919	1	सरकारी कर्मचारी
157.	पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम	1920	34	नागरिकता, भारत में प्रवेश, भारतीय आप्रवास और नि-कासन तथा सीमा पार आंदोलन
158.	भरण-पो-ण आदेश प्रवर्तन अधिनियम	1921	18	सिविल प्रक्रिया
159.	पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम	1922	22	आपराधिक न्याय
160.	भारतीय नौ सेना सशस्त्र अधिनियम	1923	7	भारत की रक्षा और सशस्त्र बल

161.	मुसलमान वक्फ अधिनियम	1923	42	पूर्त और धार्मिक संस्था सहकारी सोसाइटी
162.	भारतीय सिपाही (मुकदमेबाजी) अधिनियम	1925	4	भारत की रक्षा और सशस्त्र बल
163.	बंगाल दंड विधि संशोधन (अनुपूरक) अधिनियम	1925	8	आपराधिक न्याय
164.	मद्रास, बंगाल और बम्बई बालक (अनुपूरक) अधिनियम	1925	35	महिला और बाल विकास
165.	भारतीय विधिज्ञ परि-न्द् अधिनियम	1926	38	विधिक, चिकित्सीय और अन्यवृत्तियां
166.	हिंदू विरासत (निर्योग्यता निवारण) अधिनियम	1928	12	स्वीय विधियां
167.	संपत्ति अंतरण (संशोधन) अनुपूरक अधिनियम	1929	21	स्वीय विधियां
168.	हिंदू विद्याधन अधिनियम	1930	30	स्वीय विधियां
169.	मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम	1930	32	पूर्त और धार्मिक संस्था; सहकारी सोसाइटी
170.	कर का अनंतिम संग्रहण अधिनियम	1931	16	कर, पथकर और उपकर विधियां
171.	कलकत्ता शेरिफ (अभिरक्षीय शक्ति) अधिनियम	1931	20	आपराधिक न्याय
172.	लोक वाद विधिमान्यकरण अधिनियम	1932	11	सिविल प्रक्रिया
173.	दंडविधि (संशोधन) अधिनियम	1932	23	आपराधिक न्याय
174.	बंगाल आतंकवादी संघर्ष दमन (अनुपूरक) अधिनियम	1932	24	आपराधिक न्याय
175.	बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम	1933	2	श्रम विधियां
176.	मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम	1933	23	भूमि विधियां

177.	गन्ना अधिनियम	1934	15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण
178.	असम दंड विधि संशोधन (अनुपूरक) अधिनियम	1934	27	आपराधिक न्याय
179.	जबलपुर और छत्तीसगढ़ खंड (विवाह-विच्छेद कार्यवाही) विधिमान्यकरण अधिनियम	1935	13	स्वीय विधियां
180.	डिक्री और आदेश विधिमान्यकरण अधिनियम	1936	5	न्याय प्रशासन
181.	बंगलौर विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम	1936	16	स्वीय विधियां
182.	कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम	1937	1	उपभोक्ता मामला
183.	आर्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम	1937	19	स्वीय विधियां
184.	दंडविधि (संशोधन) अधिनियम	1938	20	आपराधिक न्याय
185.	नियोजक दायित्व अधिनियम	1938	24	श्रम विधियां
186.	विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम	1939	16	नागरिकता, भारत में प्रवेश से आप्रवास और प्रत्यार्पण तथा सीमापार अभियान
187.	बरार विधियां अधिनियम	1941	4	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
188.	दिल्ली भूमि उपयोग निबंधन अधिनियम	1941	12	भूमि विधियां
189.	रेल (स्थानीय प्राधिकारी कराधान) अधिनियम	1941	25	कर, पथकर और उपकर विधियां
190.	युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम	1943	23	श्रम विधियां
191.	लोक ऋण अधिनियम	1944	18	वित्तीय विधियां
192.	अभ्रक खान, श्रम कल्याण निधि अधिनियम	1946	22	श्रम विधियां

193.	पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम	1948	12	सामाजिक कार्य
194.	जूनागढ़ प्रशासन (संपत्ति) अधिनियम	1948	26	भूमि विधियां
195.	विधिक कार्यवाहियों का जारी रखना अधिनियम	1948	38	प्रशासनिक न्याय
196.	भारतीय वैवाहिक वाद (युद्ध विवाह) अधिनियम	1948	40	स्वीय विधियां
197.	बम्बई सार्वजनिक सुरक्षा उपाय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम	1948	52	आपराधिक न्याय
198.	मंगरोल और मानवदार (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम	1949	2	श्रम विधियां
199.	पश्चिमी गोदावरी जिला (फेडरल वि-नय पर विधि की एकरूपता) अधिनियम	1949	20	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
200.	दिल्ली होटल (आवास नियंत्रण) अधिनियम	1949	24	संघ राज्यक्षेत्र और दिल्ली प्रशासन से संबंधित विधियां
201.	अधिगृहीत भूमि (प्रतिकर प्रभाजन) अधिनियम	1949	51	भूमि विधियां
202.	विलयित राज्य (विधि) अधिनियम	1949	59	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
203.	समस्त स्टेट बैंक अधिनियम	1950	*	बैंकिंग और बीमा
204.	संघ राज्यक्षेत्र (विधियां) अधिनियम	1950	30	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तार
205.	अफीम और राजस्व विधियां (लागू होने का विस्तार) अधिनियम	1950	33	कर, पथकर और उपकर विधियां
206.	अजमेर भू-धृति और भूमि अभिलेख अधिनियम	1950	42	किराया और भू-धृति
207.	सड़क परिवहन निगम अधिनियम	1950	64	परिवहन और अवसंरचना

208.	कूच बेहार (विधियों की एकरूपता) अधिनियम	1950	67	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
209.	खदर (नाम संरक्षण) अधिनियम	1950	78	बौद्धिक संपदा विधि
210.	भाग-ख राज्य (विधियां) अधिनियम	1951	3	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
211.	कंपनी (रा-टीय निधियों को दान) अधिनियम	1951	54	कारपोरेट विधियां
212.	भाग-ग राज्य प्रकीर्ण विधियां (निरसन) अधिनियम	1951	66	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
213.	भाग-ख राज्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम	1952	1	स्वीय विधियां
214.	भारतीय स्वतंत्रता पाकिस्तान न्यायालय (लंबित कार्यवाही) अधिनियम	1952	9	न्याय प्रशासन
215.	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम	1952	38	किराया और भू-धृति
216.	लुसाई पहाड़ी जिला (नाम परिवर्तन) अधिनियम	1954	18	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
217.	संघ प्रयोजन के लिए भूमि का राज्य अर्जन (विधिमान्यकरण) अधिनियम	1954	23	भूमि विधियां
218.	चन्द्रनागोर (विलयन) अधिनियम	1954	36	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
219.	विधिज्ञ परि-नद (राज्य विधि का विधिमान्यकरण) अधिनियम	1956	4	विधिक, चिकित्सा और अन्य वृत्तियां
220.	औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम	1956	36	श्रम विधियां
221.	समाचार पत्र (कीमत और पृ-ठ) अधिनियम	1956	45	मीडिया, संसूचना और प्रकाशन
222.	अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम	1956	93	मीडिया, संसूचना और प्रकाशन

223.	स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम	1956	105	महिला और बाल विकास
224.	दान कर अधिनियम	1958	18	कर, पथकर और उपकर विधियां
225.	मणिपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) अधिनियम	1958	35	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
226.	उड़ीसा बाट और माप (दिल्ली निरसन) अधिनियम	1958	57	उपभोक्ता मामले
227.	ट्रावनकोर-कोचीन यान कराधान (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम	1959	42	कर, पथकर और उपकर विधियों
228.	त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम	1960	43	भू-राजस्व
229.	महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा (निरसन) अधिनियम	1960	48	भूमि विधियां
230.	ब्रिटिश कानून (भारत को लागू होना) निरसन अधिनियम	1960	57	राज्य पुनर्गठन और विधियों का विस्तारण
231.	अधिमानि शेयर (लाभांशों का विनियमन) अधिनियम	1960	63	कार्पोरेट विधियां
232.	दिल्ली (शहरी क्षेत्र) किराएदार राहत अधिनियम	1961	30	किराया और किराएदारी
233.	समाचा-पत्र (कीमत और पृ-ठ का जारी रखना) अधिनियम	1961	36	मीडिया, संसूचना और प्रकाशन
234.	भूमि अर्जन (संशोधित) अधिनियम	1962	31	भूमि विधियां
235.	कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम	1964	7	कर, पथकर और उपकर विधियां
236.	भूमि अर्जन (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम	1967	13	भूमि विधियां
237.	भ्र-टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) अधिनियम	1967	16	आपराधिक न्याय
238.	बाट और माप मानक उपाय	1967	25	उपभोक्ता मामले

	(कोहिमा और मोकोचुंग जिला तक विस्तार) अधिनियम			
239.	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण (नसिराबाद छावनी निरसन) अधिनियम	1968	49	किराया और किराएदारी
240.	कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विलयन) संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम	1971	54	ऊर्जा विधियां
241.	राज्य सेवा अधिकारी के भूतपूर्व सचिव (सेवा शर्तें) अधिनियम	1971	56	सरकारी कर्मचारी
242.	उत्तर प्रदेश छावनी किराया (नियंत्रण और बेदखली) निरसन अधिनियम	1971	68	किराया और किराएदारी
243.	पूर्व-पंजाब शहरी किराया (निर्बंधन चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम	1974	54	किराया और किराएदारी
244.	अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम	1976	106	आपराधिक न्याय
245.	केंद्रीय बीमा कारबार (रा-द्रीयकरण) संशोधन अधिनियम	1985	3	बैंकिंग और बीमा
246.	प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम	1986	19	अधिकरण
247.	पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम	1986	66	सामुद्रिक विधि, पोत परिवहन और अंतर्देशीय नौ-वहन
248.	नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और विधिमान्य) अधिनियम	1992	12	कृति और पशुपालन
249.	बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) अधिनियम	1993	49	परिवहन और अवसंरचना
250.	दिल्ली किराया अधिनियम	1995	33	किया और किराएदारी
251.	औद्योगिक पुनर्संरचना बैंक	1997	7	बैंकिंग और बीमा

	(उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम			
252.	शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम	1999	15	भूमि विधियां
253.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम	1999	40	उद्योग
254.	भारत यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम	2002	58	वित्तीय विधियां
255.	औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम	2003	53	बैंकिंग और बीमा
256.	रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष-उपबंध) निरसन अधिनियम	2004	1	कार्पोरेट विधियां
257.	सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद विधियां निरसन अधिनियम	2004	25	कर, पथकर और उपकर विधियां
258.	आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम	2004	26	आपराधिक न्याय
259.	उपज उपकर विधियां (उत्सादन) अधिनियम	2006	46	कर, पथकर और उपकर विधियां
260.	भारतीय राइफल (निरसन) अधिनियम	2006	49	आपराधिक न्याय
261.	सौरा-ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनु-गंगी बैंक) संशोधन अधिनियम	2009	48	बैंकिंग और बीमा